यह 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। इसके कुछ प्रावधान तुरन्त प्रभाव के साथ लागू किए गए यानि लोक प्राधिकारियों की बाध्यता [एस. 4(1)], लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम [एस. 5(1)], केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, (एस. 12 व 13), राज्य सूचना आयोग का गठन (एस. 15 व 16), अन्वेषण/जाँच एजेंसी और सुरक्षा संगठनों पर अधिनियम का लागू न होना (एस. 24) और इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार।

सूचना का मतलब है- रिकार्ड, दस्तावेज़, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉग पुस्तिकाएँ, ठेके, टिप्पणियाँ, पत्र, उदाहरण, नमूने, डाटा सामग्री सहित कोई भी सामग्री, जो किसी भी रूप में उपलब्ध हों। साथ ही, वह सूचना जो किसी भी निजी निकाय से संबंधित हो, किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें फाईल नोटिंग शामिल नहीं हो।

इसके अंतर्गत निम्न चीजें आती है-

कार्यों, दस्तावेज़ों, रिकार्डों का निरीक्षण,

दस्तावेज़ों या रिकार्डों की प्रस्तावना/सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना,

सामग्री का प्रमाणित नमूने लेना,

रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेपों, वीडियो कैसेटों के रूप में या कोई अन्य ईलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त करना

आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें। इसके लिए कभी कूरियर सेवा का उपयोग न करें।

आवेदन के साथ पावती पत्र भी लगाएं।

केन्द्रीय सूचना आयोग को आवेदन ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है। आवेदन, ऑनलाइन रूप से जमा करने हेतु

सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए पर अपवादस्वरूप वह 45 दिनों में भी प्राप्त हो सकता है।

निर्णय देने के समय की गणना केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आरंभ होती है।

राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। परन्तु राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय से पीड़ित लोक प्राधिकरण उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

जब आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अपना आवेदन जमा न करवा पाए हों, चाहे इसलिए कि इस कानून के तहत ऐसा कोई अधिकारी नियुक्ता ही नहीं किया गया हो अथवा इसलिए कि केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत सूचना या अपील के लिए आपका आवेदन केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या वरिष्ठ अधिकरी को अग्रसारित करने से इनकार कर दिया हो, जैसा कि धारा 19 की उपधारा (1) या केन्द्रीय सूचना आयोग में निर्दिष्टअ है,

यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत किसी भी सूचना को प्राप्तध करने के आपके अनुराध को ठुकरा दिया हो,

यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपके सूचना प्राप्तत करने संबंधी आवेदन का कोई जवाब इस कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर न दिया हो,

यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी आपसे कोई ऐसी शुल्के चुकाने की बात कह रहा हो जिसे आप अनावश्य्क मानते हों,

यदि आपको विश्वीस हो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको जो सूचना दी है, वह अधूरी, भ्रामक या गलत है,

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से सतुष्टू न हों।

आवश्यक कागजात (पीडीएफ/जेपीजी/जीआईएफ फॉर्मेट में)

बीपीएल प्रमाणपत्र (यदि आप शुल्क में छूट चाहते हैं)

आयु प्रमाणपत्र (यदि आप वरिष्ठल नागरिक हैं)

प्रमाणपत्र (यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं)

और कोई कागजात जो आप अपने मामले की पुष्टि करने के लिए देना चाहते हों

सभी दस्तावेज़ पीडीएफ/जेपीजी/जीआईएफ फॉर्मेट में हों,

संलग्न् कागजात की फाइल का आकार 2 एमबी से ज्याफदा नहीं होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए

फॉर्म भरें और जरूरी कागजात अपलोड करें।

फॉर्म भरने के बाद “Save as Draft/ Submit” बटन पर क्लिक करें।

एक बार फॉर्म सेव हो जाने के बाद आपको एक शिकायत संख्या दी जाएगी।

यदि आप “Save as Draft” के रूप में अपना फॉर्म जमा करा रहे हैं, तो अंतिम रूप से जमा कराने से पहले आप इसमें फेरबदल कर सकेंगे।

अपनी शिकायत की स्थिति जाँचें

आवेदन जमा कराने के बाद अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन रूप से पता कर सकते हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित विभाग,कार्यालय और अन्य स्थान पर एक प्रारुप के साथ आवेदन जमा करना होता है। यहां हम लोगों की सहायता के लिए साधारण प्रारुप,प्रथम अपील प्रारुप और द्वितीय अपील प्रारुप राज्य सरकार और केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ये प्रारुप यथावत या थोड़े परिवर्तित करने के बाद या निर्धारित कार्यालय के अनुसार प्रश्नों के समावेश करने के बाद जमा किये जा सकते हैं। कुछ राज्यों ने ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नही हैं,आपको लगता है कि लोक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने सूचना उपलब्ध करवाने की आपकी याचिका अस्वीकृत कर दी हो,अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने में असफल रहा हो,सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन, राज्य/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।

राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में (यदि मामला राज्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।

केन्द्रीय सूचना अयोग के कार्यालय में (यदि मामला केन्द्रीय लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।

आवेदन पर निर्णय देने की समय-सीमा (30 दिन या विशेष स्थिति में 45 दिन) समाप्त होने या लोक सूचना अधिकारी से निर्णय प्राप्त होने या आवेदन अस्वीकृति की सूचना मिलने के 90 दिनों (3 महीने) के भीतर।यदि राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील दायर करने से रोका गया है तो वह अपील 90 दिनों के बाद भी स्वीकार कर सकता है।

आवेदन सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है। आवेदन डाउनलोड करने हेतु कृपया सबसे नीचे जाएं। आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है। केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थिति में आवेदन अँग्रेजी या हिन्दी में और राज्य सूचना आयोग की स्थिति में क्षेत्र की राजकीय भाषा या अँग्रेजी में तैयार किया जा सकता है।

निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।

संलग्नकों की सूची दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या के साथ अनुक्रमणिका बनायें।

द्वितीय अपील आवेदन के साथ भेजे जानेवाले सभी दस्तावेजों को निम्न क्रम में नत्थी करें-

द्वितीय अपील हेतु मूल आवेदन पत्र,

लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त निर्णय या अस्वीकृति पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति (यदि हों तो),

सूचना हेतु दिये गये अनुरोध पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,

प्रथम अपील आवेदन की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,

लोक सूचना अधिकारी व/या प्रथम अपीलीय अधिकारी को किये शुल्क भुगतान के साक्ष्य की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,

आवेदन जमा करने का साक्ष्य (पावती पत्र या अन्य रूप में) की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति आदि।

उपरोक्त सभी दस्वावेजों की एक सेट छायाप्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें, जबकि मूल कॉपी आयोग को भेज दें।

लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने वाली आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया हो,

लोक प्राधिकरण ने 30 दिन या 48 घंटे, जैसी भी स्थिति हो, की समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा हो,

लोक प्राधिकरण ने आवेदन प्राप्ति हेतु अथवा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया हो,

सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आपका आवेदन स्वीकार करने या उसे लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,

आप लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हों,

आपको लगता है कि आपूर्त्ति की गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,

आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।

सूचना आपूर्त्ति की समय-सीमा (30 दिन या 48 घंटे के बाद, जैसी भी स्थिति हो) खत्म होने या लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय या आवेदन अस्वीकृति की सूचना के 30 दिनों के भीतर,

यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील याचिका दायर करने से रोका गया है, तो वह 30 दिनों के बाद भी अपील आवेदन स्वीकार कर सकता है।

आवेदन सादे कागज पर तैयार करें, जो हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है।

आवेदन केंद्रीय सूचना आयोग या संदर्भित राज्य की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

डाउनलोड किये गये फॉर्मेट में सभी सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।

आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्र की राजकीय भाषा में तैयार होना चाहिए।

प्रथम अपील आवेदन की मूल प्रति।

यदि आवेदन शुल्क जमा कर रहे हों तो उसका प्रमाण और नहीं कर रहे हों तो छूट प्राप्त करने हेतु प्रमाणपत्र।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय की प्रति या अस्वीकृति पत्र।

यदि निर्णय प्राप्त नहीं हुआ हो, तो सूचना के लिए की गई अनुरोध की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति, लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनप्राप्त करने का साक्ष्य (पावती पत्र) या डाक से आवेदन भेजने की रसीद।

प्रथम अपील आवेदन, उसी लोक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में करें,

पदानुक्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह आवेदन स्वीकार करने, आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को सूचना आपूर्त्ति का आदेश देने या सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के किसी भाग के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रथम अपील आवेदन सौंपने से पहले, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के नाम, शुल्क (कुछ राज्यों में प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता तो कुछ राज्यों में शुल्क लिये जाते हैं) और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें।

आवेदन हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।आवेदन, डाक से भेजने की स्थिति में केवल रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का ही उपयोग करें। कूरियर सेवा का कभी प्रयोग न करें।दोनों ही परिस्थितियों में आवेदन भेजने या जमा करने की पावती रसीद प्राप्त कर लें।

सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों में दिया जाना चाहिए, परन्तु अपवादस्वरूप उसमें 45 दिनों का भी समय लग सकता है।निर्णय देने की समय-सीमा की गणना प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से आरंभ होती है।

आप सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण (सरकारी संगठन या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों) से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र भारत विकास प्रवेशद्वार पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र डाउनलोड संदर्भित राज्य की वेबसाईट से प्राप्त करें

आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में तैयार होना चाहिए।

अपने आवेदन में निम्न सूचनाएँ दें:

सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी का नाम व उसका कार्यालय पता,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन

सूचना का ब्यौरा, जिसे आप लोक प्राधिकरण से प्राप्त करना चाहते हैं,

आवेदनकर्त्ता का नाम,

पिता/पति का नाम,

वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति

आवेदन शुल्क

क्या आप गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से आते हैं- हाँ/नहीं,

मोबाइल नंबर व ई-मेल पता (मोबाइल तथा ई-मेल पता देना अनिवार्य नहीं)

पत्राचार हेतु डाक पता

स्थान तथा तिथि

आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची

आवेदन जमा करने से पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, शुल्क, उसके भुगतान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क भुगतान का भी प्रावधान है। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को शुल्क नहीं जमा करने की छूट प्राप्त है।

जो व्यक्ति शुल्क में छूट पाना चाहते हों उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी।

आवेदन हाथो-हाथ, डाक द्वारा या ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

यदि आप आवेदन डाक द्वारा भेज रहे हैं तो उसके लिए केवल पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक सेवा का ही इस्तेमाल करें। कूरियर सेवा का प्रयोग कभी न करें।

आवेदन ई-मेल से भेजने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज का स्कैन कॉपी अटैच कर भेज सकते हैं। लेकिन शुल्क जमा करने के लिए आपको संबंधित लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान करने की तिथि से ही सूचना आपूर्ति के समय की गणना की जाती है।

आगे उपयोग के लिए आवेदन पत्र (अर्थात् मुख्य आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्क का प्रमाण, स्वयं या डाक द्वारा जमा किये गये आवेदन की पावती) की 2 फोटोप्रति बनाएं और उसे सुरक्षित रखें।

यदि अपना आवेदन स्वयं लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाकर जमा कर रहे हों, तो कार्यालय से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें जिसपर प्राप्ति की तिथि तथा मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हों। यदि आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज रहे हों तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे संभाल कर रखें।

सूचना आपूर्ति के समय की गणना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि से आरंभ होता है।

क्रम संख्या -- स्थिति -- ससूचना आपूर्ति की समय-सीमा

1 -- सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति -- 30 दिन

2 -- जब सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हों, तब सूचना की आपूर्ति -- 48 घंटे

3 -- सजब आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के जरिये प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में सूचना की आपूर्त्ति -- उपर्युक्त दोनों स्थितियों में 05 दिन का समय और जोड़ दिये जाएंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अपनी यात्रा में काफी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। नागरिकों न केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं ही प्राप्त हो रही हैं बल्कि ये सूचनाएं कई बार सिर्फ सूचनाओं तक ही नहीं सीमित होकर अपनी उपयोगिता कई परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करती है। केंद्र राज्य स्तर पर सभी विभागों में सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया है और इसके लिए अलग विभाग से लेकर कार्यालयों में सूचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत कर्मचारियों को मनोनीत लोक सूचना अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया गया है। सूचना की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपील के साथ कुछ विशेष स्थितियों में सीधे तौर आयोग में भी अपील की जा सकती है। कई राज्यों ने सूचना के अधिकार में लोगों की सहायता के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरी तरह से समर्पित आरटीआई की वेबसाईट का निर्माण किया है और आवेदन करने और उसे जमा करने के लिए ऑनलाईन का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। कुछ राज्यों ने टोल फ्री नंबर की सेवा भी प्रारंभ की है।

सूचना के अधिकार का दर्ज़ा उपयोगिता और इस बात से सिद्ध होता है कि संविधान में इसे मूलभूत अधिकार का दर्ज़ा दिया गया है। आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि।सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा) जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।

इस अधिनियम के प्रावधान 18 (1) के तहत यह केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और पूछताछ करें।

जो केन्द्रीय सूचना लोक अधिकारी या राज्य सूचना लोक अधिकारी के पास अपना अनुरोध जमा करने में सफल नहीं होते, जैसा भी मामला हो, इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उक्त अधिकारी या केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत अग्रेषित करने के लिए कोई सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया हो जिसे वह केन्द्रीय लोक

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) मैं निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास न भेजे या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग में अग्रेषित न करें,जैसा भी मामला हो।

जिसे इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी तक पहुंच देने से मना कर दिया गया हो। ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो।

जिसे शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानता / मानती है।

जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है।

इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले के विषय में।

पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा

विषय वस्तु: ग्राम कचहरी में क्रिमनल मामलों का दायर किया जाना एवं ट्रायल (पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 101, 102, 103, 104, एवं 105 तथा ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का नियम 32-40)

धारा 101   फौजदारी वाद या मामला को दायर करना और उसकी सुनवाई। (नोट उक्त धारा के बारे में आपलोगों की प्रथम दिन ही 2 बजे अपराह्न से 4 बजे उपराह्न के बीच विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है।

धारा 102   नोट इसके बारे प्रथम दिन जानकारी दी गई है।

धारा 103   नोट इसके बारे में प्रथम दि नही जानकारी

धारा 104   नोट इसके बारे में भी आपलोगों को प्रथम दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच विस्तृत से व्याख्या की गयी है।

धारा 105   निर्णय का रूप-ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ का निर्णय लिखित रूप में होगा और उस पर न्यायपीठ के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसमें इस निमित सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित विशिष्टयाँ अन्तर्विष्ट होगी:

परन्तु न्यायपीठ के किसी सदस्य द्वारा निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने की विधि मनयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम: 32   अधिनियम धारा 106 के अध्याधीन दायर किया जाने वाला कुई मामला सरपंच के पास लिखकर दायर किया जाएगा और जहाँ सरपंच की सेवाएँ उपलब्ध न हो वहाँ उप-सरपंच के समक्ष दायर

किया जायेगा।

नियम 33   नियम 32 के अधीन अर्जी देने के समय कोई व्याक्ति ग्राम -कचहरी के सचिव के पास एक सौ रूपये की नकद फीस जमा करेगा।

नियम 34 :- यदि अर्जी लिखित रूप से दी गई हो तो यथा स्थिति सरपंच अर्जीदार की शपथ दिलाकर उसका परीक्षण अविलम्ब करेगा और शपथ लेकर निष्ठापूर्वक वह अपने बयान में कुछ कहेगा उसका सारांश-लिखित रूप में अर्जी की पीठ पर दर्ज कर दिया जायेगा जो ऐसे मुकदमें के लिए खोला जाय परन्तु दोनों में से किसी स्थिति मैं शपथ लेकर या निष्ठापूर्वक अर्जीदार ने जो ब्यान दिया हो उसे पढ़कर सुनाए जाने और समझा जाने के बाद वह उस ब्यान के नीचे अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा देगा।

नियम 35 :- यदि नियम 32 के अधीन अर्जीदार द्वारा शपथ लेकर या निष्ठापूर्वक किए गए ब्यान पर सरपंच की यह राय हो कि (क) उस बयान से किसी अपराध का पता नही चलता है अथवा अगर अपराध का पता भी चलता है तो ऐसे अपराध का जो ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के क्षेत्राधिकार के बाहर हो तो ऐसी अर्जी को वह तुरंत खारिज कर देगा और अर्जीदार को अपने आदेश की सूचना तुरंत दे देगा। (ख) यदि अर्जीदार द्वारा दिये गये बयान से ऐसा अपराध का होना मालूम पड़े जो ग्राम कचहरी के न्यायपीठ द्वारा संज्ञेय (Cognizable) है तो अपराध का संज्ञान (कांग्निजेंस) लेगा और उसके बाद सबसे पहले वह मुद्दालय के नाम सम्मन जारी करेगा जिसमें यह बताया रहेगा कि उस पर किस अपराध का आरोप बनता है या लगाया गया है उस सम्मन में दर्शा गयी तारीख एवं नियत समय पर ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के समक्ष उपस्थित रहेगा यदि उक्त नियम समय तारीख तक सम्मन तामिल न हो तो उसे फिर मानय कर दिया जायेगा।

नियम 36 :- ग्राम कचहरी नयायपीठ द्वारा विचारण किए जाने वाले सभी प्रकार के फौजीदारी मामलों में ग्राम कचहरी न्यायपीठ किसी अभियुक्त की उपस्थिति उसी विहित रीति से सुनिश्चित करायेगी जैसा कि नियम 13 में निर्धारित है।

नियम 37 :- जब मुदालय ग्राम कचहरी के समक्ष हाजिर होगा या अन्य विहित रीति से हाजिर किया जायेगा तो मुद्दालय अपने ऊपर लगाये गये अपराधों के संबंध में अपनी इच्छानुसार बयान न्यायपीठ के समक्ष देगा।

नियम 38 :- यदि धारा 102 की अपेक्षानुसार ग्राम कचहरी के न्यायपीठ दोने पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने में असफल हो जाय और मुद्दालय कोई बयान दिया हो तो उसे लिख लिया जायेगा। अगर मुद्दालय अपने ऊपर अपराध न्यायपीठ के द्वारा संज्ञेय है तो न्यायपीठ इस अपराध के अनुसार अपना निर्णय लिखित करेगी और न्यायपीठ के सदस्यों के बीच असहमति होने पर बहुमत का निर्णय ही मान्य होगा।

नियम 39 :-

(i)   यदि पूर्वगामी नियम के अनुसार न्यायपीठ मुदालय को सजा न दे या मुदालय अपना अपराध कबूल न करे

तो न्यायपीठ मुदई की बातों की सुनवाई कर देगी और मुकदमें में जो कुछ भी साक्ष्य पेश करेगा उसे ले लेने के बाद न्यायपीठ मुदालय की सूनवाई करेगी तथा मुदालय अपनी सफाई मैं जो कुछ भी कहेगा प्रमाण पेश करेगा। उसे न्यायपीठ मुद्दालय के प्राप्त कर लेगा।

(ii)   यदि न्यायपीठ ठीक समझे तो मुदई या मुदालय के आवेदन करने पर किसी गवाह का नाम इस आशय का सम्मन में बताई तारीख को ग्राम कचहरी में हाजिर हो और यदि कोई प्रमाण कागजात या और अन्य चीज हो तिो उसे न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।

(iii)   इस तरह के आवेदन पर किसी गवाह पर सम्मन करने के पूर्व न्यायपीठ यह आपेक्षा करेगी कि प्रति सम्मन दो (2) रूपये की दर से तलवाना-शुल्क (प्रोसेस-फीस) जमा कर करवाा ले।

नियम 40 :-

(i)   नियम 39 में बताये गये साक्ष्य प्राप्त करने के बाद या न्यायपीठ अपनी इच्छानुसार जो कुछ भी साक्ष्य पक्षों से लेना चाहती हो, उसे लेने के बाद और मुदालय की जाँच कर लेने के बाद न्यायपीठ अगर इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मुदालय दोषी नहीं तो वह धारा 103 की रीति से अपना निर्णय लिखित करेगी।

(ii) यदि न्यायपीठ मुदालय को दोषी पाएगी तो वह उससे सिध्द दोष करार देगी और अधिनियम की धारा 107 के अध्याधीन अपराध की विधि सम्मत उसे सजा देगी, लेकिन ग्राम कचहरी की कोई पीठ, साधारण अथवा सख्त किसी कारावास की सजा नहीं देगी। उपराधी को ऐसे उपराध के लिए जुर्माना कर सकती है जिसकी की जुर्माना राशि एक हजार से अधिक नहीं होगी।

धारा-101 दिवानी वादों का दायर किया जाना एवं सुनवाई

इस अधिनियम के अधीन दायर किया जानेवाला मामला या वाद सरपंच के समक्ष ही दायर किया जायेगा और जहाँ सरपंच की सेवा उपलब्ध नहीं रहने पर उक्त किसी भी प्रकार का मामला या वाद उपसरपंच के समक्ष दायर किया जायेगा और उक्त मामला या वाद का सुनवाई ग्राम कचही के ऐसे न्यायपीठ के द्वारा सुन जायेगा जिसमें सरपंच द्वारा विहित रीति से चुना गया दो पंच, एवं पक्षकारों द्वारा नामित दो पंच जो कि ग्राम कचहरी के पंच होगें एवं सरपंच स्वयं भी होगे परन्तु-

(i) यदि कोई पक्षकर यथाविहित समय के भीतर किसी पंच का नाम नामित नहीं करते होत तो सरपंच या उनके अनुपस्थिति में उपसरपंच ग्राम कचहरी के पंचों में पंच नामित कर देगा।

(ii) यदि किसी वाद या मामला की कार्यवाहियों में, भाग लेने से सरपंच निवारित हो जाए तो उस सरपंच को अथवा यदि वह भी सरपंच की राय में उसी प्रकार निरहिंत हो, तो अपने बीच के पंचों द्वारा अन्य पंच का चुनाव किया जायेगा और यथास्थिति उप-सरपंच या इस प्रकार चुना गया, पंच उक्त वाद या मामले के प्रजोजनार्थ सरंपच के सभी कार्यो का निर्वहन करेगा।

(iii) यदि वाद या मामले के दायर होने के बाद किन्तु अवधारणा के पहले किसी समय सरपंच के सेवा उपलब्ध नही रहे और उप-सरपंच के नाम पक्षकारों द्वारा नामित कर दिया गया हो या धारा 100 के अधीन निवारित कर दिया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में पंचो में सबसें वरिष्ठ पंच सरपंच कार्य करेगा और,

(iv) यदि वाद दायर किये जाने के बाद तथा अवधारण के पहले किसी समय पंच की सेवाएँ उपलब्ध नहीं अथवा कार्यवाहियों में भाग लेने से धारा 100 के तहत निवारित किया गया हों, विहित समय के भीतर, यथास्थिति संबंध पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पंच का नाम निदेशन या सरपंच द्वारा उसका चयन किया जायेगा।

(ii) उपधारा (1) के अधीन किसी वाद या मामले की सुनवाई और अवधारणा करने के प्रयोजनार्थ तीन अन्य पंचों की पूर्ति होगी जिसमें सरपंच और संबंधित पक्षों द्वारा नामित दो पंच शामिल रहेंगें।

धारा 102विवादों की सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिए ग्राम कचहरी की न्यायपीठ कार् कत्ताव्य-ग्राम कचहरी न्यायपीठ इस अधिनियम के अधीन वादों की सुनवाई करते समय या मामलों का विचार करते समय, पक्षकारों को यथोचित रीति से नोटिस देने के बाद पक्षकारों को समक्षा बुक्षाकर दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण रूप से समझौत कराने का प्रयास करेगी और इस प्रयोजनार्थ, न्यायपीठ यथोचित रीति से तुरन्त, वाद या मामले की सही समाधान का अन्वेंषण करेगी तथा ऐसी करने में सभी विधिपूर्ण बातें करेगी जो वह उचित समझे और पक्षों को सौहर्दपूर्ण समक्षौत के लिए उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ उचित समझो और जहाँ ऐसा समक्षौता हो जाय वहाँ न्यायपीठ उसे अभिलिखित करेगी या उसके बाद निर्णय देगी।

घारा-109 सरपंच की दाण्डिक शक्तियाँ

(1) जब किसी सरपंच को ऐसा विश्वास हो जाय कि लोक प्रशान्ति में बाधा आने वाली है या शांति भंग होने की संभावना हे तो वह तुरन्त रोक थाम के लिए विधि संगत उपाय करेगा और उक्त तथ्यों का जिक्र करते हुए विहित रीति से तामिल कर, किसी व्याक्ति को ऐसा कार्य न करने तथा उसके कब्जा वाला सम्पति के संबंध में कार्रवाई के संबंध में कारवाई करने का निर्देश देगा।

(iii) सरपंच, उपधारा-(i) के अधीन आदेश निर्गत करतें हीं कार्यवाहियाँ अनुमण्डल दण्डधिकारी को पेश करेगा जो विवाद के पक्षकारों, यदि वे चाहें को सुनने के बाद आदेश को संपुष्ट कर सकेंगे या नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर सकेगा।(iii) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश तीस दिनों तक प्रवृत रहेगा। (iv) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश को संबध्द स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तत्परता से लागू किया जायेगा।

विषय वस्तु : ग्राम कचहरी के सिविल क्षेत्राधिकार (बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 110 एव 111)

धारा-110 ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की अनन्य सिविल अधिकारिता

उपधारा (1) बंगाल आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887, (13, 1887), प्रान्तीय लधु हेतुक न्यायालय अधिनियम, 1887 (89, 1887) और सिविल प्रकिया संहिता, 1908, (5, 1908) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अधिनियिम के प्रावधानों के अध्याधीन, ग्राम कचहरी की न्यायापीठ की निम्निलिखित श्रेणी के वादों को सुनने और अवधारित करने का अधिकार होगा, अर्थात्-

(क) जब कि ग्राम कचहरी में दर्ज किये गये मुकदमों का मूल्य दस हजार रूपये से अधिक ने हो यथा।

¼i) संविदा पर देय धन के लिए वाद:

¼ii) चल सम्पत्तिा या ऐसी सम्पति के मूल्य की वसूली के लिए वाद:

¼iii) लगान की वसूली के वाद: और

(iv) चल सम्पत्तिा को सदोष ग्रहन करने या उसे क्षति पहँचाने के चलते प्रतिकार के लिए, या पशु-अतिचार से क्षतिग्रस्त सम्पत्तिा के लिए वाद।

(ख) वाद बंटवारा के सभी मामलों, सिवाय उन वादों के जहाँ विधि का जटिल प्रश्न या टाइटिल अंतर्ग्रस्त हो:।

किन्तु, जहाँ ग्राम कचहरी का विचार में किसी बँटवारा के किसी वाद में विधि का जटिल प्रश्न या टाईटिल का मामला सन्निहित है तो ग्राम कचहरी ऐसे वाद को समक्ष अधिकारता वाले न्यायालय को अन्तरित कर देगी: परन्तु खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) के अधीन उपर्युक्त प्रकार के वाद के पक्षकार, वाद के मूल्य को ध्यान में रखे बिना, लिखित करार द्वारा निर्णय के लिए न्यायपीठ को वाद निर्दिष्ट कर सकेगा और न्यायपीठ को काई नियमों के अध्याधीन उक्त वाद की सुनवाई करने ओर उसकी अवधारणा करने की अधिकारिता होगी।

घारा-111

ग्राम कचहरी के न्यायपीठ नीचे लिखे गये वादों की सुनवाई नहीं करेगी- धारा 110 में अन्तर्विष्ट से किसी प्रतिकूल वाद के होते हुए भी कोई भी वाद ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ के द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(क) साझेदारी लेखा, अतिशेष पर,

(ख) निर्वसीयतता के अधीन शेयर या शेयर के भाग के लिए वसीयत के अधीन वसीयत संपदा या संपदा के भाग के लिए, या

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार या अपनी पदीय हैसियम से ऐसे सरकारी सेवकों द्वारा या उसके विरूद, या

(घ) नाबलिग या विकृत चित के व्यक्तियों द्वारा या उसके विरूध्द, या

(ड़) अचल सम्पत्ति के लगान के निर्धारण, वृद्धि कमी, उपशमन या प्रभाजन के लिए या

(च) पुरोबंध द्वारा बंधक लागू करने के लिए अचल सम्पति के बंधक का या बंधक के मोचन के लिए सम्पत्ति की बिक्रीः या

(छ) अचल सम्पत्ति में अधिकार, टाइटील और हित की आवधारण के लिए,

(ज) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जिसमें इस अधिनियम के प्रवृत हाने के पूर्व समक्ष अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में कार्यवाही लंबित हो, या

(झ) ग्राम पंचायत में मुखिया, या कार्यपालिका समिति के किसी सदस्य, सरपंच या पंच के विरूद्ध वाद आता हो।

विषय वस्तु:- ग्राम कचहरी के दिवानी मामलों का दायर कि जाना एवं ट्रायल (ग्राम कचहरी संचालन नियामावली, 2007 का नियम 20-28 एवं (बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 101, 102, 103, एवं 110)

यह 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। इसके कुछ प्रावधान तुरन्त प्रभाव के साथ लागू किए गए यानि लोक प्राधिकारियों की बाध्यता [एस. 4(1)], लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम [एस. 5(1)], केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, (एस. 12 व 13), राज्य सूचना आयोग का गठन (एस. 15 व 16), अन्वेषण/जाँच एजेंसी और सुरक्षा संगठनों पर अधिनियम का लागू न होना (एस. 24) और इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार।

सूचना का मतलब है- रिकार्ड, दस्तावेज़, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉग पुस्तिकाएँ, ठेके, टिप्पणियाँ, पत्र, उदाहरण, नमूने, डाटा सामग्री सहित कोई भी सामग्री, जो किसी भी रूप में उपलब्ध हों। साथ ही, वह सूचना जो किसी भी निजी निकाय से संबंधित हो, किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है, बशर्तें कि उसमें फाईल नोटिंग शामिल नहीं हो।

इसके अंतर्गत निम्न चीजें आती है-

कार्यों, दस्तावेज़ों, रिकार्डों का निरीक्षण,

दस्तावेज़ों या रिकार्डों की प्रस्तावना/सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना,

सामग्री का प्रमाणित नमूने लेना,

रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेपों, वीडियो कैसेटों के रूप में या कोई अन्य ईलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त करना

॥ ३० जानेवारी दिनविशेष ॥

शहीद दिन - भारत.

घडामोडी

१९४८ - नथुराम गोडसेने महात्मा गांधींचा पिस्तुलाने खून केला.

१९९४ - पीटर लोको बुद्धिबळातील सगळ्यात लहान ग्रँडमास्टर झाला.

२००२ - भारतातील गरीब मुलांवर जवळजवळ ५७ हजार प्लॅस्टिक सर्जरी करणारे अनिवासी भारतीय डॉक्टर शरदकुमार दीक्षित यांना एनआरआय ऑफ द इयर २००१ हा पुरस्कार जाहीर.

जन्म

१९१० - चिदंबरम् सुब्रमण्यम्, भारतीय राजकारणी.

मृत्यू

१९४८ - महात्मा गांधी. १९९६ - गोविंदराव पटवर्धन, हार्मोनियम व ऑर्गन वादक.

२००० - आचार्य जनार्दन हरी चिंचाळकर, मानववंशशास्त्रज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते.

२००१ - प्रा. वसंत कानेटकर, ज्येष्ठ नाटककार.

२००४ - रमेश अणावकर, प्रसिद्ध गीतकार.

कोणत्याही संस्थेचा/संघटनेचा अध्यक्ष/पदाधिकारी/सदस्य कसा असावा..

1)संघटनेची तत्वप्रणाली-
त्याला मान्य असावी. संघटनेचे अंतीम ध्येय, उद्दीष्ट्य त्याला माहित असावे.

2)समाजाबद्दल आपुलकी असावी.
संघटनेच्या कार्कर्त्यांबद्दल त्याच्या मनात सद्भावना, प्रेम, आदरभाव असावा.

3)स्वत:च्या समाजाचा पूर्वेतिहास त्याला माहीत असावा. कारण जो इतिहास विसरतो तो इतिहास घडवू शकत नाही असे म्हटले जाते.

4)कार्यकर्ता हलक्या कानाचा नसावा. संघटनेचा नेता आणि उध्दीष्ठ यावर त्याचा ठाम विश्वास असायला हवा.

5) कार्यकर्त्याच्या ठायी अहंभाव नसावा. दुसर्या कार्यकर्त्याचा व त्याच्या कामाचा सन्मान/आदर करणारा असावा.

6) पदलोभी नसावा-
पदाची लालसा असलेले कार्यकर्ते शत्रुंपेक्षाही घातक असतात. ते स्वतःही संघटन वाढवीत नाहीत आणि इतरांनाही वाढवू देत नाहीत. संघटन फक्त लेटरपॅडवर शिल्लक राहते.

7) आकलनशक्ती-
नेत्याच्या ‘सूचक’ शब्दांचा अर्थ समजला पाहिजे. Read between the lines दर्जाची आकलन क्षमता असावी.

8) सूक्ष्म निरीक्षण-
कार्यकर्त्याकडे सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति असावी. सर्वच समाजात घडणा-या लहानमोठ्या घटनांची त्याने नोंद घ्यायला हवी.

9) भाषण व संभाषण चातुर्य- आपल्या मधुर वाणीने मुद्दा पटवून देण्याचे चातुर्य कार्यकर्त्याने अवगत करावे.

10) आत्मविश्वास-
निराश मनोवृत्ती नको.अपयशाचे यशात रूपांतर करतो, तोच खरा लढवय्या, नाहीतर ‘रडवय्या’. कार्यकर्त्याच्या डिक्शनरीत ‘निराशा’ हा शब्दच नसतो. दुर्बल परिस्थितीशी जुळवून घेतात. पराक्रमी परिस्थिती हवी तशी बनवण्यासाठी लढा देतात.

11) परिश्रम, चिकाटी आणि सातत्य-
ध्येय गाठण्यासाठी इतरांपेक्षा जास्त परिश्रम करण्याची तयारी हवी. प्रयत्नांत सातत्य हवे.धरसोड नको.

12) कार्यकर्ते जोडणारा-
कार्यकर्ते जोडणारा असावा. तोडणारा नको. प्रभावी संघटन हिच संघटनेची शक्ति असते.

13) कार्यकर्ते हेरणारा व व्यक्तीपरीक्षक-
कर्तृत्वशाली, सदाचारी आणि प्रभावी व्यक्तींना हेरून त्यांना संघटनेत सामील करण्याचे कौशल्य नेत्याकडे हवे.
चांगले काम करणारा कार्यकर्ता पुढे जात असेल तर त्यावर खोटे आरोप करुन त्याला बाजूला करण्याचा प्रयत्न कदापी करु नका…

14) शिस्त व वेळ पाळणारा पाहिजे.

15) त्याला उपलब्ध साधनांचा काटकसरीने व कौशल्याने वापर करता यावा.

16) श्रेय लाटण्याची मनोवृत्तीचा नसावा. धोकेबाज नसावा.

17) कार्यक्रमाचे आयोजन करता यावे. संघटनेचे विविध उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी स्वीकारावी. पुढाकार घ्यावा. किमान संघटनेच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांमध्ये त्याचा सक्रीय सहभाग असावा.

18) समताप्रेमी व समर्पित मनोवृत्तीचा असावा. श्रमाची लाज वाटू नये.

19) अभ्यासू, चिकित्सक व संशोधक वृत्तीचा असावा.

20) गुप्तता- संघटनेतील काही गुप्त गोष्टी गुप्तच ठेवणारा असावा.

21) कार्यकर्त्याला संघटनेचा व स्वतःचा विचार दुस-यांस पटवून देता यायला हवा.

22)प्रसिद्धी व प्रतिष्ठा यांस हपापलेला नसावा.

23) अंधश्रद्धाळू नसावा.

24)संघटनेसाठी वेळ, बुद्धी, धन, श्रम, कौशल्य हे 'पंचदान' देणारा असावा

25)संघटना समाजातील सर्वांच्या भल्यासाठी आहे.स्वतःच्या भल्यासाठी नाही…

26) योग्य वेळेस कार्यकर्त्याने केलेल्या कामाचे कौतुक करणारा नेता असावा

27) कार्यकर्त्यांवर कामाची जबाबदारी देवुन त्यांच्यावर परीपुर्ण विश्वास ठेवणारा नेता असावा

ज्या संघटनेकडे वरील गुणधर्म असलेले कार्यकर्ते असतात; त्या संघटनेला जगात तोड नसते.

आपल्यालाही आपलं संघटन मजबूत बनवायचं असेल तर वरील गुणधर्म कार्यकर्ता / नेता म्हणून अंगीकारणे अत्यावश्यक आहे

धारा-107

धारा-107 के तहत ग्राम कचहरी को एक हजार रूपये तक जुर्माना करने की शक्ति दी गई है। ग्राम कचहरी निंकुश न हो जाये इसकें लिए यह प्रवाधान किया गया है कि ग्राम कचहरी को करावास की सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। झुठा या तुच्छ या परेशान करने वाला अभियोग लगाने पर प्रतिकर अदा करने का निदेश दिया जा सकता है।

ग्राम कचहरी अपनी सिविल अधिकारिता के तहत धारा-110 के अनुसार दस हजार रूपये से कम सम्पत्ति, लगान की वसूली, चल सम्पत्तिा को क्षति पहुँचाने, पशु अतिचार एवं बँटवारा के मामला से सम्बंघित होगा। बँटवार के सभी मामले सुने जायेगे। धारा-111 के तहत कुछ प्रतिबंध भी लगाये गये है ताकि न्यायालय की अक्षुण्णता एवं गरिमा भी बनी रहे।

ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के निर्णय के खिलाफ 30 दिनों के भीतर ग्राम कचहरी की पूर्ण पीठ के समक्ष अपील दायर किये जाने का प्रावधान धारा-112 के तहत है। पूर्ण पीठ की सुनवाई 7 पंचों के द्वारा की जाएगी।

ग्राम कचहरी की पूर्ण पीठ के निर्णय के विरूद्ध अपील 30 दिनों के भीतर सिविल मामले में अवर न्यायधीश के समक्ष एवं आपराधिक मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश के समक्ष दायर की जायेगी।

धारा-113

धारा-113 के तहत किसी थाना के प्रभारी पदाधिकारी को भी ग्राम कचहरी के द्वारा विचारणीय कोई भी अपराध के सूचना दिये जाने को प्रावधान है।

धारा-114

धारा-114 के तहत जब कभी भी किसी न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि मामला ग्राम कचहरी के द्वारा विचारणीय है तो मामला उसकी अधिकारिता को अंतरित कर देगा।

परिचय

भारत गाँवों का देश है। देश की अधिकांश जनता गाँवों में बसती है। ग्रामवासी अशिक्षा एवं गरीबी के शिकार हैं। ग्रामीण विकास हेतु सरकार कटिबध्द है। ग्राम वासियों का सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम वासियों को अपने विश्वास एवं वौट से चुने गये जन प्रतिनिधियों के द्वारा उनके दरवाजे पर ही अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो बिना किसी उलझन एवं परेशानी के, बिना किसी अनावश्यक खर्च के न्याय प्राप्त हो सके। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने यह सपना संजोया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-40 में यह वर्णित है कि राज्य सरकार पंचायत का गठन करेगी एवं पंचायत को स्वायत्ता इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति एवं अधिकार प्रदान करेगी। संविधान निर्माताओं के इस अभिलाषा को साकार करने हेतु वर्ष 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम में विशेष व्यवस्था की गई।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-90 के तहत ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान है। ग्राम कचहरी के कुल पंचों के कुल स्थानों का 510 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए धारा-91 के तहत आरक्षित किए गए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य समाज के दबे, कुचले, उपेक्षित एवे अवसरहीनता के शिकार लोगों को मुख्य धारा में लाना है एवं समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे लोगों को यह एहसास दिलाना है कि सरकार में उनकी भागीदारी की अहम भूमिका है। महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

ग्राम कचहरी की अवधि पांच वषें तक की होगी । ग्राम कचहरी का सरपंच ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा चुना जाएगा। सरपंच के साथ-साथ उप सरपंच का भी निर्वाचन होगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। सरपंच के पद के लिए कुल पदों के 50 प्रतिशत के निकटतम स्थान आरक्षित किए गए हैं ताकि समाज के उपेक्षित लोगों की भागीदारी मुख्य रूप से हो सके।

ग्राम कचहरी में एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी एवं ग्राम कचहरी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए न्याय मित्र की नियुक्ति करेगा, जो विधि स्नातक होंगे। सरपंच, उप-सरपंच एवं पंचों को सरकार की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था धारा-94 के तहत की जाएगी।

सरपंच ग्राम कचहरी का उध्यक्ष होगा। किसी भी व्यक्ति के आवेदन एवं पुलिस रिपोर्ट पर केस एवं मामला दर्ज होगा। ग्राम कचहरी पक्षकार एवं गवाह की उपस्थिति उसी तरीके से करायेगा, जिस तरीके से न्यायालय करती है।

सरपंच तथा उप-सरपंच को तथाकथित अनियमितता बरतने पर हटाये जाने का भी प्रावधान है ताकि परिस्थिति विशेष में वे निरंकुश न हो जायें एवं कानून की मान्यताओं के खिलाफ कार्य करना शुरू न कर दें। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी सरपंच को हटाने का प्रावधान धारा-96 में किया गया है। ग्राम कचहरी का कोई भी पंच अपने पद का त्याग कर सकता है। आकस्मिक रिक्ति को भी पूरा किए जाने को प्रावधान है।

कोई भी केस या मामला सरपंच के समक्ष दायर किया जाएगा एवं संबंधित पक्षकार को भी ग्राम कचहरी के पंचों में से दो पंच चुनने का अधिकार है ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि अपने चुने गये पंच के माध्यम से न्याय की प्राप्ति हो सकें एवं न्यायिक प्रक्रिया में ग्राम वासियों की आस्था बनी रहें।

ग्राम कचहरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्राम वासियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखना है। यह अनिवार्य रूप से स्थापित किया गया है कि ग्ारम कचहरी की न्यायपीठ किसी भी मामले की सुनवाई करते समय पक्षकारो के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास करेगी। गाँवों में शिक्षा की कमी एवं गरीबी के कारण आये दिन कोई-न-कोई विवाद हुआ करते हैं एवं ग्राम वासी जटिल कानूनी प्रक्रिया के चक्कर मं फँस जाते हैं एवं बाद में चाहते हुए भी आपस में समझौता न कर पाते है। इसलिए इन मुद्दों को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम यह प्रावधान किया गया कि किसी भी मुद्दे या विवाद को सामने आने पर ग्राम कचहरी का दायित्व होगा कि पक्षकारें के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार कर समझौता कराए ताकि ग्राम वासियों की मेहनत की कमाई का पैसा उनके विकास पर खर्च हो न कि कानून की जटिल प्रक्रियाओं पर।

यदि ग्राम कचहरी समझौता कराने में पूर्णत: विफल रहती है, तो वैसी स्थिति में ग्राम कचहरी में ही, जो ग्राम वासियों के समीप में ही होता है, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरे मामले की जाँच कर अपना निर्णय देगा। निर्णय लिखित रूप में होगा एवं इस पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा।

ग्राम कचहरी को दो तरह की अधिकारिता दी गई है। धारा-106 एवं 107 के तहत दाण्डिक अधिकारिता दी गई है एवं इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि् वर्त्तमान न्यायिक व्यवस्था में न्यायालय वादों के निष्पादन में वर्षे बरस लगा रहा है, ग्राम कचहरी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-140, 142, 143, 144, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294(ए), 332, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506, एवं 510 के तहत किए गए अपराधों के लिए केस को सुनने एवं निर्णय देने के अधिकारिता होगी। ये धराएं मुख्यत: विधि के विरूध्द जमाव से विखर जाने के आदेश दिए जाने के बाद भी उसमें बंधे रहने, बलवा करने के लिए उकसाना, दंगा करने के लिए उकसाना एवं दंगा करना, सम्मन की तामिल से फरार हो जाना, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, शपथ से इनकार करना, लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना, उपेक्षपूर्ण कार्य करना, जिससे संकट पूर्ण रोग का संक्रमण संभव हो, जलाशय को कलुषित करना, लोगो मार्गमें बाधा पहुँचाना, अग्नि के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, आचरण, विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, जीव-जन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, लोक न्यूसेन्स करना, अश्लील कार्य एवं गाने गाना एवं लौटरी कार्यालय रखना, किसी को चोट पहुँचाना, स्वेच्छापूर्वक किसी को किसी के प्रकोप पर चोट पहुँचाना, वैसा कार्य करना जिससे दूसरे को संकट हो, किसी को अवरोधित करना, अपराधिक बल काप्रयोग करना, किसी व्यक्ति का गलत ढंग़ से रोक रखने में आपराधिक बल का प्रयोग करना, मिसचिफ कराना, सम्पत्तिा करना (रिष्टि), जीव-जन्तु का वध करना, जल को क्षति करना, आपराधिक अतिचार कना, गृह अतिचार करना, मानहानि कारक समान रखना या बेचना, लोक शान्ति भंग करना, आपराधिक अभित्रास करना, लोक स्थान में शराब पीना से संबंधित है। इसके अलावे पशु अतिचार अधिनियम एवं लोक धूत अधिनियम से संबंधित मामले को भी सुनने का अधिकार ग्राम कचहरी को दिया गया है।

भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-186

अगर कोई शख्स सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 186 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। उसे तीन महीने तक की कैद और 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-292

समाज में अश्लीलता फैलाना भी संगीन गुनाह की श्रेणी में आता है। अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र या फिल्मों को दिखाना,वितरित करना और इससे किसी प्रकार का लाभ कमाना या लाभ में किसी प्रकार की कोई भागीदारी कानून की नजर में अपराध है और ऐसे अपराध पर आईपीसी की धारा 292 लगाई जाती है। इसके दायरे में वो लोग भी आते हैं जो अश्लील सामग्री को बेचते हैं या जिन लोगों के पास से अश्लील सामग्री बरामद होती है। अगर कोई पहली बार आईपीसी की धारा 292 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की कैद और 2 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार या फिर बार-बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद और 5 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-294

सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील गाना गाने पर आईपीसी की धारा 294 लगाई जाती है। इस मामले में गुनाह अगर साबित हो जाए तो तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-302

आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर कत्ल का दोष साबित हो जाता है, तो उसे उम्रकैद या फांसी की सजा और जुर्माना हो सकता है। कत्ल के मामलों में खासतौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इसमें, पुलिस को सबूतों के साथ ये साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने किया है, उसके पास कत्ल का मकसद भी था और वो कत्ल करने का इरादा रखता था।

भारतीय दंड संहिता धारा 3

भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३ ऐसे अपराधो की सजा के बारे में है जो की भारत से बहार किये गए है पर कानून के अनुसार उन्हें भारत में ही पेश किया जायेगा व यही उनकी सुनवाई होगी. इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसपे की यह दंड संहिता लागू होती है के द्वारा किये गए किसी भी अपराध के बारे में, भले ही वोह भारत से बहार किये गए हो की सुनवाई व सजा भारत में होगी।

भारतीय दंड संहिता, 1860 में धारा 34

आम इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया कृत्यों [अधिनियम - एक आपराधिक कृत्य सभी की आम इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जब यह लड़का उसके द्वारा किया गया है, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक में एक ही तरीके है कि अधिनियम के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय दंड संहिता की (IPC)धारा-120 ए और 120 बी

किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए साझा साजिश यानी कॉमन कॉन्सपिरेसी का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120ए और 120बी का प्रावधान है। जिस भी मामले में आरोपियों की संख्या एक से ज्यादा होती है, तो पुलिस की एफआईआर में आमतौर पर धारा 120ए का जिक्र जरूर होता है। यह जरूरी नहीं है कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे। किसी साजिश में शामिल होना भी कानून की निगाह में गुनाह है। ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्रकैद या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120 बी के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलेगी। अन्य मामलों में यह सजा छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-153 ए

आईपीसी की धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153 (ए) के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश 2014 द्वारा संशोधनों की सूची

सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की सूची नीचे दी जा रही है जिन पर मूल कानून में विचार नहीं किया गया।

अध्यादेश में स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स (नई धारा 10A) का गठन किया गया जो मंजूरी की अनिवार्यता से अलग है। सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट जरूरतों की विशेषज्ञ समूह द्वारा समीक्षा की गई और बहु-फसली/कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण में इसे शामिल किया गया। श्रेणी के पांच चीजों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोरों और बुनियादी ढांचा और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शामिल किया गया। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत परियोजनाएं भी शामिल हैं। चूंकि ज्यादातर अधिग्रहण इन दो श्रेणियों में आते हैं, इसलिए यह 2013 के मूल कानून के तहत निहित सुरक्षा उपायों को पूरी तरह समाप्त करने के प्रभाव से संबद्ध हैं।

रीट्रोस्पेक्टिव क्लॉज की धारा 24(2) में भी संशोधन किया गया। यह धारा इस कानून के प्रभावी होने के बाद से ही बेहद सक्रिय है और रोक आदेश पारित होने की स्थिति में मुकदमेबाजी के तहत खर्च होने वाले समय को अलग रखने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की मुआवजा दिये जाने की तय परिभाषा को भी समाप्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चुकाए जाने वाले मुआवजे को अदालत में जमा रकम के रूप में परिभाषित किया था। नई धारा में कहा गया है कि इस मकसद के लिए किसी खाते में चुकाई जाने वाली रकम पर्याप्त है।

'निजी इकाई' की परिभाषा को बढ़ा कर इसमें स्वामित्व, भागीदारी, कंपनियों, निगमों, गैर-लाभकारी संगठनों और कानून के तहत अन्य संस्थाओं को शामिल किया गया है।

डिफॉल्ट नौकरशाहों को अब सिर्फ अभियोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद ही अभियोग के दायरे में लाया सा सकेगा। गैर-संशोधित कानून में कानून के कार्यान्वयन के लिए काम कर रहे अधिकारियों के लिए नियमों के उल्लंघन के मामले में उन्हें दंडित करने के प्रावधान के साथ बड़ी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। हालांकि नई सरकार ने सिर्फ सरकार से मंजूरी के बाद ही उनके अभियोग की अनुमति के लिए संबद्ध धारा (धारा 87) में संशोधन किया है। अब अधिकारी जिम्मेदारी के सीमित भय के साथ कानून के कार्यान्वयन में आगे आ सकते हैं।

गैर इस्तेमाल वाली जमीन लौटाने के लिए प्रावधानों को छोटा बनाया गया है। अधिग्रहीत भूमि उसके मूल मालिक को लौटाए जाने की तय समय सीमा को कमजोर बना दिया गया है। गैर-संशोधित कानून में जोर देकर यह कहा गया है कि यदि भूमि का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो भूमि (मूल मालिक या सरकारी भूमि बैंक को) पांच साल बाद लौटाई जानी चाहिए। हालांकि अध्यादेश में पांच साल की अवधि को अस्वीकार करने वाले क्लॉज में संशोधन किया गया है और अधिग्रहणकर्ता को वैकल्पिक रूप से किसी परियोजना की स्थापना के लिए विशेष अवधि मुहैया कराने की अनुमति दी गई है। इसका प्रभाव यह होगा कि अधिग्रहणकर्ता बगैर किसी जवाबदेही के किसी परियोजना को पूरा करने के लिए लंबी और पर्याप्त अवधि निर्धारित कर सकेगा।

कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार को मिले विशेष अधिकारों में इजाफा किया गया है। गैर-संशोधित कानून ने सरकार को दो वर्षों के लिए पारित होने के बाद कानून के कार्यान्वयन के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने का अधिकार दिया है। संभावित दुरुपयोग के संदर्भ में समयावधि एक महत्वपूर्ण सीमा है और इसे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया कि सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रामाणिक रूप से और अप्रत्याशित परिस्थितियों में करेगी। हालांकि मौजूदा सरकार ने इस समयावधि को बढ़ा कर पांच साल कर दिया है। इससे सरकार को अधिनियम की अपनी व्याख्या का समर्थन करने के लिए किसी जरूरी कदम के लिए बाकी अधिकारों के इस्तेमाल की अनुमति मिली है।

ये सभी संशोधन उस कानून की भावना के उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सरकारी तंत्र को नहीं बल्कि सामान्य आदमी को सशक्त और मजबूत बनाए जाने पर केंद्रित है। जबरन अधिग्रहण की व्यवस्था को सीमित करने वाले इस कानून का लक्ष्य काफी हद तक कम आंका गया है।

परिणाम

इस संशोधन का तुरंत और संभावित प्रभाव यह है कि भूमि अब उन अधिग्रहण-पूर्व प्रक्रियाओं के बगैर बड़ी तादाद में परियोजनाओं के लिए खरीदी जा सकेगी जिनसें सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट (एसआईए) और प्रभावित परिवारों से पूर्व सहमति का निर्धारण शामिल है। सहमति और सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट प्रक्रियाओं को कानून के डीएनए में शामिल करने के पीछे कारण थे। जमीन अधिग्रहण राज्यों द्वारा जबरन इस्तेमाल का एक माध्यम बन गया था। अधिग्रहण लगभग हमेशा ही जबरन होता था जिससे दंगों और विरोध को बढ़ावा मिल रहा था। सरकार द्वारा 70 से 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति हासिल करने की जरूरत के साथ 2013 के कानून में उन लोगों को सशक्त बनाया गया है जो राज्य द्वारा ताकत के मनमाने इस्तेमाल से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।

स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार भारत में नागरिकों को यह एहसास करने का मौका मिला है कि सरकार उनकी भूमि के साथ किस तरह का रवैया अपनाएगी। जमीन अधिग्रहण पर नया अध्यादेश लाकर सत्तारूढ़ पार्टी ने हमें ब्रिटिश काल में लागू कानून के दिनों में ला खड़ा किया है।   विभिन्न लोगों द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि गैर-संशोधित कानून को अभूतपूर्व राष्ट्रीय तौर पर परामर्श के बाद लागू किया गया है जिसमें दो साल लगे। इसके लिए दो सर्वदलीय बैठकें आयोजित हुई।

कोसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैजसकतै है या-"email.anilhinger@hrfofindia.org"-- www.hrfofindia.org   से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

परिचय

भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन करते हुए भारत सरकार ने 31 दिसंबर, 2014 को एक नया अध्यादेश पेश किया। यहां हम इस कानूनी बदलाव के महत्व और परिणाम की चर्चा करेंगे

नई सरकार के सत्ता संभालने के तुरंत बाद यह साफ हो गया था कि जमीन अधिग्रहण कानून में जल्द बदलाव किए जाएंगे। यह घटनाक्रम राजनीतिक अभियान के जरिये एक मुख्य मुद्दा बन गया और जमीन अधिग्रहण इन चर्चाओं का एक अहम हिस्सा।

लोगों ने इसे काल्पनिक चुनौतियों का रूप दिए जाने से पहले ईमानदारी से अमल में लाए जाने के लिए प्रेस में काफी कुछ लिखा। किसानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने भी इसको लेकर आवाजें उठाई जिन्होंने सरकार को कानून में संशोधन करने से रोकने के मकसद से रैलियां आयोजित की।

संशोधन की पृष्ठभूमि और समयावधि

29 दिसंबर, 2014 को भारत सरकार की आधिकारिक मीडिया इकाई, प्रेस इन्फॉर्मैशन ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इस विज्ञप्ति में बिना किसी तथ्य के यह घोषित किया गया था कि 'इसके (कानून के) अमल में कई दिक्कतें आ रही हैं।' विज्ञप्ति में आगे कहा गया, 'इन दिक्कतों को दूर करने के लिये कानून में कुछ संशोधन किये गये हैं जो 'प्रभावित परिवारों' के हितों को सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को और मजबूत बनाएंगे।' इस विज्ञप्ति में उन संशोधनों की सामान्य तस्वीरें पेश की गई। यह आधिकारिक अध्यादेश लाये जाने से दो दिन पहले की बात है जब इसकी जानकारी लोगों को दी गई। प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया कि सिर्फ दो संशोधन ही किए जाएंगे।

पहला संशोधन कानून में मुआवजे और पुनर्वास एवं पुन:स्थापन के प्रावधान लागू किए जाने के संबंध में, जिसे चौथी अनुसूची के तहत अलग रखा गया था। गैर-संशोधित कानून के अंतर्गत, सिर्फ सहमति और सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट क्लॉज को अलग रखा गया था जिसमें चौथी अनुसूची में 13 कानूनों को शामिल किया गया था। यह व्यवस्था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अस्थायी उपाय के तौर पर की गई थी कि कुछ परियोजनाएं जरूरी थीं, और अन्य की तुलना में अधिक योग्य थीं। इस सूची में रेलवे, नेशनल हाईवे, परमाणु ऊर्जा, बिजली आदि के उद्देश्य के लिए अधिग्रहण शामिल थे। यहां तक की इन 13 कानूनों में भी एक साल के भीतर यानी 31 दिसंबर 2014 तक संशोधन किए जाने थे

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुआवजा, पुनर्वास और पुन:स्थापन क्लॉज को नए कानून (संशोधित कानून की धारा 105 देखें) के समान लाया जा सके। क्योंकि संशोधन की यह जरूरत कानून में

तब शामिल की गई थी जब इसे पारित किया गया और यह पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं थी। दरअसल, यह एक ऐसा जरूरी सुरक्षा उपाय था जिसमें अधिग्रहण विकल्प निर्धारित करने की विभिन्न विधियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरा संशोधन उन परियोजनाओं की नई श्रेणी बनाए जाने से संबंधित था जिन्हें प्रभावित परिवारों की सहमति से अलग रखा जाएगा। इन परियोजनाओं को सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट प्रोसेस में निर्धारित

मानकों पर जांचे जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इन नई श्रेणियों (नई धारा 10A द्वारा शामिल) में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (PPP परियोजनाएं शामिल) जैसी अस्पष्ट शब्दावली को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और गरीबों के लिए आवासीय सुविधा के सार्वजनिक उद्देश्यों को शामिल किया गया है। श्रेणी बनाने का औचित्य कभी पेश नहीं किया गया। गैर-संशोधित कानून में दी गई रियायतें लगातार सार्वजनिक परामर्श का परिणाम थीं और कुछ हद तक समझौताकारी भी। अध्यादेश के मामले में, रियायतें बगैर किसी स्पष्टीकरण के ही तैयार की गईं। प्रेस विज्ञप्ति में भ्रामक तौर पर यह भी सुझाव दिया गया कि ये उपाय रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण को आसान बनाएंगे। हालांकि यह दावा किए जाने के संदर्भ में किसानों ने इस तथ्य की अनदेखी की कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अर्जेंसी क्लॉज के तहत अधिग्रहण पहले से ही सुरक्षित है।

जिस तरीके से संशोधन को पेश किया गया यह अनौपचारिक रुप से उसका एक डरावना पक्ष था। लोगों की राय लेकर बनाये जाने वाले कानून के लिए कोई मसौदा व्यापक तौर पर लोगों के साथ साझा नहीं किया गया था। लोगों से उनकी राय/टिप्पणी आमंत्रित करने की जरूरत को नजरअंदाज किया गया और कानून को अधिकारियों और मंत्रालय स्तर के प्रतिनिधियों के एक वर्ग द्वारा तैयार किया गया। कई समूहों को इस कानून में संशोधन से पहले अपनी बात रखने के लिये संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ को ही इसका अवसर मिला। यह तर्क दिया जा सकता है कि

वे इस संशोधन प्रक्रिया के लिए हिस्सेदार नहीं थे। सरकार के पास संसद में इस विधेयक को पेश करने में विफल रहने के कई कारण थे। संसद के समक्ष इस संबंध में कोई आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जब अध्यादेश की घोषणा हुई और चार दिन के बाद इसे लागू कर दिया गया तो सभी हैरान रह गये।

किसी भी तरह कि जानकारी होतो आप अपने ईमेल कर सकतै हो
email anil.hinger@hrfofindia.org "-- www.hrfofindia.org   से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

दहेज है स्त्री धन

दहेज का अभिप्राय विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी गई चल-अचल संपत्ति से है। दहेज को स्त्री धन कहा गया है। विवाह के समय सगे-संबंधियों, नातेदारों आदि द्वारा दिया जाने वाला धन, संपत्ति व उपहार भी दहेज के अंतर्गत आता है. यदि विवाह के बाद पति या पति के परिवार वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर दूसरे पक्ष को किसी किस्म का कष्ट, संताप या प्रताडऩा दे तो स्त्री को यह अधिकार है कि वह उक्त सारी संपत्ति को पति पक्ष से वापस ले ले.

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-27 स्त्री को इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। वर्ष 1985 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फाजिल अली ने अपने एक फैसले में निर्णय दिया था कि स्त्री धन एक स्त्री की अनन्य संपत्ति है. यह संपत्ति पति पक्ष पर पत्नी की धरोहर है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। इसका उगंघन दफा-406 के तहत अमानत में ख्यानत का अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। इस निर्णय की वजह से धारा-27 की समुचित व्याख्या हो गई है।

कानूनन स्त्री की सुरक्षा

क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की धारा 498 क के अनुसार, एक विवाहित स्त्री पर उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किया गया अत्याचार या क्रूरता का व्यवहार एक दंडनीय अपराध है। विधि में यह प्रावधान भी है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर यदि पत्नी आत्महत्या कर लेती है या उसकी मौत किसी संदिग्ध परिस्थिति में हो जाती है तो काननू के दृष्टिकोण से यह धारणा बलवती होती है कि उसने यह कदम किसी किस्म की क्रूरता के वशीभूत होकर उठाया है।

पत्नी द्वारा किया जाने वाला अत्याचार

अदालत में स्त्री को मिली कानूनी सुरक्षा का माखौल उड़ते भी देखा गया है. अपने पूर्व के प्रेम संबंध, जबरदस्ती विवाह, आपस में सामांजस्य नहीं बैठने या किसी अन्य कारणों से स्त्री इन सात वर्षों में आत्महत्या की धमकी देते हुए पति का मानसिक शोषण करने की दोषी भी पाई गई हैं. जबरदस्ती दहेज प्रताडऩा में पूरे परिवार को फंसाने का मामला आए दिन सामने आता रहता है।

निष्कर्ष

विवाह वास्तव में एक जुआ की तरह है, यदि दांव सही पड़ गया तो जीवन स्वर्ग, अन्यथा नरक के सभी रास्ते यहीं खुल जाते हैं. अच्छा यह हो कि विवाह के लिए जीवनसाथी का चुनाव लड़का-लड़की खुद करे यानी प्रेम विवाह करे और विवाह होते ही कम से कम सात साल तक दोनो अपने-अपने परिवार से अलग

आशियाना बसाए. देखा गया है कि पारिवारिक हस्तक्षेप के कारण ही एक लड़का-लड़की का जीवन नरक बन जाता है पारंपरिक अरेंज मैरिज में भी मां-बाप बच्चों की शादी कर देने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने दें तो दोनों का जीवन सामांजस्य की पटरी पर आसानी से दौड़ पाएगा।

किसी भी तरह कि जानकारीहोतो आप अपने ईमेल कर सकते हो-- email.--anilhinger@hrfofindia.org --- www.hrfofindia.org--से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824और फोन नम्बर 02225203234

परिचय

आए दिन विवाह टूटने की ऐसी कई वजहें पढने़ को मिलती है. अदालतें ऐसे मुकदमों से भरी पड़ी हैं. कहीं वर पक्ष तो कहीं वधु पक्ष शोषण झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है.

हिंदू विवाह एक संस्कार है- हिंदूओं में विवाह को संस्कार माना गया है, जिसमें विवाह को जन्म-जन्म का रिश्ता कहा गया है. लेकिन लगता है यह सब अतीत की बातें हैं, क्योंकि अब विवाह में शोषण भी दिखता है, हत्याएं भी होती है और एक-दूसरे को नीचा दिखाने का खेल भी चलता है. यहां हम विवाह के संबंध में विधि द्वारा स्थापित कानून की जानकारी दे रहे हैं ताकि वैवाहिक शोषण से निपटने में इसकी जानकारी लोगों के काम आ सके।

विवाह संबंधी अपराध की धारा 493 से 498 तक

* धारा-493: स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास कि वह पुरुष उससे विधिपूर्वक विवाहित है.

* धारा-494: पति-पत्नी में से किसी एक के द्वारा दूसरे के जीवित रहने के बावजूद दूसरा विवाह करना.

* धारा-495: एक पक्ष द्वारा अपने पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर दोबारा से विवाह करना.

* धारा- 496: लड़का या लड़की द्वारा छलपूर्ण आशय से विपरीत पक्ष को यह विश्वास दिलाना कि उनका विवाह विधिपूर्वक मान्य नहीं है।

* धारा-497: जारकर्म.

* धारा- 498: आपराधिक आशस से किसी पुरुष द्वारा विवाहित स्त्री को फुसलाना .

* धारा-498 क: किसी विवाहित स्त्री पर पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार.

वैवाहिक मुकदमों की प्रकृति

कानूनन वैवाहित स्थिति में स्त्री की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है. वैवाहिक मुकदमों की प्रकृति देखें तो अक्सर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष पर दहेज प्रताडऩा, शारीरिक शोषण और पुरुष के पर स्त्री से

संबंध जैसे मामले दर्ज कराए जाते हैं, वहीं वर पक्ष द्वारा स्त्री का किसी गैर मर्द से अवैध संबंध, मानसिक प्रताडऩा जैसे मामला दर्ज कराने के मामले देखे गए हैं.वैसे कई बार अदालत में यह भी साबित हुआ है कि वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को तंग करने के लिए अक्सर दहेज के मामले दर्ज कराए जाते हैं। तिहाड़ के महिला जेल में छोटे-से बच्चे से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक दहेज प्रताडऩा के आरोप में बंद हैं.

किसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है--email.anilhinger@hrfofindia.org"-- www.hrfofindia.org-- से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।

Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

भारतीय दण्ड संहिता 1860

अधिनियम संख्या 45 जो भारत में 7 अक्टूबर 1860 को लागू हुआ। यह जम्मू कश्मीर के सिवाय सम्पूर्ण भारत में लागू है.

विषय सूची

1. प्रस्तावना

2. साधारण स्पष्टीकरण

3. दण्डो के विषय में

4. साधारण अपवाद

5. दुष्प्रेरणा के विषय में

5 क आपराधिक षड्यंत्र

6. राज्य के वीरुध अपराधों के विषय में

7. सेना नौसेना और वायुसेना से संभन्धित अपराधो के विषय में

8. लोक प्रशांति के वीरुध अपराधो के विषय में

9. लोक सेवकों द्वारा या उनसे संभन्धित अपराधों केडबल्यू विषय में

9 च निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

10. लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

11. मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

12. सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों में संभन्धित अपराधों के विषय में

13. बाटों ओर मापों से संबंधित अपराधों के विषय में

14. लोक - स्वास्थ, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

15. धर्म से संभन्धित अपराधों के विषय में

16. मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

17. संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में

18. दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों साबंधी अपराधों के विषय में

19. सेवा सांविदाओ के आपराधिक भंग के विषय में

20. विवाह संबंधी अपराधों के विषय में

20 क पति या पति के नातेदारों दावरा क्रूरता के विषय में

21. मानहानि के विषय में

22. आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

23. अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में

संयुक्त दायित्व

भारतीय दंड संहिता में कुछ ऐसे उपबंध है जो एक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को निर्धारित करते है जो दूसरे अन्य लोगो के साथ मिलकर कोई अपराध करता है. इस प्रकार के दायित्व को संयुक्त दायित्व कहते है.

संयुक्त् दायित्व को प्रदर्शित करने वाली प्रमुख धाराए निम्लिखित है. -----

1-धारा- 34 से 38

2-धारा-149

3-धारा-396

4-धारा-460

धारा-34

जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियो दवारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मनो वह कार्य उसी ने किया हो.

कोई भी जानकारी होतोा ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै हो "email.anilhinger@hrfofindia.org-
- www.hrfofindia.org - से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

धारा 372 भारतीय दंड संहिता

वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचने के बारे में प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुध्द या दुराचारिक प्रयोजन के लिए कम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, या उपभोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(6 धारा के अन्तर्गत 2 स्पष्टीकरण दिये गये हैं। स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत बताया गया है कि जबकि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को, या किसी अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में,जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के उपभोग में लाई जाएगी। स्पष्टीकरण -2 के अन्तर्गत आयुक्त सम्भोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी सम्भोग या बंधन से संयुक्त नहीं कि जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि इस समुदाय की, जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं, जो ऐसे दोनों समुदायों की स्वीय विधि या रूप्ढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश्य सम्बन्ध अभिसात किया जाता है।

धारा 373 भारतीय दंड संहिता

वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्वय का खरीदना आदि के बारे में हैं जो कोई अठारह वर्ष में कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय के बारे में है कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से आयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधि विरुध्द दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपभोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्रेत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बताया गया है कि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाला, भाड़े पर लेने वाला या अन्यथा उसका कब्जा करने वाले तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी नारी का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्रेत किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपभोग में लायी जाएगी।

किसी भी तरह कि जानकारी होतो आप अपने ईमेल करना -- email-hrfofindia@gmail.com & email-anil.hinger@hrfofindia.org"-- www.hrfofindia.org-- से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

धारा 366 भारतीय दंड संहिता

धारा के अन्तर्गत विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहृत करना या उत्प्रेरक करने के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी स्त्री का अपहरण या व्यपहरण उसकी इच्छा के विरुध्द किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या यह विवश की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा आयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश, यह विलुब्ध करने के लिए, यह सम्भाव्य जाने हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि दस वर्ष तक से भी दण्डनीय होगी ।

धारा 366 क भारतीय दंड संहिता

धारा 366 क के अन्तर्गत अप्राप्त लड़की को उपादान के बारे में बताया गया है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को, अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलब्ध किया जाएगा, यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेञ्गी दण्डित किया जाएगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

धारा 366 ख भारतीय दंड संहिता

धारा 366 (ख) के अन्तर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के बारे में बताया गया है कम आयु की किसी लड़की का भारत के बाहर उसके किसी देश से या जम्मू-कश्मीर से आयात उसे किसी अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारवास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

किसी भी जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै -email.anilhinger@hrfofindia.org- www.hrfofindia.org- से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

गर्भपात का कानून

(गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971)

गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात केवल निम्नलिखित स्थितियों में करवा सकती है :

1. जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो ।

2. महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।

3. गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।

4. बच्चा गंभीर रूऽप से विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता हो।

5. महिला या पुरुष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।

-यदि इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद हो तो गर्भवती स्त्री एक डॉक्टर की सलाह से बारह हफ्तों तक गर्भपात करवा सकती है। बारह हफ्ते से ज्यादा तक बीस हफ्ते (पाँच महीने) से कम गर्भ को गिरवाने के लिए दो डॉक्टर की सलाह लेना जरुरी है। बीस हफ्तों के बाद गर्भपात नहीं करवाया जा सकता है।

- गर्भवती स्त्री से जबर्दस्ती गर्भपात करवाना अपराध है।

- गर्भपात केवल सरकारी अस्पताल या निजी चिकित्सा केंद्र जहां पर फार्म बी लगा हो, में सिर्फ रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर द्वारा ही करवाया जा सकता है।

धारा 313

स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने के बारे में कहा गया है कि इस प्रकार से गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 314

धारा 314 के अंतर्गत बताया गया है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किये गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु में दस वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है और यदि इस प्रकार का गर्भपात स्त्री की सहमति के बिना किया गया है तो कारावास आजीवन का होगा।

धारा 315

धारा 315 के अंतर्गत बताया गया है कि शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य से सम्बन्धित यदि कोई अपराध होता है, तो इस प्रकार के कार्य करने वाले को दस वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

अपहरण

किसी नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र सोलह साल से कम है या नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र अट्ठारह साल से कम है, को उसके सरंक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना अपहरण का अपराध है तथा इसके लिए अपराधी को सात साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।
अगर कोई बहला फुसला कर भी बच्चों को ले जाए तो कहने को तो बच्चा अपनी मर्जी से गया, लेकिन कानून में वह अपराध होगा।

अपहरण पर कानून

(धारा 362, 364, 364क, 365, 366, 367, 369 भारतीय दंड संहिता) व्यपहरण: किसी बालिग व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से या बहला फुसला कर किसी कारण से कहीं ले जाया जाए तो यह व्यपहरण का अपराध है। यह कारण निम्नलिखित हो सकते है। जैसे:- फिरौती की रकम के लिए, उसे गलत तरीके से कैद रखने के लिए, उसे गंभीर चोट पहुँचाने के लिए, उसे गुलाम बनाने के लिए इत्यादि।

किसी को भी जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है -email.anilhinger@hrfofindia.org- www.hrfofindia.org- से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

परिचय

भ्रूण का लिंग जाँचः-

भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंग अनुपात के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किए हैं, जो कि निम्न अनुसार हैं:

-गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जाँच करना या करवाना।

- शब्दों या इशारों से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में बताना या मालूम करना।

- गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जाँच कराने का विज्ञापन देना।

- गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चें के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैर कानूनी है।

-कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाएँ बिना प्रसव पूर्व निदान तकनीक(पी.एन.डी.टी.) अर्थात अल्ट्रासाउंड इत्यादि मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकता।

-जाँच केंद्र के मुख्य स्थान पर यह लिखवाना अनिवार्य है कि यहाँ पर भ्रूण के लिंग (सैक्स) की जाँच नहीं की जाती, यह कानूनी अपराध है।

-कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भ्रूण के लिंग की जाँच के लिए किसी भी तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा व इसके साथ ही कोई व्यक्ति लिंग जाँचने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं करेगा।

- गर्भवती महिला को उसके परिजनों या अन्य द्वारा लिंग जाँचने के लिए प्रेरित करना आदि भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने वाली अनेक बातें इस एक्ट में शामिल की गई हैं।

-उक्त अधिनियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर तीन वर्ष की कैद व पचास हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- दूसरी बार पकड़े जाने पर पाँच वर्ष कैद व एक लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है।

लिंग जाँच करने वाले क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाता है।

प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का वित्तिनयमन

इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आनुवंशिक सलाह केन्द्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लीनिकों और इमेजिंग सैंटरों में जहां गर्भधारणपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक से संचालन की व्यवस्था है, वहां जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल निम्न लिखित विकारों की पहचान के लिए ही किया जा सकता हैः-

1. गणसूत्र संबंधी विकृति

2. आनुवंशिक उपापचय रोग

3. रक्त वर्णिका संबंधी रोग

4. लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग

5. जन्म जात विकृतियां

6. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएँ एवं रोग।

इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिए चिकित्सक निम्नलिखित शर्तों को भली प्रकार जांच कर लेवे की गर्भवती महिला के भ्रूण की जाँच की जाने

योग्य है अथवा नहीं:

1. गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक है।

2. गर्भवती स्त्री के दो या दो से अधिक गर्भपात या गर्भस्त्राव हो चुके हैं।

3. गर्भवती स्त्री नशीली दवा, संक्रमण या रसायनों जैसे सशक्त विकलांगता पदार्थों के संसर्ग में रही है।

4. गर्भवती स्त्री या उसके पति का मानसिक मंदता या संस्तंभता जैसे किसी शारीरिक विकार या अन्य किसी आनुवंशिक रोग का पारिवारिक इतिहास है।

5. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसुचित कोई अन्य अवस्था है।

पी.एन.डी.टी.एक्टss 1994 के नजर से अपराधी कौनः

-प्रसव पूर्व और प्रसव धारण पूर्व लिंग चयन जिसमें प्रयोग का तरीका, सलाह और कोई भी उपबंध और जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि लड़के के जन्म की संभावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें आयुर्वैदिक दवाएँ और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा और पूर्व गर्भधारण विधियाँ, प्रयोग जैसे कि एरिक्शन विधि का प्रयोग इस चिकित्सा के द्वारा लड़के के जन्म की संभावना का पता लगता है, शामिल हैं।

-अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन या अन्य तकनीक से गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना, करवाना, सहयोग देना, विज्ञापन करना कानूनी अपराध है।

कोई भी जानकारी होतो आप अपने ईमेल कर सकते हो या आप फोन कर सकते हो--
email anil.hinger@hrfofindia.org"- www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

दहेज हत्या पर कानून

(धारा 304ख, 306भारतीय दंड संहिता)

-यदि शादी के सात साल के अन्दर अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए,

-गैर प्राकृतिक कारणों से, जलने से या शारीरिक चोट से, आत्महत्या की वजह से हो जाए,

-और उसकी मृत्यु से पहले उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ दहेज के लिए क्रूर व्यवहार किया हो,

तो उसे दहेज हत्या कहते हैं। दहेज हत्या के संबंध में कानून यह मानकर चलता है कि मृत्यु ससुराल वालों के कारण हुई है।

भरण पोषण पर कानून

(धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता)

महिला का भरण पोषण

यदि किसी महिला के लिए अपना खर्चा- पानी वहन करना संभव नहीं है तो वह अपने पति, पिता या बच्चों से भरण-पोषण की माँग कर सकती।

विवाह संबंधी अपराधों के विषय में भारतीय दण्ड संहिता 1860,

धारा 493 से 498 के प्रावधान करती है।

धारा 493

धारा 493 के अन्तर्गत बताया गया है कि विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास की स्थिति में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 494

धारा 494 के अन्तर्गत पति या पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह करने की स्थिति अगर वह विवाह शून्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। बहुविवाह के लिए आवश्यक है कि दूसरी शादी होते समय शादी के रस्मो-रिवाज पर्याप्त ढंग से किये जाएं।

धारा 494 क

धारा 494क में बताया गया है कि वही अपराध पूर्ववती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।

धारा 496

धारा 496 में बताया गया है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाहकर्म पूरा कर लेने की स्थिति में से वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 497

व्यभिचार की स्थिति में वह व्यक्ति जो यह कार्य करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। ऐसे मामलों में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।

धारा 498

धारा 498 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाता है या ले आना या निरूऺद्‌घ रखना है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 498 क

सन् 1983 में भारतीय दण्ड संहिता में यह संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत अध्याय 20 क, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में, अन्त स्थापित किया गया इस अध्याय के अन्तर्गत एक ही धारा 498-क है, जिसके अन्तर्गत बताया गया है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने की स्थिति में दण्ड एवं कारावास का प्रावधान है इसके अन्तर्गत बताया गया है कि जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

क्रूरताा दो तरह की हो सकती है - मानसिक तथा शारीरिक

- शारीरिक क्रूरता का अर्थ है महिला को मारने या इस हद तक शोषित करना कि उसकी जान, शरीर या स्वास्थ्य को खतरा हो।

-मानसिक क्रूरता जैसे- दहेज की मांग या महिला को बदसूरत कहकर बुलाना इत्यादि।

-किसी महिला या उसके रिश्तेदार या संबंधी को धन-संपति देने के लिये परेशान किया जाना भी क्रूरता है।

-अगर ऐसे व्यवहार के कारण औरत आत्महत्या कर लेती है तो वह भी क्रूरता कहलाती है।

यह धारा हर तरह की क्रूरता पर लागू है चाहे कारण कोई भी हो केवल दहेज नहीं।

सती प्रथा पर कानून

(सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1787)

सती प्रथा

a

यदि कोई स्त्री सती होने की कोशिश करती है उसे छः महीने कैद तथा जुर्माने की सजा होगी।

सती होने के लिए प्रेरित करना या सहायता करना

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करे या उसको सती होने में सहायता करे तो उसे मृत्यु दण्ड या उम्रकैद तक की सजा होगी।

समान काम, समान वेतन

समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है पर यह लैंगिक न्याय के दायरे में 'समान काम, समान वेतन' के दायरे में महत्वपूर्ण है। 'समान काम, समान वेतन' की बात संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) में कही गयी है पर यह हमारे संविधान के भाग चार 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व' के अन्दर है। महिलायें किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। यदि वे वही काम करती है जो कि पुरुष करते हैं तो उन्हें पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिये। यह बात समान पारिश्रमिक अधिनियम में भी कही गयी है।

निवेदक शिवराज स्वराज संस्थापक व सम्पादक किसी भी जानकारी या "क्राइम फ्री इण्डिया फोर्स" www.crimefreeindiaforce.com और "अपराध मुक्त भारत" समाचार पत्र व AMB Live न्यूज एजेंसी www.amblive.com और "राष्ट्रीय पत्रकार परिषद्" www.rastriyapatrkarparishad.com से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें। Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

परिचय

सरकार को तभी कानून बनाना पड़ता है, जब सामजिक बंधन ढीले पड़ जाते हैं। कानूनी डंडे से सजा का भय दिखाया जाता है। इधर ऐसे कई कानून बने हैं जिनका उद्देश्य परिवार में सुख-चैन लाना है। ऐसा सोचा गया कि घरेलू हिंसा निषेधात्मक कानून बनने पर घरेलू हिंसा समप्त होगी? पर सच तो यह है कि इन कानूनों से सामजिक समस्याएं कम नहीं होतीं। फिर भी कानून बनने आवश्यक हैं। पारिवारिक परेशानियों के लिए कितनी बार कोई कचहरी जाए। कोर्ट का काम परिवार चलाना नहीं है। हर परिवार में पुलिस भी नहीं बैठाई जा सकती। कानून का डंडा भय उत्पन्न करने के लिए है।

भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी मानती हैं कि महिलाएँ ही महिलाओं पर अत्याचार का पहला कारण होती हैं ,यदि महिलाएँ तय कर लें कि जिस घर में महिलाएँ हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, तो सब कुछ बदल सकता है। उनका मानना है कि समाज में महिला की स्थिति बदल रही है और आगे भी बदलेगी, लेकिन पाँच हजार साल की मानसिकता बदलने में वक्त लगेगा। हमें घरेलू हिंसा के ग्राफ में बढ़ोतरी दिख रही है, अभी तो महिलाओं पर अत्याचार के मामले और बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन इसका कारण यह है कि महिलाओं में जागरुकता आ रही है और ज़्यादा महिलाएँ शिकायत करने पहुँच रही हैं। लेकिन शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी सजा मिलने की दर बहुत कम है और सिर्फ सौ में से दो लोगों को सजा मिल पाती है।

सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार तीन साल प्रताड़ित होने के बाद एक हजार में से एक महिला ही शिकायत दर्ज करवाने पहुँचती है।

भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून अमल में आ गया है जिसमें महिलाओं को दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाएगा क्योंकि केवल भारत में ही लगभग 70 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में इसकी शिकार हैं।

घरेलू हिंसा विरोधी कानून से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर सकेगी।

अब बात-बात पर महिलाओं पर अपना गुस्सा उतारने वाले पुरुष घरेलू हिंसा कानून के फंदे में फंस सकते हैं।

इतना ही नहीं, लडक़ा न पैदा होने के लिए महिला को ताने देना,

उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना या

लडक़ी के न चाहने के बावजूद उसे शादी के लिए बाध्य करने वाले पुरुष भी इस कानून के दायरे में आ जाएंगे।

इसके तहत दहेज की मांग की परिस्थिति में महिला या उसके रिश्तेदार भी कार्रवाई कर पाएँगे।

महवपूर्ण है कि इस कानून के तहत मारपीट के अलावा यौन दुर्व्यवहार और अश्लील चित्रों, फिल्मों कोञ् देखने पर मजबूर करना या फिर गाली देना या अपमान करना शामिल है।

पत्नी को नौकरी छोडऩे पर मजबूर करना या फिर नौकरी करने से रोकना भी इस कानून के दायरे में आता है।

इसके अंतर्गत पत्नी को पति के मकान या फ्लैट में रहने का हक होगा भले ही ये मकान या फ्लैट उनके नाम पर हो या नहीं।

इस कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में जेल के साथ-साथ जुर्माना भी हो सकता है।

लोगों में आम धारणा है कि मामला अदालत में जाने के बाद महीनों लटका रहता है, लेकिन अब नए कानून में मामला निपटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। अब मामले का फैसला मैजिस्ट्रेट को साठ दिन के भीतर करना होगा।

दहेज पर कानून

दहेज प्रतिशोध अधिनियम,1961

शादी से संबंधित जो भी उपहार दबाव या जबरदस्ती के कारण दूल्हे या दुल्हन को दिये जाते हैं, उसे दहेज कहते है। उपहार जो मांग कर लिया गया हो उसे भी दहेज कहते हैं।

-दहेज लेना या देना या लेने देने में सहायता करना अपराध है। शादी हुई हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसकी सजा है पाँच साल तक की कैद, पन्द्रह हजार रूञ्.जुर्माना या अगर दहेज की रकम पन्द्रह हजार रूञ्पये से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना।

- दहेज मांगना अपराध है और इसकी सजा है कम से कम छः महीनों की कैद या जुर्माना।

-दहेज का विज्ञापन देना भी एक अपराध है और इसकी सजा है कम से कम छः महीनों की कैद या पन्द्रह हजार रूञ्पये तक का जुर्माना।

किसी भी जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है email-hrfofindia@gmail.com / email-anil.hinger@hrfofindia.org/ www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

स्त्री के अभद्र रूप से प्रदर्शन पर कानून

(स्त्री अशिष्ट् रूप (प्रतिशेध) अधिनियम 1986)

स्त्री का अभद्र रूप या चित्रांकनः

यदि कोई व्यक्ति विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, तस्वीरों, आकृतियों द्वारा या किसी अन्य तरीके से स्त्री का अभद्र रूपण या प्रदर्शन करता है तो उसे दो से सात साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी।

कार्यस्थल पर यौन शोषण पर कानून

(उच्चतम न्यायालय का विशाखा निर्णय, 1997)

-कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन शोषण जैसे शारीरिक छेड़छाड़, यौन संबंध की माँग या अनुरोध, यौन उत्तेजक कथनों का प्रयोग, अश्लील तस्वीर का प्रदर्शन या किसी भी अन्य प्रकार का अनचाहा शारीरिक, शाब्दिक, अमौखिक आचरण जो अश्लील प्रकृति का हो, की मनाही है।

-यह कानून उन सभी औरतों पर लागू होता है, जो सरकारी, गैर सरकारी, पब्लिक, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में कार्य करती हैं।

-पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए हर संस्था/दफ्तर में एक यौन शोषण शिकायत समिति का गठन होना आवश्यक है। इस समिति की अध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए। इसकी पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए तथा इसमें कम से कम एक बाहरी व्यक्ति को सदस्य होना चाहिए।

किसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैजसकतै है email-hrfofindia@gmail.com / email-anil.hinger@hrfofindia.org / www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

1. इस कानून के लागू होने के 120 दिन के भीतर निम्न सूचना प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा-

2. अपने संगठनों, क्रियाकलापों और कर्त्तव्यों के विवरण।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्त्तव्य।

4. अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई विधि, पर्यवेक्षण और ज़िम्मेदारी की प्रक्रिया सहित।

5. अपने क्रियाकलापों का निर्वाह करने के लिए इनके द्‌वारा निर्धारित मापदण्ड।

6. अपने क्रियाकलापों का निर्वाह करने के लिए इनके कर्मचारियों द्‌वारा उपयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, मापदण्ड और रिकार्ड।

7. इनके द्‌वारा धारित या इनके नियंत्रण के अंतर्गत दस्तावेज़ों की कोटियों का विवरण।

8. इनके द्‌वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों से युक्त बोर्ड, परिषद्, समिति और अन्य निकायों के विवरण। इसके अतिरिक्त, ऐसे निकायों में होने वाली बैठक की ज़ानकारी आम जनता की पहुँच में है या नहीं।

9. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

10. इसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्‌वारा प्राप्त की जाने वाली मासिक वेतन, इसके विनियमों के अंतर्गत दी जाने वाली मुआवज़े की पद्धति सहित।

11. इसके द्‌वारा संपादित सभी योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय और प्रतिवेदन सहित सभी का उल्लेख करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बज़ट विवरण।

12. सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विधि, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के विवरण और लाभान्वितों की संख्या को मिलाकर।

13. इसके द्‌वारा दी जाने वाली रियायत, अनुमतियों या प्राधिकारियों को प्राप्त करने वालों का विवरण।

14. इनके पास उपलब्ध या इनके द्‌वारा धारित सूचनाओं का विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में छोटा रूप दिया गया हो।

15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जनता के उपयोग के लिए पुस्तकालय या पठन कक्ष की कार्यावधि का विवरण, जिसकी व्यवस्था आम जनता के लिए की गई हो।

16. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।

इसका अर्थ है कोई भी स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय या स्वशासी संस्थान जिसका गठन निम्न रीति से हुआ है -

संविधान द्वारा या उसके अंतर्गत

संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा

राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा

उपयुक्त शासन द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा जिसमें निम्न दो बातें शामिल हों-

वह सरकार द्वारा धारित, नियंत्रित या वित्त पोषित हो।

उक्त सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त किया हो।

परिचय

आए दिन विवाह टूटने की ऐसी कई वजहें पढ़ने को मिलती है. अदालतें ऐसे मुकदमों से भरी पड़ी हैं. कहीं वर पक्ष तो कहीं वधु पक्ष शोषण झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है.

हिंदू विवाह एक संस्कार है- हिंदूओं में विवाह को संस्कार माना गया है, जिसमें विवाह को जन्म-जन्म का रिश्ता कहा गया है. लेकिन लगता है यह सब अतीत की बातें हैं, क्योंकि अब विवाह में शोषण भी दिखता है, हत्याएं भी होती है और एक-दूसरे को नीचा दिखाने का खेल भी चलता है. यहां हम विवाह के संबंध में विधि द्वारा स्थापित कानून की जानकारी दे रहे हैं ताकि वैवाहिक शोषण से निपटने में इसकी जानकारी लोगों के काम आ सके।

विवाह संबंधी अपराध की धारा 493 से 498 तक

* धारा-493: स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास कि वह पुरुष उससे विधिपूर्वक विवाहित है.

* धारा-494: पति-पत्नी में से किसी एक के द्वारा दूसरे के जीवित रहने के बावजूद दूसरा विवाह करना.

* धारा-495: एक पक्ष द्वारा अपने पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर दोबारा से विवाह करना.

* धारा- 496: लड़का या लड़की द्वारा छलपूर्ण आशय से विपरीत पक्ष को यह विश्वास दिलाना कि उनका विवाह विधिपूर्वक मान्य नहीं है।

* धारा-497: जारकर्म.

* धारा- 498: आपराधिक आशस से किसी पुरुष द्वारा विवाहित स्त्री को फुसलाना .

* धारा-498 क: किसी विवाहित स्त्री पर पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार.

वैवाहिक मुकदमों की प्रकृति

कानूनन वैवाहित स्थिति में स्त्री की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है. वैवाहिक मुकदमों की प्रकृति देखें तो अक्सर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष पर दहेज प्रताडऩा, शारीरिक शोषण और पुरुष के पर स्त्री से संबंध जैसे मामले दर्ज कराए जाते हैं, वहीं वर पक्ष द्वारा स्त्री का किसी गैर मर्द से अवैध संबंध, मानसिक प्रताडऩा जैसे मामला दर्ज कराने के मामले देखे गए हैं.वैसे कई बार अदालत में यह भी साबित हुआ है कि वधु पक्ष द्वारा वर

पक्ष को तंग करने के लिए अक्सर दहेज के मामले दर्ज कराए जाते हैं। तिहाड़ के महिला जेल में छोटे-से बच्चे से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक दहेज प्रताडऩा के आरोप में बंद हैं.

किसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है--email.anilhinger@hrfofindia.org"-- www.hrfofindia.org-- से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

अनैतिक व्यापार पर कानून

(धारा 366 क, 366ख, 372, 373 भारतीय दंड संहिता)

अनैतिक व्यापार :-

यदि कोई व्यक्ति किसी भी लड़की को वेश्यावृति के लिए खरीदता या बेचता है तो उसे दस साल तक की कैद और जुर्माना की सजा होगी।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956

यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदता बेचता, बहलाता फुसलाता या उपलब्ध करवाता है तो उसे तीन से चौदह साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी।

धारा 366 क भारतीय दंड संहिता :-

धारा 366 क के अन्तर्गत अप्राप्त लड़की को उपादान के बारे में बताया गया है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को, अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्‌वारा विवश या विलब्ध किया जाएगा, यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्‌वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेञ्गी दण्डित किया जाएगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

धारा 366 ख भारतीय दंड संहिता :-

धारा 366 (ख) के अन्तर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के बारे में बताया गया है कम आयु की किसी लड़की का भारत के बाहर उसके किसी देश से या जम्मू-कश्मीर से आयात उसे किसी अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्वारा विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारवास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 372 भारतीय दंड संहिता :-

वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचने के बारे में प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए कम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम मैं लाया जाएगा, या उपभोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(6 धारा के अन्तर्गत 2 स्पष्टीकरण दिये गये हैं।स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत बताया गया है कि जबकि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को, या किसी अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में,जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के उपभोग में लाई जाएगी। स्पष्टीकरण -2 के अन्तर्गत आयुक्त सम्भोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी सम्भोग या बंधन से संयुक्त नहीं कि जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि इस समुदाय की, जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं, जो ऐसे दोनों समुदायों की स्वीय विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश्य सम्बन्ध अभिसात किया जाता है।

धारा 373 भारतीय दंड संहिता :-

वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्वय का खरीदना आदि के बारे में हैं जो कोई अठारह वर्ष में कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय के बारे में है कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से आयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपभोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्रेत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बताया गया है कि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाला, भाड़े पर लेने वाला या अन्यथा उसका कब्जा करने वाले तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी नारी का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्रेत किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपभोग में लायी जाएगी।

छेड़खानी पर कानून

(धारा 509,294, भारतीय दंड संहिता)

शब्द, इशारा या मुद्रा जिससे महिला की मर्यादा का अपमान हो

यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मर्यादा का अपमान करने की नीयत से किसी शब्द का उच्चारण करता है या कोई ध्वनि निकालता है या कोई इशारा करता है या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है, तो उसे एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।

अश्लील मुद्रा, इशारे या गाने

यदि कोई व्यक्ति दूसरों को परेशान करते हुए सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील हरकत करता है या अश्लील गाने गाता, पढ़ता या बोलता है, तो उसे तीन महीने कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।

email-anil.hinger@hrfofindia.org/ www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

धारा 377 भारतीय दंड संहिता

प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में है जो यह बताती है कि जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव वस्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय-भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

बलात्कार से पीड़ित स्त्री को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए

- अपने परिवार वालों या दोस्तों को बतायें

-नहाए नहीं

-वह कपड़े जिनमें बलात्कार हुआ है, उन्हें धोए नहीं। यह सब करने से शरीर या कपड़ों पर होने वाले महत्वपूर्ण सबूत मिट जाएँगे।

-बलात्कारी का हुलिया याद रखने की कोशिश करें।

-तुरंत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) लिखवाएं। एफ.आई.आर. लिखवाते वक्त परिवार वालों को साथ ले जाएँ। घटना की जानकारी विस्तार से रिपोर्ट में लिखवाएँ।

-एफ.आई.आर. में यह बात जरुर लिखवाएँ कि जबरदस्ती(बलात्कार) सम्भोग हुआ है।

-यदि बलात्कारी का नाम जानती है, तो पुलिस को अवश्य बताएं।

-यह उस स्त्री का अधिकार है कि एफ.आई.आर. की एक कापी उसे मुफ्त दी जाए।

-यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह स्त्री की डॉक्टरी जांच कराए।

-डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट की कापी जरुर लें।

-पुलिस जांच के लिए स्त्री के कपड़े लेगी, जिस पर बलात्कारी पुरुष के वीर्य, खून, बाल इत्यादि हो सकते हैं। पुलिस स्त्री के सामने उन कपड़ों को सील-बंद करेगी। उन सील बंद कपड़ों की रसीद जरुर लें।

-कोर्ट में बलात्कार का केस बंद कमरे में चलता है यानि कोर्ट में केवल केस से संबंधित व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं।

-पीड़ित स्त्री की पहचान को प्रकाश में लाना अपराध है।

-पीड़ित स्त्री का पूर्व व्यवहार नहीं देखा जाना चाहिए।

अगर पुलिस एफ.आई.आर. लिखने से मना कर दे, तो आप निम्न जगहों पर शिकायत कर सकते हैं :-

-कलेक्टर

-स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र

-राष्ट्रीय महिला आयोग

कानून बलात्कार से पीड़ित महिला को क्रिमिनल इज्यूरीस कंम्पेन्सेशन बोर्ड के द्वारा आर्थिक मुआवजा भी दिलवाता है।

अन्य यौन अपराध से सम्बंधित कानून

धारा 354 भारतीय दंड संहिता :-

स्त्री की मर्यादा को क्षति पहुंचाने के लिए हमले या जबरदस्ती का इस्तेमाल

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जबरदस्ती करता है, तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।

Human Rights Foundation OF INDIA को किसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैजसकतै है - emai-lhrfofindia@gmail.com / email.anilhinger@hrfofindia.org--
" www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

धारा 376 भारतीय दंड संहिता

धारा 376 बलात्संग के लिए दण्ड का प्रावधान बताती है। इसके अन्तर्गत बताया गया है कि (1) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन के लिए दस वर्ष के लिए हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किंन्तु यदि वह स्त्री जिससे बलात्संग किया गया है, उसकी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा वह जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकेगा।

बलात्कार केस जिनमें अपराध साबित करने की जिम्मेदारी दोषी पर हो न कि पीड़ित स्त्री पर। यानि वे केस जिनमें दोषी व्यक्ति होने को अपने निर्दोष होने का सबूत देना हो।

उपधारा (2) के अन्तर्गत बताया गया है कि जो कोई

-पुलिस अधिकारी होते हुए- उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें वह नियक्त है, बलात्संग करेगा, या किसी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा या अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

- लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर किसी ऐसी स्त्री से, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसकी अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या

- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यह उसके अधी स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध या कर्मचारीवृंद में होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर ऐसी जेल, प्रतिपे्रषण गृह स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या

- किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृंद में होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा,या(ड.)किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा या

- किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा या

- सामूहिक बलात्संग करेगा।

- जब गर्भवती महिला के साथ बलात्संग किया गया हो

वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जाऐंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास को, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेञ्गी दण्ड दे सकेगा।

इस धारा में तीन स्पष्टीकरण दिये गए है, प्रथम स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि जिन व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।

द्वितीय स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि स्त्रियों या बालकों को किसी संस्था से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हों।

तृतीय स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बताया गया है कि अस्पताल से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का आहता है जो उल्लंघन(आरोग्य स्थापना) के दौरान व्यक्तियों को या

चिकित्सीय ध्यान या पुर्नवास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों का ग्रहण करने और उनका आचार करने के लिए है।

धारा 376 (क) भारतीय दंड संहिता

पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सम्भोग करने की दशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 376 (ख) भारतीय दंड संहिता

लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ सम्भोग करने की दशा में जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की ही हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376 ग भारतीय दंड संहिता

जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा सम्भोग की स्थिति में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376 घ भारतीय दंड संहिता

अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारीवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ सम्भोग करेगा तो वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

कीसी भी तरह की जानकारी होतो आपHuman Rights Foundation OF INDIA को ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है -email-hrfofindia@gmail.com-- email- anil.hinger@hrfofindia.org-- www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कौन से अधिकार आते हैं?
सूचना का अधिकार 2005 प्रत्येक नागरिक को शक्ति प्रदान करता है कि वो:

सरकार से कुछ भी पूछे या कोई भी सूचना मांगे.किसी भी सरकारी निर्णय की प्रति ले.किसी भी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करे.किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करे.किसी भी सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले.

अपनी अर्जी मैं कहाँ जमा करुँ?
आप ऐसा पीआईओ या एपीआईओ के पास कर सकते हैं. केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में, 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है. अर्थात् आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई पटल पर अपनी अर्जी व फीस जमा करा सकते हैं. वे आपको एक रसीद व आभार जारी करेंगे और यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वो उसे उचित पीआईओ के पास भेजे.

क्या इसके लिए कोई फीस है? मैं इसे कैसे जमा करुँ?
हाँ, एक अर्ज़ी फीस होती है. केंद्र सरकार के विभागों के लिए यह 10रु. है. हालांकि विभिन्न राज्यों ने भिन्न फीसें रखीं हैं. सूचना पाने के लिए, आपको 2रु. प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग- अलग है. इसी प्रकार दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए भी फीस का प्रावधान है. निरीक्षण के पहले घंटे की कोई फीस नहीं है लेकिन उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे या उसके भाग की 5रु. प्रतिघंटा फीस होगी. यह केन्द्रीय कानून के अनुसार है. प्रत्येक राज्य के लिए, सम्बंधित राज्य के नियम देखें. आप फीस नकद में, डीडी या बैंकर चैक या पोस्टल आर्डर जो उस जन प्राधिकरण के पक्ष में देय हो द्वारा जमा कर सकते हैं. कुछ राज्यों में, आप कोर्ट फीस टिकटें खरीद सकते हैं व अपनी अर्ज़ी पर चिपका सकते हैं. ऐसा करने पर आपकी फीस जमा मानी जायेगी. आप तब अपनी अर्ज़ी स्वयं या डाक से जमा करा सकते हैं.

क्या सूचना प्राप्ति की कोई समय सीमा है?
हाँ, यदि आपने अपनी अर्जी पीआईओ को दी है, आपको 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आपने अपनी अर्जी सहायक पीआईओ को दी है तो सूचना 35 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए. उन मामलों में जहाँ सूचना किसी एकल के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हो, सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध हो जानी चाहिए.

मुझे सूचना प्राप्ति के पश्चात् क्या करना चाहिए?

इसके लिए कोई एक उत्तर नहीं है. यह आप पर निर्भर करता है कि आपने वह सूचना क्यों मांगी व यह किस प्रकार की सूचना है. प्राय: सूचना पूछने भर से ही कई वस्तुएं रास्ते में आने लगतीं हैं. उदाहरण के लिए, केवल अपनी अर्जी की स्थिति पूछने भर से आपको अपना पासपोर्ट या राशन कार्ड मिल जाता है. कई मामलों में, सड़कों की मरम्मत हो जाती है जैसे ही पिछली कुछ मरम्मतों पर खर्च हुई राशि के बारे में पूछा जाता है. इस तरह, सरकार से सूचना मांगना व प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण चरण है, जो अपने आप में कई मामलों में पूर्ण है.

लेकिन मानिये यदि आपने आरटीआई से किसी भ्रष्टाचार या गलत कार्य का पर्दाफ़ाश किया है, आप सतर्कता एजेंसियों, सीबीआई को शिकायत कर सकते हैं या एफ़आईआर भी करा सकते हैं. लेकिन देखा गया है कि सरकार दोषी के विरुद्ध बारम्बार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती. यद्यपि कोई भी सतर्कता एजेंसियों पर शिकायत की स्थिति आरटीआई के तहत पूछकर दवाब अवश्य बना सकता है. हांलांकि गलत कार्यों का पर्दाफाश मीडिया के जरिए भी किया जा सकता है. हांलांकि दोषियों को दंड देने का अनुभव अधिक उत्साहजनक है. लेकिन एक बात पक्की है कि इस प्रकार सूचनाएं मांगना और गलत कामों का पर्दाफाश करना भविष्य को संवारता है. अधिकारियों को स्पष्ट सन्देश मिलता है कि उस क्षेत्र के लोग अधिक सावधान हो गए हैं और भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती पूर्व की भांति छुपी नहीं रहेगी. इसलिए उनके पकडे जाने का जोखिम बढ जाता है.

कोभी जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैजसकतै है email- -anil.hinger@hrfofindia.org -- www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

तलाशी के लिए वारंट

अदालत या मजिस्ट्रेट के तलाशी वारंट के बिना पुलिस किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती है ।

आमतौर पर चोरी के सामान, फर्जी दस्तावेज, जाली मुहर, जाली करेंसी नोट, अश्लील सामग्री तथा जब्तशुदा साहित्य की बरामदगी के लिए तलाशी ली जाती है ।

पुलिस अधिकारी को तलाशी के स्थान पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की तलाशी लेने देनी चाहिए।

तलाशी और माल की बरामदगी इलाके के दो निष्पक्ष तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

पुलिस को जब्त सामान की ब्योरा देते हुए पंचनामा तैयार करना चाहिए। इस पर दो स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए और इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए जिसके घर/इमारत की तलाशी ली गयी हो।

तलाशी लेने वाले अधिकारी की भी , तलाशी शुरु करने से पहले , तलाशी ली जा सकती है ।

कोई पुरुष किसी महिला की शारीरिक तलाशी नहीं ले सकता है, लेकिन वह महिला के घऱ या कारोबार के स्थान की तलाशी ले सकता है ।

न्यायालय का समन

समन न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश है । जिसके द्वारा न्यायालय किसी विवाद या आरोप से संबद्ध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए बाध्य कर सकता है ।

अगर व्यक्ति समन स्वीकार करने से मना करे या न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हो तो न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है ।

कार्य विशेष परिस्थिति में किए गए कार्य दण्डनीय नहीं-

सात वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य।

सात वर्ष से बारह वर्ष के बीच की उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य, यदि उसने वह विशेष परिस्थिति में या नासमझी, अज्ञानता में किया है।

विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

नशे में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो।

किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया कार्य ।

सहमति तथा सक्षमता से किया गया कार्य ।

किसी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उक्त पद पर किया गया कार्य।

अपनी रक्षा के लिए कुछ अपवादों के साथ किया गया कार्य।

जानिए IPC में धाराओ का मतलब .....

धारा 307 = हत्या की कोशिश

धारा 302 = हत्या का दंड

धारा 376 = बलात्कार

धारा 395 = डकैती

धारा 377 = अप्राकृतिक कृत्य

धारा 396 = डकैती के दौरान हत्या

धारा 120 = षडयंत्र रचना

धारा 365 = अपहरण

धारा 201 = सबूत मिटाना

धारा 34   = सामान आशय

धारा 412 = छीनाझपटी

धारा 378 = चोरी

धारा 141 = विधिविरुद्ध जमाव

धारा 191 = मिथ्यासाक्ष्य देना

धारा 300 = हत्या करना

धारा 309 = आत्महत्या की कोशिश

धारा 310 = ठगी करना

धारा 312 = गर्भपात करना

धारा 351 = हमला करना

धारा 354 = स्त्री लज्जाभंग

धारा 362 = अपहरण

धारा 415 = छल करना

धारा 445 = गृहभेदंन

धारा 494 = पति/पत्नी के जीवनकाल में पुनःविवाह0

धारा 499 = मानहानि

धारा 511 = आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड।

▫▪▫▪▫▪▫▪

हमारे देश में कानूनन कुछ ऐसी हकीक़तें है, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होने के कारण हम अपने अधिकार से मेहरूम रह जाते है।

तो चलिए ऐसे ही कुछ

पांच रोचक फैक्ट्स की जानकारी आपको देते है,

जो जीवन में कभी भी उपयोगी हो सकती है.

(1) शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती-@@@.
कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो. अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत (मामला) दर्ज की जा सकती है. इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है.

(2.) सिलेंडर फटने से जान-माल के नुकसान पर 40 लाख रूपये तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते है-

पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जान-माल का नुकसान झेलना पड़ता है तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते है. आपको बता दे कि गैस कंपनी से 40 लाख रूपये तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है. अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है. दोषी पाये जाने पर गैस कंपनी का लायसेंस रद्द हो सकता है.

(3) कोई भी हॉटेल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो… आप फ्री में पानी पी सकते है और वाश रूम इस्तमाल कर सकते है-

इंडियन सीरीज एक्ट, 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी हॉटेल में जाकर पानी मांगकर पी सकते है और उस हॉटल का वाश रूम भी इस्तमाल कर सकते है. हॉटेल छोटा हो या 5 स्टार, वो आपको रोक नही सकते. अगर हॉटेल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वाश रूम इस्तमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कारवाई कर सकते है. आपकी शिकायत से उस हॉटेल का लायसेंस रद्द हो सकता है.

(4) गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता-

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक़ गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता. मालिक को पहले तीन महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोज़गार संघटना में शिकायत कराई जा सकती है. इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है.

(5) पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता

आईपीसी के सेक्शन 166ए के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इंकार नही कर सकता. अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. अगर वो पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम *(6)*महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी गवानी पड़ सकती है.

इन रोचक फैक्ट्स को हमने आपके लिए ढूंढ निकाला है.

ये वो रोचक फैक्ट्स है, जो हमारे देश के कानून के अंतर्गत आते तो है पर हम इनसे अंजान है. हमारी कोशिश होगी कि हम आगे भी ऐसी बहोत सी रोचक बाते आपके समक्ष रखे, जो आपके जीवन में उपयोगी हो।

इस मैसेज को आगे भी भेजिये और अपने पास सहेज कर रखे!

...-- ऐसे किसी भी प्रकार के किसी भी मामले की सुचना प्राप्ति पर *राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग*
(राष्ट्रीय पंजीकृत संस्था) द्वारा आगे बढ़कर कदम उठाये जाते है |

भारत की सबसे तेज चलने वाली और सामाजिक कार्य करने वाली संस्था के साथ जुडकर करें अपने समाज और अपने देश की सेवा....

□ *"मानव सेवा सबसे बडी ईश्वर सेवा है।"*

धन्यवाद..!!! 🙏

हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें..

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग
शेषनाथ शुक्ला "पंकज " (वसई तालुका उपाध्यक्ष)
मो.- 8149544957
Helpline Number 8080002329
Info@nhrwcdc.org.in
www.nhrwcdc.org.in
Fb- https://www.facebook.com/NHRWCDC

🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐

महापालिकेतील १३८८ पदांच्या भरतीसाठी सोमवारपासून ऑलनाईन अर्ज

मुंबई महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या १३८८ जागा भरण्यासाठी येत्या सोमवारी ११ डिसेंबरपासून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार असून ३१ डिसेंबरपर्यंत हे अर्ज स्वीकारले जाणार आहे.

मुंबई महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या १३८८ जागा भरण्यासाठी येत्या सोमवारपासून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात येत आहेत. येत्या सोमवारी ११ डिसेंबरपासून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार असून ३१ डिसेंबरपर्यंत हे अर्ज स्वीकारले जाणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर अखेर उमेदवारांची प्रतीक्षा संपली आहे.

कुठे कराल अर्ज?

या भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने हा अर्ज http:// porter.mcgm.gov.in या किंवा mcgmlabourrecruitment.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहेत.

कोणत्या पदांसाठी भरती?

मुंबई महापालिकेचे जलविभाग, आरोग्य खाते, रुग्णालये, मलनि:सारण आदी अत्यावश्यक विभागांमध्ये कामगारांची पदे रिक्त असून या सर्व विभागांत कामगार, कक्षपरिचर, हमाल, आया, स्मशान कामगार आदी वर्गांतील १३८८ रिक्त पदे सरळ सेवेने भरण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

कोणत्या वर्गासाठी किती जागा?

प्रवर्ग	जागा
खुला प्रवर्ग	५०४
अनुसूचित जाती	२२३
अनुसूचित जमाती	१०८
विमुक्त जाती	४८
भटक्या जमाती ब	३४
भटक्या जमाती क	५१
भटक्या जमाती ड	३२
विशेष मागासवर्ग	३२
इतर मागासवर्ग (ओबीसी)	३५६
एकूण	१३८८

पात्रता निकष

शिक्षण - किमान दहावी मराठी विषयासह उत्तीर्ण

पुरूष -

किमान वजन - ५० कि.ग्रॅ.

किमान उंची - १७५ सेंटीमीटर

महिला -

किमान वजन - ४५ कि.ग्रॅ.

किमान उंची - १५० सेंटीमीटर

महत्वाची सूचना: महापालिकेतील या कामगार भरतीशी 'मुंबई लाईव्ह'चा कोणताही संबंध नसून या भरतीची माहिती इच्छुकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम 'मुंबई लाईव्ह'च्या माध्यमातून केले जात आहे. या भरतीसंदर्भात दिलेल्या पोर्टलवर आपण नोकरभरतीसंबंधीचा अर्ज भरु शकता.

ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक

ऑनलाईन अर्ज सुरु : सोमवार ११ डिसेंबर २०१७

ऑनलाईन अर्जांची शेवटची तारीख : रविवार ३१ डिसेंबर २०१७ (२३.५९ वाजेपर्यंत)

'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या शाखेत शुल्क स्वीकारण्याचा कालावधी : ११ डिसेंबर २०१७ ते १ जानेवारी २०१८

ऑनलाईन परिक्षेसाठी प्रवेशपत्र मिळण्याची तारीख : १५ जानेवारी २०१८

ऑनलाईन परीक्षा : फेब्रुवारी महिन्याचा दुसरा व तिसरा आठवडा

उमेदवारांना परीक्षेत मिळालेल्या गुणांबाबतची माहिती : फेब्रुवारी महिन्याचा चौथा आठवडा

अंतिम निवड यादी : एप्रिल महिन्याचा दुसरा आठवडा

भारत के सभी धर्मों एवं परम्पराओं में मानवाधिकार विषयक विचार किसी न किसी रूप में निहित रहे हैं और इन्होने किसी हद तक मानव अधिकार की भूमिका निभाई है। पिछली कुछ शताब्दियों के विषय में पढ़ें तो ज्ञात होता है कि भारत में मानव हितों की गरिमा का हनन उस प्रकार नहीं था जैसा यहूदी समुदाय में था। समय के साथ-साथ मानव अधिकार संबंधी सोच में विस्तार हुआ है और यह कहा जा सकता है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय समाज में मानव अधिकार मूल्यों को समाज की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा। परन्तु इस संबंध में यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव अधिकार, कल्याणकारी मूल्यों की केवल कल्पना मात्र नहीं हैं बल्कि धर्म एवं परम्परा के विपरीत यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसके लिए विधिक परिणाम होते हैं। इस संन्दर्भ में भारतवर्ष में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं पहला प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसमें मानव अधिकार इ व्यापक व्याख्या है और दूसरा उच्चमतम न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को देश में विस्तृत मान्यता देने की न्यायिक परम्परा। अतः मानव अधिकारों के दो स्रोत हैं एक हमारे संविधान में निहित है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय करारों में।

भारतीय संस्कृति में मानव अधिकार की अवधारणा

पिछले वर्ष आयोग द्वारा भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार की अवधारणा विषय पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विविध धर्मों एवं पंथों के मानव अधिकार संबंधी विचार प्रस्तुत किये गये और लगभग सभी वक्ताओं ने पारपरिक एवं पुराने विचारों को मानवाधिकार की नई कल्पना से जोड़ने का प्रयास किया। इन सभी विचारों के फलस्वरूप इतना तो स्थापित हो गया कि भारतवर्ष के विभिन्न धर्म एवं परम्पराओं में कम या अधिक अंश में मानव अधिकार विचार निहित रहे हैं। चाहे वह सर्वेभवन्तु सुखिन- रूपी विचार हो अथवा असतो मां सदगमय रूपी विचार, कहीं न कहीं उनके तार आधुनिक मानवाधिकार से जुड़े प्रतीत होते हैं। पर इस प्रकार का जुड़ाव मात्र केवल इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न धर्म एवं पंथ उसी प्रकार के मूल्यों और मान्यताओं को समर्थन देते रहे हैं जिन्हें आधुनिक मानवाधिकारों के द्वारा पोषित किया गया है। परन्तु यह इस बात के प्रमाण नहीं कि हमारी संस्कृति में मानव अधिकार पहले से ही विद्यमान रहे हैं यह यह भारतवर्ष में मानव अधिकार यहाँ के धर्मों यह मान्यतों के स्रोत से उपजे हैं। मेरी यह मान्यता है कि मानवाधिकार एक आधुनिक कल्पना है जिसका जन्म औद्योगिकीकरण के पश्चात यूरोपीय एवं अन्य पश्च्चात्य देशों में उपजने वाली विसंगतियों के कारण हुआ। विशेष पर पिछली शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक के सभी क्षेत्रों में मानव हितों एवं गरिमा का जिस प्रकार का हनन हुआ उसने उन समाजों को झकझोर कर रख दिया होगा।

उदाहरण के तौर पर नाजीवाद की विचारधारा जिसप्रकार यहूदी समुदाय के लोगों के भीषण नरसंहार के लिए जिम्मेदार रही उसने समाज को बाध्य किया कि कानून से इतर मानव अधिकारों की कल्पना की जाए। अतएव मानवाधिकार पाश्चात्य व्यवस्थाओं की मजबूरी ही थे, न कि उन समाजों में मनाव कल्याण की स्वतंत्र कल्पना के द्योतक । ऐसी स्थिति में भारतवर्ष में अगर मानवाधिकार पिछली

शताब्दी में या उससे पूर्व नहीं विद्यमान रहे तो आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यहाँ के धर्म एवं परम्पराएँ कुछ एक सीमा तक मानव अधिकार की भूमिका निभाते रहे हैं। साथ ही यहाँ मानव हितों और गरिमा का उस प्रकार कड़ा हनन नहीं था जैसा यहूदी समुदाय के नरसंहार में व्यक्त हुआ था। इसका यह तात्पर्य है कि मानवधिकार हमारी मजबूरी नहीं रहे। शायद इसी कारण भारत में आज भी मानव अधिकारों की समझ और सम्मान नहीं बन पर रही है जैसी अपेक्षित है। यहाँ पर मैं मानवाधिकार की समझ एवं सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से अकसर उठने वाली बहसों का उल्लेख करूँगा-

1. मानवधिकार मे मूल्यों की बहस – जिस प्रकार धर्म एवं परम्परा का आधार समाज द्वारा स्वीकृत और समर्थित मूल्य होते हैं ठीक उसी प्रकार मानवधिकार भी मूल्य जनित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक हित, समानता, गरिमा तथा स्वंतत्रता की रक्षा हो यह मानव अधिकार के मूल मूल्य हैं। सभी धर्म एवं परम्पराएँ व्यक्ति के हितों की रक्षा की बात करते हैं। यह संभव है कि वह व्यक्ति से अधिक महत्व समाज एवं व्यवस्था को देते हों। पर क्योंकि धर्म एवं परम्पराएं आदर्शों पर आधारित अधिक होते हैं इसलिए भी धर्म के मूल्यों में और व्यक्तिगत आजादी और विरोधाभास दिखाई देता है। हाल में में प्रेमी युगलों की व्यक्तिगत आजादी और परम्परावादी मूल्यों के बीच टकराव की कई घटनाएँ प्रकाश में आई हैं। हरियाणा में स्न्गोत्र और सकुल विवाह करने वाली दम्पति को ग्राम पंचायत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई और उसे लागू भी कर दिया। ऐसे स्थिति में परम्परा के मूल्य और मानवधिकार के मूल्यों के बीच साफ टकराव दिखता है। क्या प्रेमी युगल में मानवधिकारों को परम्परा के मूल्यों से ऊँचा स्थान दिया जाएँ? क्या धर्म एवं परम्परा के के मूल्य का आधुनिक समाज को कोई महत्व नहीं?

वास्तव में भारत जैसे धर्म एवं परम्परा प्रधान देश में धर्म एवं परम्परा की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। बहुत-सी धार्मिक और पारम्परिक मान्यताएं मानवाधिकार की कल्पना की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समर्थन करती है। ऐसे मूल्यों और मान्यताओं का स्वागत करना होगा। पर जहाँ मूल्य एवं मान्यता मानवाधिकार विरोधी साबित होती है वहाँ उसका परित्याग करना ही उचित होगा। पंचायत ने सगोत्र एवं सकुल परम्परा के निर्वहन के लिए दम्पति विरोधी जो निर्णय लिया वह मानवाधिकार विरोधी था और निर्णय का अनुपालन एक जघन्य एवं मानवाधिकार का विरोध भी। अतएव मानवाधिकार के उद्वभव के बाद केवल उन मूल्यों की सार्वभौमिकता रहती है जो मानवाधिकार उन्मुख होते हैं। पाश्चात्य देशों में जहाँ धर्म एवं परम्पराओं को औद्योगिकीकरण के दौर में जानबूझ कर कमजोर किया गया, वहाँ मानवधिकार तथा विधि के शासन के मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व औद्योगिकीकरण के इस दौर में आने वाली अगली अर्धशताब्दी बाद शायद भारतीय समाज में भी मानवाधिकार मूल्यों को समाज की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा, यह कल्पना की जा सकती है।

२. मानवअधिकार में जुरिडिकल एवं विधिक तत्व की बहस- मानवाधिकार केवल सद संकल्प और कल्याणकारी मूल्यों की कल्पना मात्र नहीं है। न ही इनका मानना या न मानना नितांत स्वैच्छिक।

क्योंकि धर्म एवं परम्परा के विपरीत मानवाधिकार उल्लघंन एवं मानवाधिकार विरोधी व्यवहार के विधिक परिणाम होते हैं। ऐसे परिणाम तीन स्तर पर संभव है –

क) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

ख) राष्ट्रीय स्तर पर- राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग/अन्य आयोग के स्तर पर ।

ग) राष्ट्रीय स्तर पर – संवैधानिक तथा सामान्य न्याय प्रणाली के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का उल्लंघन एवं हनन मुख्यतया सदस्य राज्यों के माध्यम से प्रभावी होता है। मानव अधिकार संबंधी विभिन्न अभिसमयों के अंतर्गत गठित कमेटियां समय-समय पर राज्यों के ऊपर मानवाधिकार के मानकों के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा करती है। मानकों पर खरे न उतरने की स्थिति में सदस्य राज्य को कुटनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर विधिक परिणामों का अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। चाहे वह मानवाधिकार आयोगों.अन्य आयोगों की कार्यवाही हो अथवा संवैधानिक एंव सामान्य न्याय प्रणाली में होने वाली कार्यवाही सभी का परिणाम मानवधिकार का रक्षाकारी विधिक निर्णय प्राप्त करना है। भारतवर्ष में दो बदलाव इस सन्दर्भ में विशेष महत्व के हैं प्रथम, प्रोटेक्शन ऑफ़ हयूमन राइट्स एक्ट, (पी.एच. आर.ए.) 1993 में मानवधिकार की संवैधानिक अधिकार समाहित-परिभाषित किया जाना और द्वितीय, सर्वोच्च नयायालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को देश में विस्तृत मान्यता देने की नई न्यायिक परम्परा ।

पी.एच.आर.ए. की धरा 2 (1) (घ) में मानवधिकार की संवैधानिक अधिकार समाहित परिभाषा कहती है कि मानव अधिकार व्यक्ति की जीवन,स्वतंत्रता एवं गरिमा के बाबत संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार अंतरराष्ट्रीय करारों में दिए गए वे अधिकार है जिन्हें भारत में नययाल्यों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, इस प्रकार मानव अधिकारों के दो स्रोत हैं, एक, वह जो संविधान की धाराओं में निहित हैं और दूसरा, जो अंतरराष्ट्रीय करारों में निहित हैं। स्वंतत्रता के बाद के छः दशकों में भारतीय उच्च न्यायालयों ने अनेक निर्णयों में नागरिक के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने वाली निर्णय दिए हैं, जिनका सीधा सरोकार मानव अधिकारों से रहा है। खासतौर पर 1997 में और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित महत्वपूर्ण नजीरे भी दी है जिनमें यह निर्णित किया गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय करार भारतवर्ष में न्यायालयों द्वारा लागू किये जा सकते हैं बशर्तें वह किसी मौजूदा भारतीय कानून विरोधी न हो।

इस प्रकार यह स्थापित होता है कि नया विधिक अधिकारों की तरह ही मानव अधिकार का जुरिडिकल तत्व उन्हें समाज में उपयुक्त अन्य सूत्रों से भिन्न, श्रेष्ठ एवं विशिष्ट बनाता है।

3. मानव अधिकार के पति जबावदेही की बहस- मानव अधिकार के प्रति जबाबदेह कौन होगा? क्योंकि मानव अधिकार का हनन केवल राज्य के कमचारियों के हाथों नहीं होता है, इसलिए जबावदेही बहस का एक विशेष मुद्दा बन जाता है।

पाश्चात्य देशों में राज्य लंबे समय से आधुनिक रूप में विकसित हुए और आज वह अंत्यंत सुगठित एवं समर्थ बन चुके हैं। क्योंकि राज्य व्यक्ति एवं समाज के समस्त अंगों को अनुशासित करने में सक्षम है इसलिए मानव अधिकार हनन के लिए उसे जबाबदेह बनाना न्यायोचित प्रतीत होता है। राज्य की ऐसी जबाबदेही अधिकतर मानवधिकार की रक्षा के लिए कारगर सिद्ध होती है। इसके विपरीत हमारे देश में, जब हम मानवाधिकार के प्रति जबावदेही केवल राज्य के ऊपर डालते हैं तो वह एक थोथा संकल्प मात्र प्रतीत होता है। हालाँकि प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 की धारा 12 (ए) स्पष्ट उल्लेख करती है

1- मानवधिकार के हनन एंव उसके हनन के प्रति प्रोत्साहन या

2- मानवाधिकार के हनन के रोकथाम में बरती गई लापरवाही के लिए किसी भी सरकारी मुलाजिम के विरुद्ध पीड़ित की याचिका अथवा स्वयं की जानकारी के आधार पर आयोग कार्रवाही कर सकता है। इस प्रकार मानवाधिकार के प्रति जबाबदेही मुख्य तथा सरकारी मुलाजिम की रखने की परिकल्पना की गई है। पर हमारे देश के सन्दर्भ में क्या ऐसी परिकल्पना समुचित है?

हम देखते हैं की समाज में व्याप्त असमानता, शोषण, असम्मान एवं अन्याय के लिए राज्य के इतर जाति, धर्म, पंथ व्यवस्थाएँ जिम्मेदार, हैं। बंधुआ मजदूर प्रथा, बाल मजदूर प्रथा, नारी शोषण के विभिन्न रूप जसे देवदासी, विधवाश्रम, भू पत्नी प्रथा अड्डी कहीं न कहीं धर्म एवं परंपरा से समर्थित हैं क्योंकि राज्य इतना समर्थ नहीं है कि इन प्रथाओं से वास्तविक स्तर पर मुक्ति दिला सके, इसलिए मानवाधिकार के हनन क्स सिलसिला निर्बाध रूप से चलता आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि मानवअधिकारों के प्रति राज्य के अलावा उसके क्षेत्र में बाहर वाले शक्तिशाली समूहों की और व्यक्तियों की भी जबावदेही हो। इस दिशा में भारतीय उच्च न्यायालयों ने कुछ पहल की है जो सराहनीय है जैसे संविधान की धारा 12 में राज्य की परिभाषा को विस्तार देकर। ऐसे विस्तार से मानवाधिकार के संरक्षण की जबावदेही न केवल विभागीय कर्मचारियों की होगी वरन कारपोरेशन तथा अन्य राज्य तुल्य संस्थाओं के कर्मचारियों की भी होगी। इसके अलावा कुछ एक वादों में संविधान निहित मूल अधिकारों के प्रति व्यक्तियों की भी जबावदेही न्यायालयों ने मानी है। बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती (1996 एस.सी.सी. ४९०) के बाद में सर्वोच्च नयायालय ने अपीलार्थी की याचिका खारिज करते समय यह स्पष्ट किया है मूल अधिकार व्यक्ति एवं व्यक्तिगत संस्थाओं के विरुद्ध भी लागू किये जा सकते है और बलात्कार केवल मूल मानवधिकार का उल्लंघन नहीं है वरण धारा 21 द्वारा प्रदत्त पीड़िता के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार का भी हनन है। अतएव आवश्यकता है भारतीय समाज में उपयुक्त मानवाधिकार व्यवस्था जिसमें विस्तृत अरु सार्थक जबावदेही की संभावना रह सके।

4.मानव अधिकार में व्यक्तिगतता की बहस-

हाल ही में मानव अधिकार की चर्चा के दौरान एक प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न उठाया- क्या प्रेमी युगल के मानव अधिकारों को परिवार एवं समूह के अधिकारों के ऊपर स्थान दिया जाना चाहिए? क्या केवल एक हनीफ का मानव अधिकार ब्रिटिश अथवा आस्ट्रेलिया समाज के सुरक्षा के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न थोड़ा जटिल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसमें मानव अधिकार की प्राथमिकता और उसके और अन्य सामाजिक हितों की समांजस्य की बात निहित है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि माता-पिता और परिवार की भूमिका सन्तति के जन्म, लालन-पालन और शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्पूर्ण है। पर वही माता-पिता एवं परिवार जब सन्तति की स्वंतत्रता का विरोधी बन जाए तब मानव अधिकार संतति की स्वंतत्रता को माता-पिता एवं परिवार की इच्छा के ऊपर रखने का विधान देते हैं। केवल एक हनीफ के मानव अधिकार की रक्षा समाज के सुरक्षा के नाम पर उठाए गये कदमों को चुनौती देने के लिए काफी सिद्ध हो सकती है। मानव अधिकार दर्शन की यही विशिष्टता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के मानव रूप में जन्म पर आधारित है। मानव अधिकार जन्मना होते हैं औरर राज्य एवं समाज उनका साधारणतया परित्याग नहीं कर सकता। इंटरनेशनल कावन्वनैन्ट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राईट्स 1996 की धारा 4 (२) स्पष्ट श्ब्धों में व्यक्त करती है कि आपातकाल की स्थिति में भी धारा 6, 7, एवं 8 का परित्याग नहीं किया जा सकता। वस्तु केवल एक व्यक्ति का भी मानव अधिकार उतना ही महत्त्वपूर्ण है और सामजिक समर्थन क हकदार है जितना एक समूह का।

इस सन्दर्भ में लगभग चार दशक पूर्व की एक घटना याद आती है जिसमें एक युवामन जिज्ञासा के रूप में मैंने ही भागवत पुराण के प्रकाण्ड मर्मज्ञ स्वामी अखंडानंद महाराज से प्रश्न किया था- स्वामीजी आपने अखंड ब्रहमांड की विराट कल्पना से हमें अवगत कराया है। पर इस कल्पना में भूख, शीत अथवा गर्मी से दम तोड़ने वाले एक-एक व्यक्ति का क्या स्थान है? क्या उसके प्रति सम्पन्न वर्ग की किसी प्रकार के जबावदेही है? स्वामीजी ने अविचलित भाव सेउत्तर दिया- अखंड ब्रहमांड की विराट कल्पना में एक-दो पिंड के फूटने अथवा मृतपाय होने का कोई भी अर्थ नहीं। तो फिर उस भूख से दम तोड़ने वाले, ठंड में ठिठुर कर या गर्मी में प्यास से मरने वाले एक व्यक्ति के लिए आपकी इस महान कल्पना का क्या अर्थ? क्या इस प्रकार आप केवल खाते-पीते समाज के लिए चर्चा को समिति नहीं कर रहे? मैं जानता था इस प्रकार के प्रश्न की अपेक्षा स्वामीजी को नहीं रही होगी। पर आज भी जब कोई व्यवस्थाओं की बात करता है तो मरे मन में उस एक, सबसे विपन्न और निरीह व्यक्ति एक पक्ष की बात आई है। कौन सबसे विपन्न और सबसे निरीह है जिसके समर्थन अलग-अलग स्थिति पर तो निर्भर करेगा है, पर उससे अधिक निर्भर करेगा विचारधारा और चेतना पर जो पीरपराई जाणे रे पर विश्वास करती हो

स्रोत: मानव अधिकार आयोग, भारत सरकार

परिचय

कचहरी, अस्पताल और पुलिस स्टेशन, ये तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ जीवन में एक बार ही सही हर आदमी का पाला कभी ना कभी जरूर पड़ता है। पुलिस थाने का नाम सुनते ही पुलिस का खौफनाक चेहरा लोगों के सामने आने लगता है। अमूमन आपने सुना होगा कि पुलिस ने दबाव बनाकर FIR (first information report) बदल दी है। पुलिस आम नागरिकों द्वारा कानून की कम जानकारी होने का फायदा उठाती है।

किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं, तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है।

यह सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें, यह आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके। अहम बात यह की FIR पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती, यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों को करें।

FIR करवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाएं। यदि किसी कारण से देर हो जाती है तो फॉर्म में इसका उल्लेख करें। यदि शिकयत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत लिखेगा और समझाएगा। कार्बनशीट से शिकायत की चार कापियां होनी चहिये। शिकायत को सरल और विशिष्ट रखें। तकनीकी के तहत जटिल शब्दों का प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि आपके आगमन और प्रस्थान का समय एफआईआर और पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में अंकित हो गया है।

FIR में दें यह जानकारी

आप किस क्षमता में जानकारी दे रहें हैं

अपराध का दोषी कौन है

अपराध किसके खिलाफ किया गया है

अपराध होने का समय क्या था

अपराध कौन सी जगह पर हुआ

अपराध किस तरीके से हुआ
अपराध के समय कोई गवाह थे
अपराध से होने वाला नुक्सान

ये सभी प्रक्रिया होने पर शिकायत को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उस पर दस्तखत कर दें। थाना प्रभारी इसे अपने रिकॉर्ड में रखेगा। शिकायतकर्ता का ये अधिकार है कि इसकी एक कॉपी उसे भी मिले। इसके लिए कोई फीस या शपथ पत्र देने की ज़रुरत नहीं है।

किसी भी जानकारी या hrfof इण्डिया फोर्स" या "hrfofindia परिषद्" से जुड़ने के लिये लॉगिन करें www.hrfofindia.orgया सिर्फ 12 pm से शाम 10pm बजे तक फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।9869276824

Whatsapp/Hike No-08693093148

जागतिक मानवाधिकार दिनानिमित्त फलटण येथे जनहितकारी कार्यक्रमाचे आयोजन

फलटण-(प्रतिनिधी) दि १० डिसेंबर या जागतिक मानवाधिकार दिनानिमित्त फलटण येथे *ह्युमन राईट फाउंडेशन ओफ भारत* यांच्या सातारा जिल्हा कमिटी, फलटण, खटाव, कोरेगाव तालुका कमिटी यांच्यावतीने उपजिल्हा रूग्नालय फलटण येथे सकाळी आठ वाजता फळ वाटप व स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार असून सकाळी नऊ वाजता उपजिल्हा रूग्नालय, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक, महत्मा फुले चौक, गजानन चौक, मार्गे रॅली महापुरूषांना अभिवादन करून मथुराबाई सांस्कृतिक केंद्र फलटण येथे जाहिर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे

या ठिकाणी सकाळी साडे दहा ते बारा वा या वेळी रक्ततपासणी शिबिर दुपारी बारा ते एक या वेळी अल्पोहार, तर मुख्य समारंभ व मान्यवरांचे मार्गदर्शन दुपारी एक ते पाच या वेळात होनार आहे

या कार्यक्रम समारंभाचे अध्यक्ष मा श्री रणधिर भोसले (अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य ह्युमन राईट फाऊंडेशन ओफ भारत), असुन प्रमुख उपस्थिती मा श्री संतोष जाधव (उपविभागीय अधिकारी फलटण), मा श्री विजय पाटील (तहसिलदार फलटण), मा श्री धैर्यशील जाधव (मुख्याधिकारी फ. न. फ.), मा श्री अशोक शेळके (पोलिस निरीक्षक फ.ग्रा.पो.स्टे.),मा श्री संदीप शिंगटे(स.पो.नी.फलटण शहर), हे असणार आहेत

प्रमुख व्याख्याते मा श्री डॉ सुभाष गायकवाड (वैधकिय अधिकारी उपजिल्हा रूग्नालय फलटण), डॉ किरणकुमार नाळे, डॉ दिपक शेंडे, डॉ गणेश मधने, डॉ सागर भापकर, डॉ रविंद्र अडसुळ, डॉ अमोल कर्णे, यांचे मानवी आरोग्यावर, शिवांजली भोसले यांचे मानवाधिकार तर प्रतिभा भोसले यांचे मानवी हक्क या विषयावर मार्गदर्शन होनार आहे

या कार्यक्रमाला तालुक्यातील पत्रकार मित्र व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असून जनतेने मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहूण मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन कमिटीच्या वतीने करण्यात आले आहे

परिचय

गिरफ्तारी से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख सी.आर.पी.सी में मिलता है .भाग -5 धारा -41 से धारा -61 A उन तमाम प्रक्रियायों वा कार्यों के बारे में उपबंध करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों वा कर्तव्यों से सम्बंधित है .गिरफ़्तारी हमेशा कोई अपराध करने या किसी अपराध करने से विरत रहने के लिए की जाती है. समाज में विधि का शासन हो तथा कानून व्यवस्था मौजूद रहे इसी दिशा में पुलिस प्रशासन कार्य रत रहता है। तथा वह उन व्यक्तियों को उन दशायो में गिरफ्तार कर सकता है जब वह किसी कानून का उन्ल्लन्घन करता है जो की कानून की नज़र में अपराध है।

कब कर सकती है पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार

पुलिस को जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संज्ञेय अपराध करने के बारे में-

या तो कोई विश्वसनीय शिकायत मिली हो

या कोई पुख्ता जानकारी मिली हो

या कोई प्रबल संशय हो

यदि कोई व्यक्ति उदघोसित अपराधी रह चूका है

जब किसी व्यक्ति के पास से चोरी की हुई संपत्ति बरामद की जाती है और वह व्यक्ति चोरी के अपराध में लिप्त पाया जाता है या उस संपत्ति के चोरी होने के अपराध में लिप्त होने का युक्तियुक्त संशय है।

जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य करने से रोकता है या किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागता है या भागने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति किसी सैन्य बल से भाग हुआ युक्तियुक्त रूप से पाया जाता है।

किसी भी महिला को जब तक की अति-आवश्यक न हो, सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।तथा किसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस के द्वारा की जानी आवश्यक है जब तक की कोई ऐसी स्थिति मौजूद ना हो जंहा पर ऐसा न किया जा सके।

गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एवं पुलिस के कर्तव्य

गिरफ्तारी के समय सम्बंधित पुलिस अधिकारी अपने नाम की स्पष्ट ,दृश्य व साफ़ पहचान(नाम प्लेट) धारण करेगा।

पुलिस गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का मेमोरेंडम (एक सूचना पत्र) तैयार करेगी जो कि गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और स्वयं गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

जब तक की मेमोरेंडम तैयार नहीं हो जाता गिरफ्तार व्यक्ति के किसी परवारी सदस्य को गिरफ़्तारी के बारे में सूचित किये जाने सम्बन्धी उसके अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित किया जायेगा।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार
जब किसी व्यक्ति को गरफ्तार किया जाता है तो उसके पास यह अधिकार है की वह पुलिस पूछ-ताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है,परन्तु पूरी पूछ-ताछ के दौरान नहीं।

गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार व जमानत के बारे में सूचित किया जाना
पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उन सभी आधारों को बताया जायेगा जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है तथा यदि जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर छोड़े जाने के बारे में सूचित किया जायेगा।

गिरफ्तार व्यक्ति का चिकत्सीय परिक्षण किया जाना
गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का किसी मेडिकल अफसर द्वरा चिकत्सीय परिक्षण किया जाना तथा उसकी रिपोर्ट को उसे या उसके किसी नामित व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है.

किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से नहीं की जा सकती तथा उसके मानवाधिकारों का उन्लन्घन नहीं किया जा सकता है. और यदि पुलिस के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसके विरुद्ध न्यायलय में रित दायर की जानी चाहिए और मनवाधिकार योग में शिकायत की जानी चाहिए ?
सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर लाइक करे

महाराष्ट्रात आजपासून 'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट' म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय. यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा तब्बल 43 सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही.
तब्बल 43 सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल... आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.
महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईट

www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in

वर ऑनलाईन अप्लाय तुम्हाला करावं लागेल... निर्धारित कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्राचे हाऊसिंग राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिलीय.

या विभागांच्या सेवांचा आहे समावेश...
महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन मिळू शकतील.
या सेवांचा आहे समावेश....

- वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
- मिळकतीचे प्रमाणपत्र
- तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
- ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
- पत दाखला
- सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
- प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज
- अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
- भूमिहीन प्रमाणपत्र
- शेतकरी असल्याचा दाखला
- सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
- डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
- जन्म नोंद दाखला
- मृत्यु नोंद दाखला

• विवाह नोंदणी दाखला
• रहिवाशी प्रमाणपत्र
• दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
• हयातीचा दाखला
• ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
• निराधार असल्याचा दाखला
• शौचालयाचा दाखला
• विधवा असल्याचा दाखला
• दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी
• दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण
• कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण
• नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी
• सेवानियोजकाची नोंदणी
• शोध उपलब्ध करणे
• मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे
• दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा
...तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड
'राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट'मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.
सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ 43 सेवांचा समावेश असला तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा 135 वर जाण्याची शक्यता आहे.

कृपया जास्तीत जास्त शेअर करा
Forwarded as received

Railway rath news beuro........ *डॉ. उदय निरगुडकर यांचा राजीनामा*

मुंबई - फडणवीस सरकारला तीन वर्ष पूर्ण झाली म्हणून सर्व चॅनलमध्ये चर्चा झडत असताना, एक पाऊल पुढे टाकणाऱ्या झी २४ तास मध्ये मोठा धमाकाझालाय.संपादक डॉ. उदय निरगुडकर यांनी आज सायंकाळी तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे सर्व कर्मचारी अचंबित झाले . त्यानंतर तातडीने ज्येष्ठ पत्रकार विजय कुवळेकर यांनी संपादकपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत.

पाच वर्षांपूर्वी डॉ. उदय निरगुडकर यांनी झी २४ तासच्या संपादक पदाची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी नंबर दोनवर असलेल्या झी २४ तासला नंबर १ वर आणले होते. 'रोखठोक' हा त्यांचा डिबेट शो बऱ्यापैकी चालत होता. चॅनलला चांगला बिझनेस देणारा संपादक म्हणून त्यांची ख्याती होती. कॉर्पोरेट क्षेत्रात त्यांचा चांगला परिचय होता.त्यामुळे झी २४ तास जाहिरातीमध्ये अव्वल होते.

टीव्ही मीडियाचा कसलाही अनुभव नसताना डॉ. उदय निरगुडकर यांनी झी २४ तासला अव्वल केले होते. त्यापूर्वी ते IBN लोकमतवर एक गेस्ट म्हणून हजेरी लावत होते. निखिल वागळे यांनी डॉ. उदय निरगुडकर यांना टीव्ही मीडियात स्थान दिले होते.

डॉ. उदय निरगुडकर यांनी आज सायंकाळी मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची शेवटही मुलाखत घेतली आणि त्यानंतर एडिटर डेस्कवर त्यांनी स्वतःचे ओळखपत्र ठेवून सर्व कर्मचाऱ्यांना आज माझा शेवटचा दिवस आहे आणि यापुढे आपली भेट होईल की नाही असे म्हणताच सर्व कर्मचारी अचंबित झाले. डॉ. उदय निरगुडकर चेष्टा करीत आहेत असे अनेकांना वाटले पण त्यात सत्यता निघाली. त्यानंतर लगेच ज्येष्ठ पत्रकार विजय कुवळेकर यांनी संपादकपदाची सूत्रे घेतली.
कुवळेकर अनेक वर्ष पुणे सकाळचे संपादक आणि मुख्य संपादक होते. त्यानंतर लोकमतला संपादक आणि मुख्य संपादक होते,दोन महिन्यापूर्वी ते झी मीडियामध्ये जॉईन झाले होते. झी मीडिया लवकरच एक मराठी साप्ताहिक काढत असून त्याचे संपादक म्हणून कुवळेकर जॉईन झाले होते. आता त्यांच्याकडे झी २४ तासचे संपादकपदही आले आहे. कुवळेकर यांना टीव्ही मीडियाचा कसलाही अनुभव नाही. एक तर नवा संपादक येईल किंवा कुवळेकर तयार झाले तर त्यांच्याकडेही कायम सूत्रे राहतील, अशी चर्चा आहे.

🙏 *अतिशय महत्वाचे आहे* 🙏
[26/10, 23:03] bhalchandrauk9:
वाचलेच पाहिजे असे काही महत्वाचे
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

खाजगी प्रायव्हेट हॉस्पिटल मध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टर्सना दरमहा दीड लाख इतके वेतन देण्यात येते. परंतू त्या सर्व डॉक्टर्सना टारगेटस् अर्थात लक्ष दिली जातात. त्यांना सांगितले जाते की, *जर त्यांना नोकरीवर राहायचे असेल तर त्यांनी किमान 3 लाख रूपयापर्यंतच्या चाचण्या (Tests) आणि स्कॅन करण्याबाबत रूग्णांना भरीस घातले पाहिजे आणि दरमहा किमान 25 रूग्णांना (पेशंटना) ऑपरेशन करण्यास भाग पाडले पाहिजे.*

अर्थात हे सर्व धर्मादाय (चॅरीटी) रूग्णालयात होत नाही.

बहुतांश खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये अनावश्यक शस्त्रक्रिया (Unwanted surgeries) आणि धोक्याच्या व जोखमीच्या अकाली (Premature) मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया(Risky Premature Cataract Surgeries) केल्या जातात. तात्पर्य हे की खाजगी हॉस्पिटलमध्ये भयावह वातावरण अनुभवास येते.

यास्तव तुम्ही कधीही आपले वैद्यकीय विमा कार्ड (Medical Insurance Card) दाखवून म्हणून नका "डॉक्टर तुम्ही खर्चाची अजिबात काळजी करू नका. कृपा करून मला वाचवा."
जर ते डॉक्टर तुम्हाला विचार करण्याची संधी देण्यापूर्वीच घाबरवून सोडत असतील तर तुम्ही लागलीच सावध झाले पाहिजे आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल (ॲडमिट) नाही झाले पाहिजे.

*जर डॉक्टरांचे तुम्हाला ऑपरेशन करण्याचा एकमेव सल्ला दिला असेल किंवा वैद्यकीय प्रक्रीया करण्याबाबत सांगितले असेल तर कृपया घाई करू नका. थोडे थांबा आणि 7026646022 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधा किंवा तुमच्याकडे जे मेडिकल रिपोर्ट असतील ते रिपोर्ट medical@medisense.meor वर पाठवा अथवा medisensehealth.com या संकेतस्थळाला भेट द्या, ज्या ठिकाणाहून तुम्हाला व्दितीय मत (Second Opinion) तज्ञ डॉक्टरर्सच्या पॅनलचे प्राप्त होईल. विशेष म्हणजे ही सेवा रुग्णांसाठी पूर्णतः मोफत आहे. रूग्णांसाठीची ही मोफत सेवा भारतातील 21 शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये ऊडूप्पी, मेंगलोर, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, हैद्राबाद या शहरांचा समावेश आहे.

आपणापैकी काही जणांना वरील अनुभव अगदी ताजाताजा अनुभवास आला असेल. डॉक्टरांनी ऑपरेशनचा खर्च लाखो रूपयात सांगितला असेल. आपण पैशाची जुळवणी करण्यात मग्न असाल, टेन्शनमध्ये असाल तर वरील मोबाईल क्रमांकावर कॉल करून मार्ग काढू शकता किंवा निर्देशित संकेतस्थळावर भेट देवून मार्ग काढू शकता.

कृपया आपला प्रियजनांकडे हा मेसेज जरूर जरूर पाठवा.

राज्यातला एक मोठा शासकीय भरती घोटाळा समोर आलाय. पदामागे 15 ते 25 लाख रुपये घेऊन सरकारी नोकरी मिळवून देणारं हे रॅकेट 2009 पासून कार्यरत आहे. योगेश जाधव या एका धाडसी तरुणामुळे हा सगळा प्रकार उघडकीस आला आणि आतापर्यंत काही जणांना अटक झालीय. मात्र, आत्तापर्यंतची कारवाई म्हणजे केवळ हिमनगाचं टोक असल्याचंच चित्र आहे.
दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातला एक मोठा शासकीय भरती घोटाळा समोर आलाय. पदामागे 15 ते 25 लाख रुपये घेऊन सरकारी नोकरी मिळवून देणारं हे रॅकेट 2009 पासून कार्यरत आहे. योगेश जाधव या एका धाडसी तरुणामुळे हा सगळा प्रकार उघडकीस आला आणि आतापर्यंत काही जणांना अटक झालीय. मात्र, आत्तापर्यंतची कारवाई म्हणजे केवळ हिमनगाचं टोक असल्याचंच चित्र आहे.
महाराष्ट्रात मोठा शासकीय भरती घोटाळा
नांदेड जिल्ह्यातल्या किनवट गावातला योगेश जाधव हा तरूण यूपीएससी परीक्षेची तयारी करतोय. आपल्या गावातल्या 30-35 मुलांनी पैसे भरून सरकारी नोकरी मिळवल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी हा विषय धसास लावण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हे काम सोपं नव्हतं. यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून ते अनेक वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांचे उंबरठे त्यांनी झिजवले. तक्रारींचे तब्बल आडीच हजार ईमेल योगशनी केलेत. या चिकाटीला आणि पाठपुराव्याला आता काही प्रमाणात यश आलंय. या भरती घोटाळा प्रकरणी आत्तापर्यंत हे रॅकेट चालवणाऱ्या मुख्य सूत्रधारासह सात जणांना अटक झालीय. 2009 पासून राज्याच्या शासकीय सेवेतल्या विविध पदांवर भरती करण्यासाठी हे रॅकेट सुरू होतं... पदानुसार 15 ते 25 लाख रुपये देऊन अनेक जण शासकीय सेवेत भरती झालेत. कृषी विस्तार अधिकारी, महिला बालविकास अधिकारी, वसतीगृह अधिक्षक, वरिष्ठ कारकून, सहाय्यक अभियंता, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक कक्ष अधिकारी अशा विविध पदांसाठी या रॅकेटद्वारे भरती झालीय.
डमी उमेदवार आणि 'मुली'ही पुरवल्या...
मूळ उमेदवाराच्या जागी डमी विद्यार्थी बसवून ही भरती प्रक्रिया पार पाडली जायची. घोटाळ्याचा सूत्रधार प्रबोध उर्फ प्रमोद राठोड हा स्वतः परभणी जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असल्याचं समोर आलंय. योगेश यांच्या गावातल्या मुलांनी जमिनी विकून आणि घरं गहाण ठेवून त्याला पैसे दिलेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही डमी उमेदवारांना पैशांबरोबरच मुलीही पुरवण्यात आल्याचं समोर आलंय.
योगेश जाधवांनी सप्टेंबर 2015 रोजी भरती घोटाळ्या प्रकरणी पहिली तक्रार केली. त्यानंतर 9 महिन्यांनी, 27 जून 2016 रोजी पहिला गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरण्याच्या तपास अधिकाऱ्यानं काही पुरावे बदलल्याचंही समोर आलंय. याप्रकरणी कोर्टानं फटकारल्यानंतर 21 मार्च 2017 रोजी या घोटाळ्याचा तपास एसआयटीकडे देण्यात आला आणि अटकसत्र सुरू झालं.
सूत्रधार, काही अधिकाऱ्यांना अटक
- 23 मे रोजी मुख्य सूत्रधार प्रबोध उर्फ प्रमोद राठोडला अटक झाली

- परभणी कृषी विद्यापीठातील कक्षअधिकारी अरविंद टाकळकर यानं 10 लोकांसाठी डमी म्हणून परीक्षा दिली होती
- आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्यांचा सहाय्यक भगवान झंपलवार
- औरंगाबादचा हस्तलिखित तज्ज्ञ योगेश पंचवटकर
- सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ पारवे
- 15 लोकांसाठी डमी राहिलेला लातूरच्या कोचिंग क्लासचा संचालक बालाजी भातलोंढे
- पुण्याच्या समाजकल्याण आयुक्तालयातला कारकून सचिन त्रिमनवार यांना आतापर्यंत अटक झालीय.
- तर आर्थिक गुन्हे शाखेतला दिनेश सोनसरक हा आरोपी फरार आहे.

चार आरोपींविरोधात चार्जशीट दाखल झालंय. आतापर्यंतच्या तपासात जवळपास 200 जण आरोपी असल्याचा संशय आहे. यात शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अनेक वरिष्ठ अधिकारीही आहेत.योगेशच्या दाव्यानुसार यात हजारहून अधिक जण गुंतले आहेत. आत्तापर्यंत अटक झालेले सर्व जण हे कनिष्ठ अधिकारी आहेत. मात्र, या भरती घोटाळ्याद्वारे भरती होऊन आज वरिष्ठ पदावर पोहचलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांवर याप्रकरणी कारवाई होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

बातमी महत्वाची वाटली म्हणून link share केली.
राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदातही घोटाळा होतोय हे वाचल्यावर पटायला लागले आहे.
त्या दिवसरात्र अभ्यास करून करून भरतीचा नाद सोडलेल्या उमेदवारांचे आता काय झाले असेल ? विचार करवत नाही.

Thanks you to
 Yogesh Jadhav
🙁🙁😑😑😑

यह तस्वीर कनाडा के रहने वाले स्मिथ की है जिनका पैर अब काटा जाना है। इन्हें CFL बल्ब का इस्तेमाल या यूँ कहें कि इस्तेमाल में की गई लापरवाही बहुत भारी पड़ी। यह तो हम सब जानते हैं कि CFL बल्ब कितनी बिजली बचाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इन बल्बों में पारा पाया जाता है जो कि शरीर में चले जाने पर बहुत ही घातक साबित होता है।

स्मिथ ने ऐसे ही एक बल्ब के ठन्डे होने का इंतज़ार नहीं किया और उसे होल्डर से निकालकर बदलने की कोशिश करते हुए उसे ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरते ही बल्ब टूट गया और कांच के टुकड़े बिखर गए। स्मिथ नंगे पैर थे और अंधेरे में उनका पैर कांच के एक टुकड़े पर पड़ गया और बल्ब में उपस्थित पारा घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गया। उन्हें 2 महीने में ICU में रखा गया और अब उन्हें अपने पैर को खो देने का डर है।

CFL के संबंध में पारा ही एक ख़तरा नहीं है, कई और भी मसले हैं, लेकिन उसके बारे में स्वास्थ्य संजीवनी पर फ़िर कभी चर्चा करेंगे, आज जानना ज़रूरी है कि CFL के टूट जाने पर क्या करें-

1) कभी भी तुरंत CFL ना बदलें। उसके ठन्डे होने का इंतज़ार करें।

2) CFL टूट जाने पर तुरंत कमरे से निकल जाएं, ध्यान रखें कि पैर कांच के टुकड़े पर ना पड़ जाए।

3) पंखे एसी इत्यादि बंद कर दें जिससे पारा फैल ना सके।

4) कम से कम १५-२० मिनट बाद कमरे में प्रवेश करके टूटे हुए कांच को साफ़ करें। पंखा बंद रखें और मुंह को ढक कर रखें, दस्ताने पहने और कार्डबोर्ड की मदद से कांच समेटें, झाड़ू का इस्तेमाल ना करें क्यूंकि इससे पारे के फ़ैलने का डर रहता है। कांच के बारीक कण टेप की मदद से चिपका कर साफ़ करें।

5) कचरा फेंकने के बाद साबुन से हाथ धोना ना भूलें।

6) यदि कारणवश चोट लग जाए तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं और उसे चोट के बारे में सारी जानकारी दें।

सीसे और आर्सेनिक से भी कहीं

परिचय
गिरफ्तारी से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख सी.आर.पी.सी में मिलता है .भाग -5 धारा -41 से धारा -61 A उन तमाम प्रक्रियायों वा कार्यों के बारे में उपबंध करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों वा कर्तव्यों से सम्बंधित है .गिरफ़्तारी हमेशा कोई अपराध करने या किसी अपराध करने से विरत रहने के लिए की जाती है. समाज में विधि का शासन हो तथा कानून व्यवस्था मौजूद रहे इसी दिशा में पुलिस प्रशासन कार्य रत रहता है। तथा वह उन व्यक्तियों को उन दशायो में गिरफ्तार कर सकता है जब वह किसी कानून का उन्ल्लन्घन करता है जो की कानून की नज़र में अपराध है।

कब कर सकती है पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार
पुलिस को जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संज्ञेय अपराध करने के बारे में-

या तो कोई विश्वसनीय शिकायत मिली हो

या कोई पुख्ता जानकारी मिली हो

या कोई प्रबल संशय हो

यदि कोई व्यक्ति उदघोसित अपराधी रह चूका है

जब किसी व्यक्ति के पास से चोरी की हुई संपत्ति बरामद की जाती है और वह व्यक्ति चोरी के अपराध में लिप्त पाया जाता है या उस संपत्ति के चोरी होने के अपराध में लिप्त होने का युक्तियुक्त संशय है।

जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य करने से रोकता है या किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागता है या भागने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति किसी सैन्य बल से भाग हुआ युक्तियुक्त रूप से पाया जाता है।

किसी भी महिला को जब तक की अति-आवश्यक न हो, सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।तथा किसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस के द्वारा की जानी आवश्यक है जब तक की कोई ऐसी स्थिति मौजूद ना हो जंहा पर ऐसा न किया जा सके।

गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एवं पुलिस के कर्तव्य
गिरफ्तारी के समय सम्बंधित पुलिस अधिकारी अपने नाम की स्पष्ट ,दृश्य व साफ़ पहचान(नाम प्लेट) धारण करेगा।

पुलिस गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का मेमोरेंडम (एक सूचना पत्र) तैयार करेगी जो कि गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और स्वयं गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

जब तक की मेमोरेंडम तैयार नहीं हो जाता गिरफ्तार व्यक्ति के किसी परवारी सदस्य को गिरफ़्तारी के बारे में सूचित किये जाने सम्बन्धी उसके अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित किया जायेगा।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार
जब किसी व्यक्ति को गरफ्तार किया जाता है तो उसके पास यह अधिकार है की वह पुलिस पूछ-ताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है,परन्तु पूरी पूछ-ताछ के दौरान नहीं।

गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार व जमानत के बारे में सूचित किया जाना
पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उन सभी आधारों को बताया जायेगा जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है तथा यदि जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर छोड़े जाने के बारे में सूचित किया जायेगा।

गिरफ्तार व्यक्ति का चिकत्सीय परिक्षण किया जाना
गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का किसी मेडिकल अफसर द्वरा चिकत्सीय परिक्षण किया जाना तथा उसकी रिपोर्ट को उसे या उसके किसी नामित व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है.

किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से नहीं की जा सकती तथा उसके मानवाधिकारों का उन्लन्घन नहीं किया जा सकता है. और यदि पुलिस के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसके विरुद्ध न्यायलय में रित दायर की जानी चाहिए और मनवाधिकार योग में शिकायत की जानी चाहिए ?
सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर लाइक करे

कर्फ्यू (धारा 144)
किसी भी इलाके में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

इस दौरान सारे कानूनी अधिकार इलाके के मजिस्ट्रेट को दे दिये जाते हैं, जिस पर शांति व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है।

कर्फ्यू के दौरान सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है। इसके आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है।

यदि भीड़ अधिकारी का आदेश नहीं मानती है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 145 के अनुसार मुकदमा चलाकर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि भीड़ गैर-कानूनी है तो आईपीसी की धारा 149 के अनुसार भीड़ को सजा दी जायेगी। भीड़ को आदेश देने वाले अधिकारी को अपराधी नहीं माना जायेगा। उस पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य या केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी।

कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंध
(1) सिर्फ परीक्षार्थियों, विवाह समारोह, शव यात्रा व धार्मिक उत्सव पर निषेधाज्ञा लागू नहीं, (2) कोई भी व्यक्ति बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना या प्रदर्शन नहीं करेगा, (3) कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या किसी प्रकार का घातक अस्त्र, आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा, (4) लाइसेंसी शस्त्र लेकर कार्यालय प्रवेश पर भी मनाही, (5) बिना अनुमति जुलूस निकालने या चक्काजाम करने पर रोक, (6) बिना अनुमति तेज आवाज के पटाखे बजाने, बेचने पर प्रतिबंध, (7) किसी समुदाय-सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक भाषण या विज्ञापन पर भी रोक, (8) बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे आदि का प्रयोग वर्जित, (9) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग व इसकी सहायता करने पर रोक, (10) परीक्षा केंद्र से दो सौ गज की दूरी पर पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे (11) शादी- बारातों में शौकिया शस्त्र प्रदर्शन पर रोक।

लापता व्यक्ति की स्थिति
किसी भी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से अर्थात जिस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, उस दिन से 7 वर्ष पूर्ण होने पर माना जायेगा कि उस व्यक्ति का देहान्त हो चुका है। केवल कोई न्यायालय ही किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर सकता है।

सुबह 10 से शाम 10 बजे तक 02225203234 फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या www.hrfofindia.orgया email anil.hinger@hrfofindia.org

कार्य विशेष परिस्थिति में किए गए कार्य दण्डनीय नहीं-
सात वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य।

सात वर्ष से बारह वर्ष के बीच की उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य, यदि उसने वह विशेष परिस्थिति में या नासमझी, अज्ञानता में किया है।

विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

नशे में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो।

किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया कार्य ।

सहमति तथा सक्षमता से किया गया कार्य ।

किसी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उक्त पद पर किया गया कार्य।

अपनी रक्षा के लिए कुछ अपवादों के साथ किया गया कार्य।

पैरोल और इसके नियम
पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा अपनी सजा का एक बड़ा भाग काटने के बाद, अच्छे आचरण की वजह उसे जेल से मुक्त किया जाना। हीरालाल बनाम बिहार राज्य(1977) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबी अवधि के कैदियों को अस्थायी पैरोल पर छोड़ा जाना चाहिए। अस्थायी पैरोल का अर्थ है कुछ समय के लिए व्यक्ति को जेल से छोड़ देना और पैरोल का समय समाप्त होते ही वापस जेल भेज देना।

जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी को साल में दो बार पैरोल मिलती है। ताकि वह अपने परिवार में किसी समारोह, दुख या खुशी में शरीक हो सके।

जबकि कृषि से संबंधित कैदी के लिए यह समय 6 सप्ताह व सामान्य कैदी के लिए 4 माह का होता है।

ऐसे में जो कैदी पैरोल पर जाकर वापस आने की बजाए भगौड़े हो जाते हैं। ऐसे कैदियों पर पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 1962 के सेक्शन 8 की धारा ((2)) के तहत कार्रवाई होती है। इसमें दो साल की कैद व जुर्माने का भी प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कैदी का आचरण जेल में अच्छा रहता है तो उसे वर्ष में दो सप्ताह पैरोल पर छोड़ देना चाहिए।

पैरोल पर छूटे व्यक्ति पर निम्नलिखित शर्तें लागू
व्यक्ति नशा नहीं करेगा, शराब के अड्डों पर नहीं जायेगा, जुआ नहीं खेलेगा, हथियार नहीं रखेगा, शिकार नहीं करेगा, अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिताएगा, कानून का पालन करेगा, अपराधियों को पत्र नहीं लिखेगा, देर रात तक बाहर नहीं घूमेगा, वेश्याओं के पास नहीं जायेगा, किसी निश्चित क्षेत्र में रहेगा, नाच-गाना नहीं करेगा, बिना इजाजत शादी नहीं करेगा, नौकरी नहीं बदलेगा, पशुओं को जान से नहीं मारेगा।

पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को सजा
पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को वापस जेल भेजा जा सकता है। और सजा के शेष भाग को भुगतना पड़ सकता है। अगर व्यक्ति पैरोल पर छोड़े जाने के बाद दोबारा जुर्म करता है तो उसे पैरोल दोबारा नहीं मिलैगा

सूचना का अधिकार अधिनियम कानून

सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। भारत में भ्रटाचार को रोकने और समाप्त करने के लिये इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है। इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रेकार्डों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू एवं काश्मीर मे यह जम्मू एवं काश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम २०१२ के अन्तर्गत लागू है।

भारत सरकार ने सदैव अपने नागरिको के जीवन को सहज, सुचारु बनाने पर बल दिया है और इस प्रकार इसे ध्यान में रखते हुए भारत को पूरी तरह लोक तांत्रिक बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम स्थापित किया गया है।

आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि।

प्रत्येक नागरिक कर का भुगतान करता है अत: इसे अधिकार मिलते हैं और साथ ही उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा कर के रूप में दी गई राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा) जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।

आरटीआई अधिनियम एक लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है। यदि आपको किसी प्रकार की सूचना देने से मना किया गया तो आप निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील / शिकायत दर्ज करा सकते हमें।

आरटीआई शिकायत

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को एक लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है। यदि आपको किसी जानकारी देने से मना किया गया है तो आप केन्द्रीय सूचना आयोग में अपनी अपील / शिकायत जमा करा सकते हैं।

शिकायत कब जमा करें
इस अधिनियम के प्रावधान 18 (1) के तहत यह केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और पूछताछ करें।

जो केन्द्रीय सूचना लोक अधिकारी या राज्य सूचना लोक अधिकारी के पास अपना अनुरोध जमा करने में सफल नहीं होते, जैसा भी मामला हो, इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उक्त अधिकारी या केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत अग्रेषित करने के लिए कोई सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया हो जिसे वह केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास न भेजे या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग में अग्रेषित न करें, जैसा भी मामला हो।

जिसे इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी तक पहुंच देने से मना कर दिया गया हो। ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो।

जिसे शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानता / मानती है।

जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है।

इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले के विषय में।

किसी भी तरह की जानकारी होतो आप अपने ईमेल द्वारा कर सक्ती हो - email-hrfofindia@gmail.com-- email email-- anil.hinger@hrfofindia.org-- www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें। Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 14

पुलिस एक्ट के अनुसार राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा. अगर राज्य के किसी भी कोने में आधी रात में कोई घटना या अपराध होता हैं तो पुलिस अधिकारी यह नहीं बोल सकता की वो ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि भारतीय पुलिस एक्ट के अनुसार एक पुलिस वाला बिना वर्दी के भी ड्यूटी पर होता है.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 15

भारत में बने हिन्दू गोद और रख-रखाव एक्ट के अनुसार अगर आप हिन्दू हैं और आपका एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका कोई बच्चा नहीं है तो आप खुद से 21 साल छोटे बच्चे को ही गोद ले सकते हैं.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 16

अगर पति-पत्नी के बीच Sex Relation ठीक नहीं हैं, तो आप इस बात के आधार पर तलाक ले सकते हैं.

किसी भी जानकारी होतो आपई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है email-hrfofindia@gmail.com.--- email.anilhinger@hrfofindia.org www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

जैन अल्पसंख्यक घोषित होने से लाभ

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग केवलमात्र अनुच्छेद २९ व ३० में हुआ है। इस व्यवस्था के अनुसार इस देश के नागरिकों का कोई एक वर्ग यदि अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति रखना है तो उसकी अक्षुण्णता को बनाकर रखने को उसे पूर्ण अधिकार है। किसी नागरिक को किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से जिसका संचालन राज्य द्वारा किया जाता है अथवा जो राज्य की आर्थिक सहायता से संचालित होता है, जाति, धर्म, भाषा व मूलवंश के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद ३० स्पष्ट करता है कि अल्पसंख्यक चाहे उनका आधार भाषा अथवा धर्म हो वे अपने विवेक के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका संचालन शिक्षा के मापदण्डों को मानते हुए कर सकते हैं। इसका अभिप्राय है ऐसे अल्पसंख्यक अपने समाज के शिक्रिषाथयों को अपने द्वारा स्थापित स्कूलों में अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार रखते हैं। संसद ने सन् १९९२ में एक कानून पारित कर अल्पसंख्यकों के हितो की सुरक्षा की ओर कदम उठाया, इसको नाम दिया दी नेशनल कमीशन फार माइनोरिटीज एक्ट १९९२। इस कानून में अल्पसंख्यक को परिभाषित केवल यह कहकर किया कि अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसे केन्द्र सरकार अपनी विज्ञप्ति जो इस हेतु प्रकाशित हो, में नाम का उल्लेख कर करें। केन्द्र सरकार ने बौद्ध, मुस्लिम, सिख, इसाई, पारसी को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, किन्तु जैनियों को नहीं किया। जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अथवा कानून द्वारा राज्य सरकार का अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार मान लिया तो कई राज्य सरकारों ने जैनों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। जैन हिन्दू समझे जाने के साथ धर्म आधारित एक पंथ अथवा सम्प्रदाय है। श्रमण संस्कृति का आधार है, निवृत्ति मार्ग, आहिंसा, तपस्या ध्यान/वैदिक संस्कृति प्रवृत्ति मार्ग पर बल देकर ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानकर पूजा आदि पर जोर देती है। श्रमण संस्कृति में ईश्वर को कर्ता नहीं माना है। जैन आत्मवादी है। जैन चाहे वे दिगम्बर हो अथवा श्वेताम्बर मत को मानने वाले हो इनकी अपनी—अपनी र्धािमक क्रियाएं हैं, रीति—रिवाज, अनुष्ठान, पूजा—पद्धति, साधुओं की मर्यादाएं व विशिष्ट संस्कृति है, इन कारणों से जैन धर्म हिन्दू धर्म से भिन्न है।

देश के उच्च व सर्वोच्च न्यायलयों

देश के उच्च व सर्वोच्च न्यायलयों के निर्णय इसके साक्षी हैं कि वे हिन्दू धर्म से विभक्त नहीं हुए हैं। हिन्दू धर्म का आधार है—वेद। किन्तु जैन वेदों की अलौकिकता को स्वीकार नहीं करते। वे वेदों का सम्मान करते हैं किन्तु उनमें आस्था नहीं रखते। जैन के रीति—रिवाज, परम्पराओं, चिन्तन, दर्शन, हिन्दुओं से भिन्न हैं, कुछ परम्पराओं में समानता का निष्कर्ष जैनधर्म की के रीति—रिवाज, परम्पराओं, चिन्तन, दर्शन, हिन्दुओं से भिन्न हैं, कुछ परम्पराओं में समानता का निष्कर्ष जैनधर्म की निरपेक्षता का उदाहरण है। समस्त पुराण एक मह है कि ऋषभ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम पुण्य भूमि भारत पड़ा है। जैनों ने धर्म के आधार पर अपने संवैधानिक अधिकार की मांग की थी और संवैधानिक अल्पसंख्यक का वर्गीकरण प्राप्त किया है, भारतीय होने के नाते वे हिन्दू हैं, किन्तु धर्म जैन है इसलिये यह कहना कि जैनियों को दिया गया अल्पसंख्यक का दर्जा हिन्दू धर्म एक और फूट है सर्वथा दुष्प्रचार हैं अब प्रश्न पैदा

होता है कि अल्पसंख्यक घोषित होने से जैनों को क्या लाभ है ? अक्टूबर २००३ के सरिता के अंक में श्री भागचन्द जैन एडवोकेट और एक अन्य लेख में एक अन्य लेखक ने जैन अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभों की ओर ध्यान आर्किषत किया है। मैं उन्हें उद्धरित कर रहा हूँ।

(१) जैन समाज के अल्पसंख्यक घोषित होने से संविधान के अनुच्छेद २९ व ३० के अनुसार जैन धर्म भाषा, संस्कृति की रक्षा संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत हो सकेगी।

(२) जैन समाज द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाओं में पढाई करने व कराने के लिये जैन धर्मावलम्बियों को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होगा।

(३) जैन धर्मावलम्बियों के र्धािमक संस्थाओं, मंदिरों, तीर्थ स्थानों व ट्रस्टों का सरकारीकरण या अधिग्रहण आदि नहीं किया जा सकेगा।

(४) जैन धर्मावलम्बियों द्वारा संचालित ट्रस्टों की सम्पत्ति को किराया नियंत्रण अधिनियम से भी मुक्ति प्राप्त करा सकेगे, जिससे मंदिर के मकान, दुकान आदि को आसानी से खाली कराया जा सके।

(५) अल्पसंख्यक वित्त आयोग से बहुत कम ब्याज दर पर ऋण व्यवसाय व उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध हो सकेगा।

(६) यदि भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में व राजनैतिक पदों पर एवं चुनाव में उम्मीदवार पर आरक्षण की सुविधा प्रदान करती है तो यह लाभ जैन धर्मावलम्बियों को भी प्राप्त हो सकेगा।

(७) जैन धर्मावलम्बियों द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाओं में जैन विद्र्याथियों के लिये ५० प्रतिशत सीटें आरक्षित की जा सकेगी।

(८) जैन धर्मावलम्बी अपनी प्राचीन संस्कृति, पुरातत्व का संरक्षण कर सकेगे।

(९) जैन धर्मावलम्बियों को बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किये जाने की स्थिति में सरकार जैनत्व की रक्षा करेगी।

(१०) जैन समुदाय द्वारा संचालित जिन संस्थाओं पर कानून की आड़ में बहुसंख्यकों ने कब्जा जमा रखा है उनसे मुक्ति मिलेगी।

(११) जैन धर्मावम्बियों द्वारा पुण्यार्थ, प्राणी सेवार्थ, शिक्षार्थ हेतु दान से एकत्रित किया गया धन कर से मुक्त होगा।

(१२) जैन धर्मवम्बियों द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित संस्थाओं में जैन धर्म संबंधी प्रार्थना एवं स्तुति की जा सकेगी।

(१३) जैन समाज के प्रतिभावान अभ्र्यिथयों को बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकेगी।

(१४) जैन मंदिरों और शिक्षण संस्थानों के प्रबंध की जिम्मेदारी जैनियों के हाथ में हो जायेगी।

(१५) शिक्षण और अन्य संस्थान स्थापित करने और उनके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जायेगा।

(१६) विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोिंचग कालेजों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को फीस नहीं देनी पड़ेगी।

(१७) जैन धर्म के छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिये ५० लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकेगा।

(१८) जैन समाज को स्कूल, कालेज, छात्रावास, शोध या प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध करायेगी और रियायती दर पर जमीन देगी।

मेरी राय में उपरोक्त रूप से मिलने वाले लाभों को हमें समझना होगा क्योंकि अधिकांश लाभ परोक्ष रूप में नहीं है। इनमें से कई लाभ ऐसे हैं जो सभी र्धािमक संस्थाओं को, सभी धर्मों के मंदिरों को पुरातत्व महत्व की इमारतों को प्राप्त है जिन्हें अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ जोड़ना उचित नहीं है। यो मैं यह मानता हूँ कि जैन समाज की जैनों को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग का मुख्य आधार संवैधानिक अधिकारों की मांग का रहा है और विज्ञप्ति में भी सभी राज्य सरकारों ने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद २९ व ३० का ही उल्लेख किया है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए मैं उपरोक्त कुछ लाभों की ओर ध्यान आर्किषत करना चाहूंगा—जैसे यह लाभ बताया गया है कि जैन धर्मावलम्बियों द्वारा संचालित ट्रस्टों की सम्पत्ति को किराया नियंत्रण अधिनियम से मुक्ति मिल सकेगी और मंदिर की सम्पत्ति को खाली कराया जा सकेगा। इस बाबत वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। प्रत्येक राज्यों में किराये के भवन/दुकान को खाली कराने के अपने—अपने अधिनियम हैं, प्रत्येक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किन्हीं ऐसे परिसरों को जो किसी र्धािमक, पूर्त या शैक्षणिक न्यास के या ऐसे न्यासों के वर्ग के हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बिनिर्दिष्ट किया जा सकेगी, जिससे किराया/बेदखली अधिनियम उन पर लागू नहीं होगा। स्पष्ट है इसका संबंध अल्पसंख्यक का वर्गीकरण प्राप्त करने से नहीं है। यह लाभ तो सभी धर्मों के परिसरों को प्राप्त हो सकता। वर्तमान में यह लाभ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी की परिसरों को अथवा नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड को प्राप्त है, वक्फ प्रापर्टी को प्राप्त है। मेहता गोविन्दिंसह जी ट्रस्ट उदयपुर तथा जोधपुर के श्रीकृष्ण अन्नक्षेत्र को प्राप्त है। जैनों के तीर्थक्षेत्रों अतिशय क्षेत्रों आदि के लिये किराया नियंत्रण कानून से मुक्ति की मांग उठायी जा सकती है।

यह बताया गया है कि जैन

यह बताया गया है कि जैन धर्मावलम्बियों के र्धािमक संस्थाओं मंदिर तीर्थ स्थानों व ट्रस्टों का सरकारीकरण व अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। यह बात भी परोक्ष रूप से सही नहीं है। अधिग्रहण का कानून जब लागू होता है जब जमीन का अधिग्रहण सर्वाजनिक प्रयोजननार्थ किया जाता है, इन कानून में कोई अपवाद नहीं है। प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक व पुरातत्व महत्व के स्थानों का जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनके सम्बन्ध प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय तथा पुरावशेष अधिनियम १९५८ तथा स्मारक संरक्षक अधिनियम १९०४ है। इनमें यह प्रावधान है कि यदि कोई संरक्षित स्मारकों को खतरा है तो केन्द्र सरकार उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसका अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य से कर सकती है तथा यदि केन्द्र सरकार यह धारणा रहती है कि संरक्षित क्षेत्र में कोई प्राचीन स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है तो वह राज्य सरकार को उसे अधिग्रहण करने हेतु निर्देश दे सकती हैं स्पष्ट है ऐसा अधिकग्रहण किसी भी धर्म के स्थलों के बाबत जो उक्त अधिनियम की परिधि में आते हैं हो सकता है अर्थात् अल्पसंख्यक समाज की सम्पत्ति होने व न होने से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। राजस्थान में राजस्थान स्मारक पुरात्वीय तथा पुरावशेश अधिनियम १९६१ है इसमें संरक्षित संस्मारक के हेतु अधिग्रहण व संरक्षण की व्यवस्था है।

अब यह देखने का प्रयत्न करें कि अल्पसंख्यक आयोग के क्या कर्तव्य हैं। नेशनल कमीशन आफ माईनोरिटीज १९९२ में कमीशन के कई कार्य बताये हुए हैं, उनमें मुख्य हैं अल्पसंख्यक समाज की प्रगति का मूल्यांकन करना, इस संबंध में जो कानून संरक्षण हेतु बनें हैं उका क्रियान्वयन देखना। अल्पसंख्यकों के हित हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना। अल्पसंख्यकों के प्रति यदि कोई भेदभाव का कृत्य अथवा हित विरुद्ध कार्यवाही किसी ने कही है तो उत्पीड़न के विरुद्ध उचित कार्यवाही करना। अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना। केन्द्र सरकार को समय—समय पर सुझाव देना। राजस्थान राज्य कमीशन फारमाईनोरिटीज अधिनियम २००१ में राज्य कमीशन को यही अधिकार अध्याय ३ में दिये हैं। नेशनल कमीशन ने समय—समय पर वैधानिक अनुसंशाएं जारी की हैं। जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिनांक १२.९.२००१ को सिफारिश की है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक को निर्देशन दें कि अल्पसंख्यकों को ऋण की सुविधा प्रदान करें।

(२) कमीशन में अपने पत्र दिनांक ०६.०६.२००१ के द्वारा र्आिकयोलोडिकल सर्वे आफ इंडिया को सिफारिश की है कि धार्मिक स्थलों/मंदिरों में जहाँ प्रवेश शुल्क लिया जाता है उसे माफ किया जावे।

(३) कमीशन में दिनांक २१.०६.२००१ को सभी राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि स्टेट में अपर हाउस के हेतु अल्पसंख्यकों के हेतु सीट रिजर्व करने हेतु कानूनी प्रावधान बनाया जावे।

(४) कमीशन ने अपने पत्र दिनांक ३१.११.२०११ से रेलवे बोर्ड को सिफारिश की है कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के छात्रों को जो रेलवे फैयर के कंसेशन की सुविधा प्राप्त है वे मदरसों को भी उपलब्ध कराई जावे। यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि ऐसी सिफारिशें यदि केन्द्र सरकार के लिये हैं तो केन्द्र सरकार

इन सिफारिशों को र्पािलयामेट में प्रस्तुत करेगी और स्वीकार करने अथवा न करने के बाबत सरकार पर्याप्त कारण बतायेगी। यदि ये सिफारिशें राज्य सरकार के लिये हैं तो राज्य सरकार उन्हें अपनी टिप्पणी के साथ विधानसभा में रखेगी। राजस्थान राज्य कमीशन फार माइनारिटीज एक्ट २००१ में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है किन्तु यह अपेक्षा की गई है अल्पसंख्यकों के संबंध में पालिसी मैटर्स में सरकार कमीशन से सलाह लेगी।

उपरोक्त परिस्थितियों के संदर्भ

उपरोक्त परिस्थितियों के संदर्भ में ही हमें उन लाभ की ओर आर्किषत होना होगा जो ऊपर बताये हैं। हमार कर्तव्य है कि हम भ्रम पैदा न करें, न जनता की आकांक्षाओं को उभारें। राज्य के अल्पसंख्यक आयोग को अपने विधि सम्मत अधिकारों की प्राप्ति हेतु प्रतिवेदन द्वारा सुझाव दें और उनके द्वारा जारी की गई अनुशंषाओं को कार्यान्वित कराने का प्रयत्न करें तथा उपरोक्त कानून में जो संरक्षण दिये हैं उन्हें अन्य र्धािमक संस्थाओं, ट्रस्टों द्वारा जिस प्रकार प्राप्त किये हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करें क्योंकि अल्पसंख्यक को अलग से ये अधिकार नहीं है। केन्द्र अथवा अन्नू राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्याकों को जो अब तक लाभ प्राप्त हुए हैं वे जैन अल्पसंख्यकों को भी प्राप्त हों इस हेतु विवेकपूर्वक अपनी मांग उठायें। जैनों को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने से संवैधानिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद २९ व ३० में दिये हैं, प्राप्त हुए हैं जिसके अनुसार जैन धर्म और संस्कृति की रक्षा संविधान के अन्तर्गत हो सकेगी। जैन समाज द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं में पढ़ाई करने व कराने के लिए उन्हें स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होंगे। सरकार इन पर कोई अंकुश नहीं लगा सकती।, इन पर नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग नहीं लगा सकती। अर्थात् सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहेगी। जैन शिक्षण संस्थाओं में ५० प्रतिशत सीटें जैन छात्रों के लिये आरक्षित रहेंगी। जैन शिक्षण संस्थाओं में जैन धर्म की शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकेगी।

जैन धर्म में राष्ट्र धर्म की क्षमता प्राप्त है। जैन धर्म सम्प्रदायवादी नहीं है। जैनों के अल्पसंख्यक घोषित होने का राजनैतिक पहलू किंचित मात्र भी नहीं है। अनुसूचित जाति या जनजाति अथवा पिछड़ी जाति को आर्थिक आधार पर संरक्षण देने को जो विचार धारा चल रही है, उससे जैन समाज का कोई विरोध नहीं है। जैन समाज को अपने लिये इस प्रकार के आरक्षण की कभी कोई मांग नहीं रही है। जैन समाज संतुष्ट है कि उन्हें अन्य धर्मों के समाज संरक्षण अथवा अधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यक आयोग जो भी सिफारिशें समय—समय पर यदि जैन अल्पसंख्यकों के हेतु अथवा सभी अल्पसंख्यकों को लिये करता है तो वे उनकी संतुष्टि के हेतु पर्याप्त होगी। वस्तुत: लाभ र्अिजत करने हेतु केवल संवैधानिक अधिकार की मांग की है।

जस्टिक पानाचन्द जैन, जयपुर

वर्धमान संदेश जनवरी २०१४

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 9

भारत में ट्रैफिक नियमों के अनुसार नियम तोड़ने पर एक दिन में एक ही बार आपका चालान कटेगा, बार-बार नहीं. जैसे अगर हेलमेट न पहनने के लिए आपका एक बार चालान कट गया है तो फिर पूरे दिन में कोई दूसरा ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपका चालान नहीं काट सकता है और न ही आपसे जुर्माना ले सकता है.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 10

एक नियम यह भी है कि आप बाज़ार में किसी भी वस्तु की MRP (Maximum Retail Price) पर मोल-भाव कर सकते हैं. जैसे कि अगर किसी सामान पर उसका मूल्य 500 रुपए लिखा है, तो आप मोल-भाव करके 400 रुपए में भी खरीद सकते हैं.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 11

भारतीय क़ानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर आपको वापस नहीं देता है, तो आप उसके खिलाफ़ अदालत में शिकायत दर्ज़ करें. यह आपका कानूनी अधिकार है कि तीन साल के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन देकर अदालत में मामला दर्ज़ करा सकते हैं.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 12
आपने कई बार देखा होगा कि लोग सार्वजनिक जगहों पर आपत्तिजनक या अश्लील हरकतें कर रहे हैं. अगर आप किसी को ऐसा करते देखें तो उसको बताएं कि भारतीय कानून में सार्वजानिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने के लिए कम से कम 3 महीनों की सजा का प्रावधान रखा गया है.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 13

अगर आपने एक साथ एक से अधिक नियमों को तोड़ा है या उनका उल्लंघन किया है तो पुलिस हेड-कांस्टेबल आपका चालान काट सकता है. लेकिन एक पुलिस हेड-कांस्टेबल उस अपराध के लिए आपका चालान नहीं काट सकता जिसका जुर्माना 100 रुपए से ज़्यादा हो.

कोई भी जानकारी होतो आप अपने ईमेल करो email- hrfofindia@gmail.com -/ email - anil.hinger@hrfofindia.org -- www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।

GK जनरल नॉलेज ग्रुप
⚜📚📖
_*9168390345*_
★_*रसुल खडकाळे*_★
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
JOIN GROUPS
1)🌹THE GREAT ISLAM🌹
2)📖GK जनरल नॉलेज📚
3) 📰 NEWS&UPDATES
📚📖📚📖📚📖📚
📙📗📕📘📙📕📗📘
🙅 🙆 *हर भारतीय महिला को पता होने चाहिए ये 10 कानूनी अधिकार*🙆 🙅
🌷 जैसे-जैसे समय बदल रहा है कानूनी मामलों में भी महिलाओं को अपनी स्थिति के बारे में जागरुक होना चाहिए.
🌹 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पुंज के रूप में उभर रहे हैं. हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार और अवसर दिए हैं उन्हें भी प्रमुखता मिल रही है. आज महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं. हांलाकि, मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई हैं. ऐसे में महिलाओं को भी भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरुकता होनी चाहिए.
♦♦♦♦♦
★1. *समान वेतन का अधिकार-* समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता.
★2. *काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार-* काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है.
★3. *नाम न छापने का अधिकार-* यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है. अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है.
★4. *घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार-* ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है. आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है.

★5. *मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार-* मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है. मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई मां के प्रसव के बाद 12 सप्ताह(तीन महीने) तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती और वो फिर से काम शुरू कर सकती हैं.
★6. *कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार-* भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार- 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें. गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक(लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है.
★7. *मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार-* बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है. स्टेशन हाउस आफिसर(SHO) के लिए ये ज़रूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण(Legal Services Authority) को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे.
★8. *रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार-* एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है.
★9. *गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार-* किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, उसपर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए.
★10. *संपत्ति पर अधिकार-*हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है.
●●●●●●●●●●
*💁 महिलाओं के हक🙅 *
〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰

16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उसने देश में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर कड़वी सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया। जरूरी है कि ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े हर महत्वपूर्ण कानून और प्रावधानों पर नजर डाली जाए। इस बारे में तफ्सील से बता रहे हैं रसुल खडकाळे:
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
💠 *जमीन जायदाद में हक*
◆ _पिता की संपत्ति पर हक_
महिलाओं को अपने पिता और पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई संपति के मामले में कोई वसीयत नहीं की है, तब उनके बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उनकी मां को। जहां तक शादी के बाद इस अधिकार का सवाल है तो यह अधिकार शादी के बाद भी कायम रहेगा।

पति से जुड़े हक

संपत्ति पर हक- शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। महिला को यह अधिकार है कि उसका भरण-पोषण उसका पति करे और पति की जो हैसियत है, उस हिसाब से भरण पोषण होना चाहिए। वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में कई कानूनी प्रावधान हैं, जिनके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है।

कानूनी जानकार बताते हैं कि सीआरपीसी, हिंदू मैरिज ऐक्ट, हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटिनेंस ऐक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। अगर पति ने कोई वसीयत बनाई है तो उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को वसीयत के मुताबिक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लेकिन पति अपनी खुद की अर्जित संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है। पैतृक संपत्ति की अपनी पत्नी के फेवर में विल नहीं कर सकता। अगर पति ने कोई वसीयत नहीं बनाई हुई है और उसकी मौत हो जाए तो पत्नी को उसकी खुद की अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में वह दावा नहीं कर सकती।

अगर हो जाए अनबन

अगर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और पत्नी पति से अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहे तो वह सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। साथ ही हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटेनेंस ऐक्ट की धारा-18 के तहत भी अर्जी दाखिल की जा सकती है। घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग पत्नी कर सकती है। अगर पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा हो तो वह हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा-24 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। पति-पत्नी में तलाक हो जाए तो तलाक के वक्त जो मुआवजा राशि तय होती है, वह भी पति की सैलरी और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर ही तय होती है।

मिलेंगे और अधिकार

हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तलाक होने पर महिला को पति की पैतृक व विरासत योग्य संपत्ति से भी मुआवजा या हिस्सेदारी मिलेगी। इस मामले में कानून बनाया जाना है और इसके बाद पत्नी का हक बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर पत्नी को तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिए जाने का प्रावधान किया गया तो इससे महिलाओं का हक बढ़ेगा। वैसी स्थिति में पति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है या फिर उसकी नौकरी नहीं है। पैतृक संपत्ति में हक मिलने से तलाक के वक्त जब मुआवजा तय किया जाएगा, तो पति की सैलरी, उसकी अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के आधार पर गुजारा भत्ता और मुआवजा तय किया जाएगा।

खुद की संपत्ति पर अधिकार

कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को चाहे तो वह बेच सकती है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है और चाहे तो महिला उस संपति से अपने बच्चो को बेदखल भी कर सकती है।

घरेलू हिंसा से सुरक्षा

महिलाओं को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डीवी ऐक्ट (डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट) का प्रावधान किया गया है। महिला का कोई भी डोमेस्टिक रिलेटिव इस कानून के दायरे में आता है।

_क्या है घरेलू हिंसा_

घरेलू हिंसा का मतलब है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना। अगर महिला के साथ मारपीट की गई हो या फिर मानसिक प्रताड़ना दी गई हो तो वह डीवी ऐक्ट के तहत कवर होगा। महिला के साथ मानसिक प्रताड़ना से मतलब है ताना मारना या फिर गाली-गलौज करना या फिर अन्य तरह से भावनात्मक ठेस पहुंचाना। इसके अलावा आर्थिक प्रताड़ना भी इस मामले में कवर होता है। यानी किसी महिला को खर्चा न देना या उसकी सैलरी आदि ले लेना या फिर उसके नौकरी आदि से संबंधित दस्तावेज कब्जे में ले लेना भी प्रताड़ना है। इन तमाम मामलों में महिला चाहे वह पत्नी हो या बेटी या फिर मां ही क्यों न हो, वह इसके लिए आवाज उठा सकती है और घरेलू हिंसा कानून का सहारा ले सकती है। किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसे घर से निकाला जा रहा हो या फिर आर्थिक तौर पर परेशान किया जा रहा हो तो वह डीवी ऐक्ट के तहत शिकायत कर सकती है।

♦ _क्या है डोमेस्टिक रिलेशन_

एक ही छत के नीचे किसी भी रिश्ते के तहत रहने वाली महिला प्रताड़ना की शिकायत कर सकती है और वह हर रिलेशन डोमेस्टिक रिलेशन के दायरे में आएगा। डीवी ऐक्ट के तहत एक महिला जो शादी के रिलेशन में हो तो वह ससुराल में रहने वाले किसी भी महिला या पुरुष की शिकायत कर सकती है लेकिन वह डोमेस्टिक रिलेशन में होने चाहिए। अगर महिला शादी के रिलेशन में नहीं है और उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशन में वॉयलेंस होती है तो वह ऐसी स्थिति में इसके लिए केवल जिम्मेदार पुरुष को ही प्रतिवादी बना सकती है। अपनी मां, बहन या भाभी को वह इस ऐक्ट के तहत प्रतिवादी नहीं बना सकती।

डीवी एक्ट की धारा-12

इसके तहत महिला मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत कर सकती है। शिकायत पर सुनवाई के दौरान अदालत प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगता है। महिला जहां रहती है या जहां उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या फिर जहां प्रतिवादी रहते हैं, वहां शिकायत की जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंसिडेंट रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करता है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत प्रतिवादी को समन जारी करता है। प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद अदालत अपना आदेश पारित करती है। इस दौरान अदालत महिला को उसी घर में रहने देने, खर्चा देने या फिर उसे प्रोटेक्शन देने का आदेश दे सकती है। अगर अदालत महिला के फेवर में आदेश पारित करती है और प्रतिवादी उस आदेश का पालन नहीं करता है तो डीवी ऐक्ट-31 के तहत प्रतिवादी पर केस बनता है। इस एक्ट के तहत चलाए गए मुकदमे में दोषी पाए जाने पर एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही, 20 हजार रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह केस गैर जमानती और कॉग्नेजिबल होता है।

★लिव-इन रिलेशन में भी डीवी ऐक्ट

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। डीवी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें मुआवजा आदि मिल सकता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए देश में नियम तय किए गए हैं। ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों को कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं।

लिव-इन में अधिकार

सिर्फ उसी रिश्ते को लिव-इन रिलेशनशिप माना जा सकता है, जिसमें स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना पति-पत्नी की तरह रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों बालिग और शादी योग्य हों। यदि दोनों में से कोई एक या दोनों पहले से शादीशुदा है तो उसे लिव-इन रिलेशनशिप नहीं कहा जाएगा। अगर दोनों तलाक शुदा हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं तो इसे लिव-इन रिलेशन माना जाएगा। लिव-इन रिलेशन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह उसके खिलाफ इस ऐक्ट के तहत शिकायत कर सकती है। ऐसे संबंध में रहते हुए उसे राइट-टु-शेल्टर भी मिलता है। यानी जब तक यह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन संबंध खत्म होने के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है। हालांकि पार्टनर की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। लेकिन पार्टनर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और पहले से गुजारा भत्ता तय हो रखा है तो वह भत्ता जारी रह सकता है, लेकिन उसे संपत्ति में कानूनी अधिकार नहीं है। यदि लिव-इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिये संपत्ति लिव-इन पार्टनर को लिख दी है तो तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पार्टनर को मिल जाती है।

♂♀ ~सेक्शुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन~

सेक्शुअल हैरेसमेंट, छेड़छाड़ या फिर रेप जैसे वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 16 दिसंबर की गैंग रेप की घटना के बाद सरकार ने वर्मा कमिशन की सिफारिश पर ऐंटि-रेप लॉ बनाया। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा-375 के तहत रेप के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ओरल सेक्स दोनों को ही रेप माना गया है। साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज के पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है। अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या फिर अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह रेप होगा। अगर कोई शख्स महिला के प्राइवेट पार्ट में अपने शरीर का अंग या फिर अन्य चीज डालता है तो वह रेप होगा।

बलात्कार के वैसे मामले जिसमें पीड़िता की मौत हो जाए या कोमा में चली जाए, तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। रेप में कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। रेप के कारण लड़की कोमा में चली जाए या फिर कोई शख्स दोबारा रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो वैसे मामले में फांसी तक का प्रावधान किया गया है।

नए कानून के तहत छेड़छाड़ के मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसके तहत आईपीसी की धारा-354 को कई सब सेक्शन में रखा गया है। 354-ए के तहत प्रावधान है कि सेक्शुअल नेचर का कॉन्टैक्ट करना, सेक्शुअल फेवर मांगना आदि छेड़छाड़ के दायरे में आएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्शुअल कॉमेंट करता है तो एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-बी के तहत अगर कोई शख्स महिला की इज्जत के साथ खेलने के लिए जबर्दस्ती करता है या फिर उसके कपड़े उतारता है या इसके लिए मजबूर करता है तो 3 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-सी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट ऐक्ट की तस्वीर लेता है और उसे लोगों में फैलाता है तो ऐसे मामले में एक साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर दोबारा ऐसी हरकत करता है तो 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-डी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला का जबरन पीछा करता है या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। जो भी मामले संज्ञेय अपराध यानी जिन मामलों में 3 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, उन मामलों में शिकायती के बयान के आधार पर या फिर पुलिस खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज कर सकती है।

■ _वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन_

वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार मिल हुए हैं। सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थीं। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस तमाम सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। इसके तहत एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 गाइडलाइंस बनाई हैं। एंप्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वह सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोके। सेक्शुअल हैरेसमेंट के दायरे में छेड़छाड़, गलत नीयत से टच करना, सेक्शुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पॉर्न दिखाना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इन मामलों के अलावा, कोई ऐसा ऐक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफेंस है, की शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है, तो एंप्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे।

कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि विक्टिम अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्येक दफ्तर में एक कंप्लेंट कमिटी होगी, जिसकी चीफ महिला होगी। कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। मौजूदा समय में वर्क प्लेस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए विशाखा जजमेंट के तहत ही कार्रवाई होती है। इस बाबत कोई कानून नहीं है, इस कारण गाइडलाइंस प्रभावी है। अगर कोई ऐसी हरकत जो आईपीसी के तहत अपराध है, उस

मामले में शिकायत के बाद केस दर्ज किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होती है।

मेटरनिटी लीव

गर्भवती महिलाओं के कुछ खास अधिकार हैं। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद-42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं। पार्लियामेंट ने 1961 में यह कानून बनाया था। इसके तहत कोई भी महिला अगर सरकारी नौकरी में है या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में, जिसकी स्थापना इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट 1948 के तहत हुई हो, में काम करती है तो उसे मेटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को वही सैलरी और भत्ता दिया जाएगा जो उसे आखिरी बार दिया गया था। अगर महिला का अबॉर्शन हो जाता है तो भी उसे इस ऐक्ट का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि अगर महिला प्रेग्नेंसी के कारण या फिर वक्त से पहले बच्चे का जन्म होता है या फिर गर्भपात हो जाता है और इन कारणों से अगर महिला बीमार होती है तो मेडिकल रिपोर्ट आधार पर उसे एक महीने का अतिरिक्त अवकाश मिल सकता है। इस दौरान भी उसे तमाम वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं डिलिवरी के 15 महीने बाद तक महिला को दफ्तर में रहने के दौरान दो बार नर्सिंग ब्रेक मिलेगा। केन्द्र सरकार ने सुविधा दी है कि सरकारी महिला कर्मचारी, जो मां हैं या बनने वाली हैं तो उन्हें मेटरनिटी पीरियड में विशेष छूट मिलेगी। इसके तहत महिला कर्मचारियों को अब 135 दिन की जगह 180 दिन की मेटरनिटी लीव मिलेगी। इसके अलावा वह अपनी नौकरी के दौरान दो साल (730 दिन) की छुट्टी ले सकेंगी। यह छुट्टी बच्चे के 18 साल के होने तक वे कभी भी ले सकती हैं। यानी कि बच्चे की बीमारी या पढ़ाई आदि में, जैसी जरूरत हो। मेटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर महिला का एम्प्लॉयर इस बेनिफिट से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। महिला कोर्ट जा सकती है और दोषी को एक साल तक कैद की सजा हो सकती है।

।

ससुराल में कानूनी कवच

अबॉर्शन के लिए महिला की सहमति अनिवार्य

महिला की सहमित के बिना उसका अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों से निबटने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। कानूनी जानकार बताते हैं कि अबॉर्शन तभी कराया जा सकता है, जब गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो। 1971 में इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट। ऐक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी पैदा करने वाले हों या गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके अलावा, अगर महिला मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर इसके लिए सक्षम

न हो भी तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और वह गर्भवती हो गई हो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए जो वर्जित संबंध में हों और महिला गर्भवती हो गई हो तो महिला का अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसका अबॉर्शन कराया जाता है, तो ऐसे में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

💸💴💵💷💶 *दहेज निरोधक कानून*

दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निबटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की �

—

★★★★★★★★★★

*इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेअर करें ताकी ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें* *GK जनरल नॉलेज ग्रुप*

⚜📚📖

_*9168390345*_

★_*रसुल खडकाळे*_★

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

JOIN GROUPS

1)🌹THE GREAT ISLAM🌹

2)📖GK जनरल नॉलेज📚

3) 📰 NEWS&UPDATES

📚📖📚📖📚📖📚

📙📗📕📘📙📕📗📘

रसुल खडकाळे: ---------------------- 9168390345

स्त्रियांसाठीचे आपल्याला माहित असावेत असे कायदे

आपल्या घटनेत स्त्रियांना संकटकाळी उपयोगी पडणारे काही कायदे आहेत. आणि नुकतंच पिंक चित्रपटाने हे कायदे आपल्याला जाणवून दिले आहेत. तर पाहूया आज माहिलांच्या बाजूने असलेली कायद्याची काही कलमं._

झिरो FIR

या अधिकारानुसार पिडीत महिला कोणत्याही ठिकाणच्या पोलीस स्टेशनमध्ये FIR करु शकते. ते पोलीस स्टेशन त्या स्त्रीच्या एरिया आणि जुरीसडिक्शन मध्येच असावं, असा काही नियम नाही. त्या पोलीस स्टेशनच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला FIR दाखल करून घ्यावीच लागते. त्या स्त्रीला गरज पडली, तर तो FIR नंतर ट्रांसफर करुन घेतला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार पिडीत महिलेवर गुन्हा

झाल्यावर तिला एक ठराविक पोलीस स्टेशन शोधत फिरायची गरज नाही , त्यावेळी तिला जे पोलीस स्टेशन जवळ आणि सोयीस्कर वाटेल तिथे ती तिची FIR दाखल करु शकते .
सेक्शन ३५४
कोणतीही व्यक्ती जर कुणा महिलेच्या इज्जत आणि आत्मसन्मानाची छेड काढण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्या व्यक्तीला सरळ हे कलम लागू होतं. जर त्या पिडीत स्त्रीने याबद्दलचा FIR दाखल केला, तर या अधिकारानुसार त्यावर कारवाई सुद्धा होते .
सेक्शन ५०३
हे एक महत्वाचं कलम आहे. फक्त एखाद्या माहिलेलाच नाही, तर तिच्या जवळच्या व्यक्तीला त्रास देऊन किंवा त्रास देण्याच्या धमक्या कुणी देत असेल, तर ती व्यक्ती कायद्याच्या नजरेत दोषी आहे. यात मग बाईला धमक्या देणं किंवा तिला ब्लॅकमेल करून बेकायदेशीर काम करायला लावणं, किंवा तिनं तिचं काम करू नये म्हणून धमक्या देणं हे सगळं या ५०३ कलमाच्या अंतर्गत येतं. अशा धमक्या देणारी ती व्यक्ती भारतीय दंडविधान कलमांखाली आरोपी मानली जाते आणि त्या व्यक्तीवर केस होऊ शकते.
शनिवार-रविवार जामीन
महिला आणि लहान मुलं यांना शनिवार आणि रविवार या दिवशीही जामिन दिली जाण्याची तरतूद आहे. सुटटीच्या दिवशी हे काम जजच्या घरी होऊ शकते.
सेक्शन १५४
या कायद्यानुसार एका महिलेला हा अधिकार आहे की ती तिला कोणत्याही अनकंफर्टेबल वाटणाऱ्या प्रश्नाचं उत्तर एखाद्या खाजगी ठिकाणी रेकॉर्ड करुन देऊ शकते. त्याठिकाणी तिच्या सोबत एक पुरुष आणि एक महिला कॉन्स्टेबलचं असणं गरजेचं आहे. कोर्टात सर्वांसमोर काही प्रश्नांची उत्तरं देणं महिलांना शक्य होत नाही, आणि जर ती केस बलात्काराविषयी असेल तर त्या महिलेला खूपच कठिण प्रसंगाला आणि प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. अशा वेळी ती महिला या कायद्याचा उपयोग करु शकते.
☎️ _
📞_02225203234
ग्रुप में ऍड होने के लिये अपना पुरा नाम,पुरा पता लिखकर मुझे पर्सनल भेजें।
सिर्फ उसे ही ऍड किया जयेगा जिसका . Name.www.
hrfofindia.org.email. anil.hinger@hrfofindia.org. Email.hrfofindia@gmail.co

GK जनरल नॉलेज ग्रुप
⚜📚📖
_*9168390345*_
★_*रसुल खडकाळे*_★
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
JOIN GROUPS
1)🌹THE GREAT ISLAM🌹
2)📖GK जनरल नॉलेज📚
3) 📰 NEWS&UPDATES
📚📖📚📖📚📖📚
📙📗📕📘📙📕📗📘
🙅 🙆 *हर भारतीय महिला को पता होने चाहिए ये 10 कानूनी अधिकार*🙆 🙅
🌷 जैसे-जैसे समय बदल रहा है कानूनी मामलों में भी महिलाओं को अपनी स्थिति के बारे में जागरुक होना चाहिए.
🌹 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पुंज के रूप में उभर रहे हैं. हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार और अवसर दिए हैं उन्हें भी प्रमुखता मिल रही है. आज महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं. हांलाकि, मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई हैं. ऐसे में महिलाओं को भी भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरुकता होनी चाहिए.
♦♦♦♦♦
★1. *समान वेतन का अधिकार-* समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता.
★2. *काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार-* काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है.
★3. *नाम न छापने का अधिकार-* यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है. अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है.
★4. *घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार-* ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है. आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है.

★5. *मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार-* मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है. मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई मां के प्रसव के बाद 12 सप्ताह(तीन महीने) तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती और वो फिर से काम शुरू कर सकती हैं.
★6. *कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार-* भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार- 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें. गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक(लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है.
★7. *मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार-* बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है. स्टेशन हाउस आफिसर(SHO) के लिए ये ज़रूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण(Legal Services Authority) को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे.
★8. *रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार-* एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है.
★9. *गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार-* किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, उसपर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए.
★10. *संपत्ति पर अधिकार-*हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है.
●●●●●●●●●●
*💁 महिलाओं के हक🙅 *
〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰
16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उसने देश में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर कड़वी सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया। जरूरी है कि ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े हर महत्वपूर्ण कानून और प्रावधानों पर नजर डाली जाए। इस बारे में तफ्सील से बता रहे हैं रसुल खडकाळे:
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
💠 *जमीन जायदाद में हक*
◆ _पिता की संपत्ति पर हक_
महिलाओं को अपने पिता और पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई संपति के मामले में कोई वसीयत नहीं की है, तब उनके बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उनकी मां को। जहां तक शादी के बाद इस अधिकार का सवाल है तो यह अधिकार शादी के बाद भी कायम रहेगा।

पति से जुड़े हक

संपत्ति पर हक- शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। महिला को यह अधिकार है कि उसका भरण-पोषण उसका पति करे और पति की जो हैसियत है, उस हिसाब से भरण पोषण होना चाहिए। वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में कई कानूनी प्रावधान हैं, जिनके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है।

कानूनी जानकार बताते हैं कि सीआरपीसी, हिंदू मैरिज ऐक्ट, हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटिनेंस ऐक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। अगर पति ने कोई वसीयत बनाई है तो उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को वसीयत के मुताबिक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लेकिन पति अपनी खुद की अर्जित संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है। पैतृक संपत्ति की अपनी पत्नी के फेवर में विल नहीं कर सकता। अगर पति ने कोई वसीयत नहीं बनाई हुई है और उसकी मौत हो जाए तो पत्नी को उसकी खुद की अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में वह दावा नहीं कर सकती।

अगर हो जाए अनबन

अगर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और पत्नी पति से अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहे तो वह सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। साथ ही हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटेनेंस ऐक्ट की धारा-18 के तहत भी अर्जी दाखिल की जा सकती है। घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग पत्नी कर सकती है। अगर पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा हो तो वह हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा-24 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। पति-पत्नी में तलाक हो जाए तो तलाक के वक्त जो मुआवजा राशि तय होती है, वह भी पति की सैलरी और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर ही तय होती है।

मिलेंगे और अधिकार

हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तलाक होने पर महिला को पति की पैतृक व विरासत योग्य संपत्ति से भी मुआवजा या हिस्सेदारी मिलेगी। इस मामले में कानून बनाया जाना है और इसके बाद पत्नी का हक बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर पत्नी को तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिए जाने का प्रावधान किया गया तो इससे महिलाओं का हक बढ़ेगा। वैसी स्थिति में पति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है या फिर उसकी नौकरी नहीं है। पैतृक संपत्ति में हक मिलने से तलाक के वक्त जब मुआवजा तय किया जाएगा, तो पति की सैलरी, उसकी अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के आधार पर गुजारा भत्ता और मुआवजा तय किया जाएगा।

खुद की संपत्ति पर अधिकार

कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को चाहे तो वह बेच सकती है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है और चाहे तो महिला उस संपति से अपने बच्चो को बेदखल भी कर सकती है।

घरेलू हिंसा से सुरक्षा

महिलाओं को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डीवी ऐक्ट (डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट) का प्रावधान किया गया है। महिला का कोई भी डोमेस्टिक रिलेटिव इस कानून के दायरे में आता है।

_क्या है घरेलू हिंसा_

घरेलू हिंसा का मतलब है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना। अगर महिला के साथ मारपीट की गई हो या फिर मानसिक प्रताड़ना दी गई हो तो वह डीवी ऐक्ट के तहत कवर होगा। महिला के साथ मानसिक प्रताड़ना से मतलब है ताना मारना या फिर गाली-गलौज करना या फिर अन्य तरह से भावनात्मक ठेस पहुंचाना। इसके अलावा आर्थिक प्रताड़ना भी इस मामले में कवर होता है। यानी किसी महिला को खर्चा न देना या उसकी सैलरी आदि ले लेना या फिर उसके नौकरी आदि से संबंधित दस्तावेज कब्जे में ले लेना भी प्रताड़ना है। इन तमाम मामलों में महिला चाहे वह पत्नी हो या बेटी या फिर मां ही क्यों न हो, वह इसके लिए आवाज उठा सकती है और घरेलू हिंसा कानून का सहारा ले सकती है। किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसे घर से निकाला जा रहा हो या फिर आर्थिक तौर पर परेशान किया जा रहा हो तो वह डीवी ऐक्ट के तहत शिकायत कर सकती है।

♦ _क्या है डोमेस्टिक रिलेशन_

एक ही छत के नीचे किसी भी रिश्ते के तहत रहने वाली महिला प्रताड़ना की शिकायत कर सकती है और वह हर रिलेशन डोमेस्टिक रिलेशन के दायरे में आएगा। डीवी ऐक्ट के तहत एक महिला जो शादी के रिलेशन में हो तो वह ससुराल में रहने वाले किसी भी महिला या पुरुष की शिकायत कर सकती है लेकिन वह डोमेस्टिक रिलेशन में होने चाहिए। अगर महिला शादी के रिलेशन में नहीं है और उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशन में वॉयलेंस होती है तो वह ऐसी स्थिति में इसके लिए केवल जिम्मेदार पुरुष को ही प्रतिवादी बना सकती है। अपनी मां, बहन या भाभी को वह इस ऐक्ट के तहत प्रतिवादी नहीं बना सकती।

डीवी एक्ट की धारा-12

इसके तहत महिला मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत कर सकती है। शिकायत पर सुनवाई के दौरान अदालत प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगता है। महिला जहां रहती है या जहां उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या फिर जहां प्रतिवादी रहते हैं, वहां शिकायत की जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंसिडेंट रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करता है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत प्रतिवादी को समन जारी करता है। प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद अदालत अपना आदेश पारित करती है। इस दौरान अदालत महिला को उसी घर में रहने देने, खर्चा देने या फिर उसे प्रोटेक्शन देने का आदेश दे सकती है। अगर अदालत महिला के फेवर में आदेश पारित करती है और प्रतिवादी उस आदेश का पालन नहीं करता है तो डीवी ऐक्ट-31 के तहत प्रतिवादी पर केस बनता है। इस एक्ट के तहत चलाए गए मुकदमे में दोषी पाए जाने पर एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही, 20 हजार रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह केस गैर जमानती और कॉग्नेजिबल होता है।

★लिव-इन रिलेशन में भी डीवी ऐक्ट

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। डीवी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें मुआवजा आदि मिल सकता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए देश में नियम तय किए गए हैं। ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों को कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं।

लिव-इन में अधिकार

सिर्फ उसी रिश्ते को लिव-इन रिलेशनशिप माना जा सकता है, जिसमें स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना पति-पत्नी की तरह रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों बालिग और शादी योग्य हों। यदि दोनों में से कोई एक या दोनों पहले से शादीशुदा है तो उसे लिव-इन रिलेशनशिप नहीं कहा जाएगा। अगर दोनों तलाक शुदा हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं तो इसे लिव-इन रिलेशन माना जाएगा। लिव-इन रिलेशन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह उसके खिलाफ इस ऐक्ट के तहत शिकायत कर सकती है। ऐसे संबंध में रहते हुए उसे राइट-टु-शेल्टर भी मिलता है। यानी जब तक यह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन संबंध खत्म होने के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है। हालांकि पार्टनर की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। लेकिन पार्टनर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और पहले से गुजारा भत्ता तय हो रखा है तो वह भत्ता जारी रह सकता है, लेकिन उसे संपत्ति में कानूनी अधिकार नहीं है। यदि लिव-इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिये संपत्ति लिव-इन पार्टनर को लिख दी है तो तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पार्टनर को मिल जाती है।

♂♀ ~सेक्शुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन~

सेक्शुअल हैरेसमेंट, छेड़छाड़ या फिर रेप जैसे वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 16 दिसंबर की गैंग रेप की घटना के बाद सरकार ने वर्मा कमिशन की सिफारिश पर ऐंटि-रेप लॉ बनाया। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा-375 के तहत रेप के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ओरल सेक्स दोनों को ही रेप माना गया है। साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज के पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है। अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या फिर अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह रेप होगा। अगर कोई शख्स महिला के प्राइवेट पार्ट में अपने शरीर का अंग या फिर अन्य चीज डालता है तो वह रेप होगा।

बलात्कार के वैसे मामले जिसमें पीड़िता की मौत हो जाए या कोमा में चली जाए, तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। रेप में कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। रेप के कारण लड़की कोमा में चली जाए या फिर कोई शख्स दोबारा रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो वैसे मामले में फांसी तक का प्रावधान किया गया है।

नए कानून के तहत छेड़छाड़ के मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसके तहत आईपीसी की धारा-354 को कई सब सेक्शन में रखा गया है। 354-ए के तहत प्रावधान है कि सेक्शुअल नेचर का कॉन्टैक्ट करना, सेक्शुअल फेवर मांगना आदि छेड़छाड़ के दायरे में आएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्शुअल कॉमेंट करता है तो एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-बी के तहत अगर कोई शख्स महिला की इज्जत के साथ खेलने के लिए जबर्दस्ती करता है या फिर उसके कपड़े उतारता है या इसके लिए मजबूर करता है तो 3 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-सी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट ऐक्ट की तस्वीर लेता है और उसे लोगों में फैलाता है तो ऐसे मामले में एक साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर दोबारा ऐसी हरकत करता है तो 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-डी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला का जबरन पीछा करता है या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। जो भी मामले संज्ञेय अपराध यानी जिन मामलों में 3 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, उन मामलों में शिकायती के बयान के आधार पर या फिर पुलिस खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज कर सकती है।

■ _वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन_

वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार मिल हुए हैं। सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थीं। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस तमाम सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। इसके तहत एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 गाइडलाइंस बनाई हैं। एंप्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वह सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोके। सेक्शुअल हैरेसमेंट के दायरे में छेड़छाड़, गलत नीयत से टच करना, सेक्शुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पॉर्न दिखाना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इन मामलों के अलावा, कोई ऐसा ऐक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफेंस है, की शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है, तो एंप्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे।

कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि विक्टिम अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्येक दफ्तर में एक कंप्लेंट कमिटी होगी, जिसकी चीफ महिला होगी। कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। मौजूदा समय में वर्क प्लेस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए विशाखा जजमेंट के तहत ही कार्रवाई होती है। इस बाबत कोई कानून नहीं है, इस कारण गाइडलाइंस प्रभावी है। अगर कोई ऐसी हरकत जो आईपीसी के तहत अपराध है, उस

मामले में शिकायत के बाद केस दर्ज किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होती है।

मेटरनिटी लीव

गर्भवती महिलाओं के कुछ खास अधिकार हैं। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद-42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं। पार्लियामेंट ने 1961 में यह कानून बनाया था। इसके तहत कोई भी महिला अगर सरकारी नौकरी में है या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में, जिसकी स्थापना इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट 1948 के तहत हुई हो, में काम करती है तो उसे मेटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को वही सैलरी और भत्ता दिया जाएगा जो उसे आखिरी बार दिया गया था। अगर महिला का अबॉर्शन हो जाता है तो भी उसे इस ऐक्ट का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि अगर महिला प्रेग्नेंसी के कारण या फिर वक्त से पहले बच्चे का जन्म होता है या फिर गर्भपात हो जाता है और इन कारणों से अगर महिला बीमार होती है तो मेडिकल रिपोर्ट आधार पर उसे एक महीने का अतिरिक्त अवकाश मिल सकता है। इस दौरान भी उसे तमाम वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं डिलिवरी के 15 महीने बाद तक महिला को दफ्तर में रहने के दौरान दो बार नर्सिंग ब्रेक मिलेगा। केन्द्र सरकार ने सुविधा दी है कि सरकारी महिला कर्मचारी, जो मां हैं या बनने वाली हैं तो उन्हें मेटरनिटी पीरियड में विशेष छूट मिलेगी। इसके तहत महिला कर्मचारियों को अब 135 दिन की जगह 180 दिन की मेटरनिटी लीव मिलेगी। इसके अलावा वह अपनी नौकरी के दौरान दो साल (730 दिन) की छुट्टी ले सकेंगी। यह छुट्टी बच्चे के 18 साल के होने तक वे कभी भी ले सकती हैं। यानी कि बच्चे की बीमारी या पढ़ाई आदि में, जैसी जरूरत हो। मेटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर महिला का एम्प्लॉयर इस बेनिफिट से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। महिला कोर्ट जा सकती है और दोषी को एक साल तक कैद की सजा हो सकती है।

।

ससुराल में कानूनी कवच

अबॉर्शन के लिए महिला की सहमति अनिवार्य

महिला की सहमित के बिना उसका अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों से निबटने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। कानूनी जानकार बताते हैं कि अबॉर्शन तभी कराया जा सकता है, जब गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो। 1971 में इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट। ऐक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी पैदा करने वाले हों या गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके अलावा, अगर महिला मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर इसके लिए सक्षम

न हो भी तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और वह गर्भवती हो गई हो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए जो वर्जित संबंध में हों और महिला गर्भवती हो गई हो तो महिला का अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसका अबॉर्शन कराया जाता है, तो ऐसे में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

दहेज निरोधक कानून

दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निबटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की �

—

★★★★★★★★★★

*इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेअर करें ताकी ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें* *GK जनरल नॉलेज ग्रुप*

_*9168390345*_

★_*रसुल खडकाळे*_★

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

JOIN GROUPS

*1) THE GREAT ISLAM *

*2) GK जनरल नॉलेज *

3) NEWS&UPDATES

रसुल खडकाळे: --------------------- 9168390345

स्त्रियांसाठीचे आपल्याला माहित असावेत असे कायदे

आपल्या घटनेत स्त्रियांना संकटकाळी उपयोगी पडणारे काही कायदे आहेत. आणि नुकतंच पिंक चित्रपटाने हे कायदे आपल्याला जाणवून दिले आहेत. तर पाहूया आज माहिलांच्या बाजूने असलेली कायद्याची काही कलमं._

झिरो FIR

या अधिकारानुसार पिडीत महिला कोणत्याही ठिकाणच्या पोलीस स्टेशनमध्ये FIR करु शकते. ते पोलीस स्टेशन त्या स्त्रीच्या एरिया आणि जुरीसडिक्शन मध्येच असावं, असा काही नियम नाही. त्या पोलीस स्टेशनच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला FIR दाखल करून घ्यावीच लागते. त्या स्त्रीला गरज पडली, तर तो FIR नंतर ट्रांसफर करुन घेतला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार पिडीत महिलेवर गुन्हा

झाल्यावर तिला एक ठराविक पोलीस स्टेशन शोधत फिरायची गरज नाही , त्यावेळी तिला जे पोलीस स्टेशन जवळ आणि सोयीस्कर वाटेल तिथे ती तिची FIR दाखल करु शकते .
सेक्शन ३५४
कोणतीही व्यक्ती जर कुणा महिलेच्या इज्जत आणि आत्मसन्मानाची छेड काढण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्या व्यक्तीला सरळ हे कलम लागू होतं. जर त्या पिडीत स्त्रीने याबद्दलचा FIR दाखल केला, तर या अधिकारानुसार त्यावर कारवाई सुद्धा होते .
सेक्शन ५०३
हे एक महत्वाचं कलम आहे. फक्त एखाद्या माहिलेलाच नाही, तर तिच्या जवळच्या व्यक्तीला त्रास देऊन किंवा त्रास देण्याच्या धमक्या कुणी देत असेल, तर ती व्यक्ती कायद्याच्या नजरेत दोषी आहे. यात मग बाईला धमक्या देणं किंवा तिला ब्लॅकमेल करून बेकायदेशीर काम करायला लावणं, किंवा तिनं तिचं काम करू नये म्हणून धमक्या देणं हे सगळं या ५०३ कलमाच्या अंतर्गत येतं. अशा धमक्या देणारी ती व्यक्ती भारतीय दंडविधान कलमांखाली आरोपी मानली जाते आणि त्या व्यक्तीवर केस होऊ शकते.
शनिवार-रविवार जामीन
महिला आणि लहान मुलं यांना शनिवार आणि रविवार या दिवशीही जामिन दिली जाण्याची तरतूद आहे. सुटटीच्या दिवशी हे काम जजच्या घरी होऊ शकते.
सेक्शन १५४
या कायद्यानुसार एका महिलेला हा अधिकार आहे की ती तिला कोणत्याही अनकंफर्टेबल वाटणाऱ्या प्रश्नाचं उत्तर एखाद्या खाजगी ठिकाणी रेकॉर्ड करुन देऊ शकते. त्याठिकाणी तिच्या सोबत एक पुरुष आणि एक महिला कॉन्स्टेबलचं असणं गरजेचं आहे. कोर्टात सर्वांसमोर काही प्रश्नांची उत्तरं देणं महिलांना शक्य होत नाही, आणि जर ती केस बलात्काराविषयी असेल तर त्या महिलेला खूपच कठिण प्रसंगाला आणि प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. अशा वेळी ती महिला या कायद्याचा उपयोग करु शकते.
रसुल खडकाळे
☎ _9168390345_
♀♂♀♂♀♂♀♂
📖📚🌷🌹⚜📖📚🌷🌹⚜
GK जनरल नॉलेज ग्रुप
📖📚🌷📖📚🌹📖📚💐
📞_*+919168390345*_
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ग्रुप में ऍड होने के लिये अपना पुरा नाम,पुरा पता लिखकर मुझे पर्सनल भेजें।
सिर्फ उसे ही ऍड किया जयेगा जिसका FULL NAME

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 5

हमारे देश में जहां कारों और मोटरसाइकिलों की भरमार है, वहीं बहुत से लोग साइकिल से चलते हैं. लेकिन क्या आपको साइकिल से जुड़े इस नियम के बारे में पता है? Motor Vehicle Act के अंतर्गत साइकिल और रिक्शा नहीं आते, इसलिए साइकिल चलाने वालों को Vehicle Act के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 6

महिलाओं को अपनी कोई शिकायत दर्ज़ कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए एक नया नियम बनाया है जिसके अंतर्गत महिलाएं घर बैठे ई-मेल के ज़रिये अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकती हैं.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 7

लिव-इन रिलेशनशिप की बात आते ही बहुत से लोग आपको अपराधी की तरह देखने लगते हैं. जबकि भारतीय कानून के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है, बल्कि क़ानून के अनुसार ये पूरी तरह से वैध है. लेकिन एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता-पितां की प्रॉपर्टी पर पूरा-पूरा अधिकार होगा.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 8

हमारे देश में चुनाव का समय आते ही गाड़ियों पर अलग-अलग पार्टियों के प्रचार के लिए बैनर और झंडे लग जाते है. देश में क़ानून है कि अगर कोई पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान आपकी गाड़ी किराये पर लेना चाहे तो ले सकती है और उसके लिए आपको किराया भी मिलेगा.

किसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है। email - hrfofindia@gmail.com - email-- anil.hinger@hrfofindia.org -- www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें। Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

इन कामों में सावधानी बरतें
सिविलियन थल सेना , नौसेना और वायुसेना की ड्रेन ना पहनें और तमगे ना लगाएं।

राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से फहराएं औऱ रखें। ध्वज का अपमान ना करें।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या नशा ना करें ।

महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार ना करें ।

झूठी धारणाएं और अफवाहें ना फैलाएं।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं।

जरुरी बातों का ध्यान रखें
देश के कानूनों , राष्ट्रीय प्रतीकों, सार्वजनिक संस्थानों , संविधान और दूसरों की गरिमा का ध्यान रखें

किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से गैरकानूनी सुविधाओं की मांग ना करें ।

किसी भी मामले में अदालत जाने से पहले सुलह-सफाई से सुलझाने की कोशिश करें।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों की मदद करें। जैसे-किसी अपराध के बारे में पुलिस को बताएं,कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें।

सामान्य कानूनी प्रावधान
संविधान और कानून की नजर में सभी बराबर हैं और सभी को कानूनी संरक्षण पाने का अधिकार है ।

मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सीधे उच्चन्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं ।

अपने जानमाल की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं । ये अपराध नहीं माने जायेंगे । जैसे बाढ़ आने पर बस्ती को बचाने के लिए नहर को तोड़ देना, मरीज की जान बचाने के लिए उसका पैर काट देना।

आत्मरक्षा के लिए हमलावर पर हमला कर सकते हैं , लेकिन एक सीमा तक ही ऐसा कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय गौरव अपमान

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। इस धारा को जमानतीय घोषित नहीं किया गया है इस कारण से यह धारा अपराध अजमानतीय है। अजमानतीय होने के कारण इस धारा के अन्तर्गत अभियुक्त को गिरफ्तार कर के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है " emai - lanil.hinger@hrfofindia.org-- www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

परिचय
भारत एक समृद्ध और विकासशील देश है. देश की न्याय व्यवस्था भी काफी सुदृढ़ है. आमतौर पर बहुत से लोगों को अपने अधिकारों के और उनसे जुड़े कानूनों के बारे में नहीं पता होता है, जिस कारण वो बुरी तरह फंस जाते हैं और उनको तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आइये आज आपको ऐसे ही 16 कानूनों से रु-ब-रु करवाते हैं, जिनका उल्लंघन करना बहुत भारी पड़ सकता है.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 1

अगर आपके घर में रखे गैस सिलिंडर में अचानक से विस्फोट हो जाता है तो आप इसके लिए 40 लाख रुपए तक के हर्जाने की मांग कर सकते हैं. यह हर भारतीय का कानूनी अधिकार है.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 2

आजकल हमारे देश में हर कंपनी में छोटे-बड़े मौके पर और किसी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए तोहफ़े देने का चलन हो गया है. लेकिन हम आपको बता दें कि कंपनी में तोहफ़ा देना और किसी से तोहफ़ा लेना कानूनन जुर्म होता है. इसे रिश्वत लेने और देने के रूप में देखा जाता है. सरकार ने 2010 में इसके लिए एक कानून बनाया था जिसके तहत अगर आप किसी कंपनी में किसी को तोहफा देते हैं या तोहफा लेते हैं तो आप पर कानूनी कार्यवाई हो सकती है.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 3

महिलाओं के लिए क़ानून है कि एक महिला को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए महिला पुलिस अधिकारी को ही आना होगा. इसके विपरीत अगर किसी महिला को कोई पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है तो ये एक अपराध है. ऐसा करने पर पुरुष पुलिस अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्यवाई हो सकती है. इसके अलावा अगर किसी महिला को शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो वो महिला पुलिस स्टेशन आने से साफ़ मना कर सकती है.

भारतीय के जन्मसिद्ध अधिकार 4

साल 1961 में Income Tax Act के अंतर्गत एक नियम बनाया गया था. इस नियम के तहत टीआरओ (Tax Recovery Organization) के ऑफिसर्स के पास टैक्स न देने की स्थिति में आपको गिरफ़्तार करने का पूरा अधिकार है. साथ ही उनकी इज़ाजत के बिना आप जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं.

Human Rights Foundation OF INDIA
Stata and Dist & ward

किसी तरंह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है emailhrfofindia@gmail.com &- email - anil.hinger@hrfofindia.org"--- www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।

Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

सीपीसी की धारा 304 के अनुसार
जब किसी व्यक्ति का विचारण (कोर्ट में सुनवाई) सेशन न्यायालय में किया जा रहा हो और उस व्यक्ति के पास स्वयं का वकील न हो तो (कोर्ट को यह लगे कि व्यक्ति के पास वकील नियुक्त करने के साधन नहीं हैं) कोर्ट उसके लिए सरकार के खर्च पर वकील की व्यवस्था करता है ।

राष्ट्रीय वैधिक सेवा अधिनियम 1987
यह कानून केवल गरीब लोगों को वैधिक सहायता ही उपलब्ध नहीं कराता , बल्कि विभिन्न निकायों के गठन का प्रावधान भी बनाता है , जिससे लोगों को उनके अधिकारों के विषय में अवगत कराया जा सके तथा वो अपने वैधिक उपचारों हेतु लोक-अदालतों में समझौते के लिए जा सकें ।

राष्ट्रीय वैधिक सेवा अधिनियम के उद्देश्य
वैधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन,

समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क तथा सक्षम वैधिक सेवाएं उपलब्ध कराना,

यह सुनिष्चित करना कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना किया जा सके,

लोक-अदालतों को संगठित कर ऐसी वैधिक प्रणाली की व्यवस्था करना जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके।

भारत में न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय- नई दिल्ली

उच्च न्यायालय- प्रमुख राज्यों में

निचली अदालतें- जिले स्तर पर

कार्यपालिका के न्यायिक अधिकारी-

जिला मजिस्ट्रेट(डीएम)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट

जिला न्यायालय- सिविल या दीवानी मामले

सत्र न्यायालय- फौजदारी या आपराधिक न्यायालय (नॉन-मेट्रोपोलिनटन एरिया)

सत्र न्यायाधीश,

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट,

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

सत्र न्यायालय- फौजदारी या आपराधिक न्यायालय (मेट्रोपोलिटन एरिया)

सत्र न्यायाधीश,

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ,

अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट,

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल)

सरकारी नौकरी तथा कराधान से जुड़े न्यायाधिकरण

Human Rights Foundation OF INDIA को किसी भी तरह की जानकारी या कमलैट होतो ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है - email.hrfofindia@gmail.com - email .anil.hinger@hrfofindia.org " www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

परिचय

रोड पर चलते हुए आपके कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटी और ये दोनों ही चीजें आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। अपने तमाम राइट्स एंजॉय करने और ड्यूटी को पूरा करने के लिए आपको नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए जानें ट्रैफिक से जुड़े ऐसे नियम जो आपके काम के हो सकते हैं:

कागज कौन-कौन से
ड्राइविंग करते वक्त आपके पास ये डॉक्युमेंट्स होने ही चाहिए:- ड्राइविंग लाइसेंस, वीइकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, वीइकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और वैलिड पल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। इनमें ड्राइविंग लाइलेंस और वैलिड पल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजनल होने चाहिए, जबकि आरसी और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं।

इन मामलों में होगा लाइसेंस जब्त
ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस के पास यह पावर है कि वह नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस जब्त कर ले। लाइसेंस की यह जब्ती तीन महीने के लिए होगी। नीचे दिए गए मामलों में लाइसेंस जब्त किया जा सकता है:- रेड लाइट जंप करना, सामान की ओवरलोडिंग, बोझा ढोने वाले वाहनों में सवारी लेकर चलना, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करना और ओवर स्पीडिंग।

चालान के नियम: चालान 3 तरह के होते हैं
ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस के पास यह पावर है कि वह नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस जब्त कर ले। लाइसेंस की यह जब्ती तीन महीने के लिए होगी। नीचे दिए गए मामलों में लाइसेंस जब्त किया जा सकता है:- रेड लाइट जंप करना, सामान की ओवरलोडिंग, बोझा ढोने वाले वाहनों में सवारी लेकर चलना, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करना और ओवर स्पीडिंग।

1- ऑन द स्पॉट चालान: ये चालान तब काटे जाते हैं, जब नियम तोड़ने वाले को पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे चालान थमाकर वहीं जुर्माना वसूल लेती है। कोई अगर उस वक्त जुर्माना नहीं भरना चाहे तो पुलिस डीएल जमा कराकर चालान दे देती है, जिसे बाद में जमा कराया जा सकता है।

2- नोटिस चालान: अगर कोई नियम तोड़कर भाग गया तो पुलिस उसका नंबर नोट कर उसके घर चालान भिजवा देती है। इस चालान का जुर्माना भरने के लिए आरोपी को एक महीने का वक्त दिया जाता है। अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा गया तो चालान कोर्ट भेज दिया जाता है।

3- कोर्ट के चालान: कोर्ट के चालान आमतौर पर कानून तोड़ने की ऐसी गंभीर घटनाओं में दिए जाते हैं, जिनमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। शराब पीकर गाड़ी चलाना ऐसा ही मामला है। ये किए तो ऑन द स्पॉट ही जाते हैं, लेकिन इनका जुर्माना पुलिसकर्मी नहीं वसूलते। इसके लिए कोर्ट ही जाना होता है।

कौन कर सकता है फाइन
100 रुपये से ज्यादा का फाइन है तो हेड कॉन्स्टेबल से ऊपर का ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई या एसआई ही कर सकता है। हेड कॉन्स्टेबल को 100 रुपये तक का फाइन लेने का हक है। कॉन्स्टेबल को फाइन करने का हक नहीं है। वे सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में कॉन्स्टेबल से लेकर एसआई रैंक तक के पुलिसवाले सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं, जबकि इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी खाकी वर्दी पहनते हैं और सफेद बेल्ट लगाते हैं। कोई ट्रैफिक वाला आपका चालान तभी काट सकता है, जब उसने वर्दी पहनी हुई हो और उस पर नेमप्लेट लगाई हुई हो। अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है या नेम प्लेट नहीं लगाई है तो आप उसकी कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं।

अगर आपके पास ऑन द स्पॉट फाइन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आपको कोर्ट में जाने के लिए चालान जारी कर दिया जाएगा। दी गई तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में पुलिसवाले आपका ओरिजनल डीएल अपने पास रख लेंगे और डीएल जमा करवाने की रसीद आपको देंगे। कोर्ट में पेश होने के बाद ही आपको अपना डीएल मिलेगा।

कुछ सवाल-जवाब
पुलिस किन स्थितियों में गाड़ी को टो कर सकती है? - कोई वीइकल लावारिस हालत में खड़ा हो। जहां पार्किंग की इजाजत नहीं है, वहां पार्क किया गया हो। इस तरह से पार्क किया गया हो, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही हो।

नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सजा है? - अगर कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और उसके खून में ऐल्कॉहॉल की मात्रा 30 एमजी प्रति 100 एमएल से ज्यादा है या उसने इतनी मात्रा में ड्रग्स लिया हुआ है कि उसका वाहन पर नियंत्रण नहीं रह सकता, तो उसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोपी माना जाता है। पहली बार यह जुर्म करने पर आरोपी को छह महीने तक की जेल या दो हजार रुपये तक का

जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर पहले जुर्म के तीन साल के अंदर कोई दोबारा ऐसा करता है तो उसे दो साल तक की जेल या तीन हजार रुपये तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं।

अब पुलिस ऐसे शख्स का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए जब्त कर सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस ऑन द स्पॉट फाइन नहीं करती। सभी चालान कोर्ट भेजे जाते हैं और कोर्ट ही फाइन लगाती है। अगर आप दी गई तारीख को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो आपको समन और वॉरंट जारी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी भी हो सकती है।

मान लें, मुझे शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया गया। चालान कटवाने के बाद क्या मैं खुद ड्राइव करके जा सकता हूं? - नहीं। आपको किसी दूसरे ड्राइवर की मदद लेनी होगी, जो नशे में न हों या फिर अपनी कार को पुलिस के पास छोड़कर कैब लेकर जाना होगा। कोर्ट कार्यवाही पूरी होने पर आपकी कार वापस मिलेगी।

मैं चाहता हूं कि शराब इतनी ही लूं कि गाड़ी ड्राइव करके जा सकूं। इस लिमिट का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? - ऐसा कोई पक्का नियम तो नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर माना जाता है कि बियर की एक बोतल/30 एमएल विस्की या रम आपको मान्य लिमिट यानी 30 यूनिट के नीचे रखती है। इससे ज्यादा लेने पर आप लिमिट पार कर जाते हैं। वैसे, हमारा शरीर भी एक घंटे में 10 यूनिट बर्न कर देता है। कुल मिलाकर यह सब इस पर भी निर्भर करेगा कि आपने पीने के कितनी देर बाद गाड़ी चलाना शुरू किया है। अगर ज्यादा पी रहे हैं तो ज्यादा देर से ड्राइविंग शुरू करें। पुलिसवाले वीइकल को जब्त कर सकते हैं।

अगर हां, तो किन स्थितियों में? - ट्रैफिक पुलिसवाले नीचे दी गई स्थितियों में गाड़ी को जब्त कर सकते हैं: अगर कोई बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है। अगर वीइकल को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट वीइकल को बिना वैलिड परमिट के चलाया जा रहा है।

ट्रैफिक सिग्नल यलो था और उसी वक्त मैंने स्टॉप लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन आगे ट्रैफिक होने के कारण जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाया। इसी बीच लाइट रेड हो गई। मेरे ऊपर सिग्नल जंप करने का फाइन लग गया। क्यों? - यलो सिग्नल सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो पहले ही स्टॉप लाइन क्रॉस कर चुके हैं और जंक्शन क्रॉस करने वाले हैं। अगर ग्रीन लाइट यलो में बदल गई है तो आपको स्टॉप लाइन क्रॉस करने का हक नहीं है। यलो लाइन है तो फौरन रुकें, क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो नियम का उल्लंघन होगा।

मेरी मौजूदगी में किसी गाड़ी वाले ने किसी को टक्कर मार दी। मैं क्या करूं? - आप इस घटना के गवाह हुए। आपको शिकार हुए शख्स की मदद करनी चाहिए और ऐक्सिडेंट करने वाले की गाड़ी का नंबर नोट कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आपकी ही तरह के दूसरे लोग भी वहां होंगे, उन्हें ऐक्सिडेंट करने वाले

के साथ मारपीट करने या उसके वाहन को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। उन्हें पुलिस को ही सूचना देनी चाहिए। आपको प्रो-ऐक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं।

अगर हमारी गाड़ी से किसी का ऐक्सिडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? - पुलिस को सूचित करें और फौरन उस शख्स को मेडिकल हेल्प मुहैया कराएं। अगर आपकी गाड़ी में कोई खतरनाक (पेट्रोल या ऐसा ही कुछ जल्दी आग पकड़ने वाला) सामान ढोया जा रहा है तो आसपास के लोगों को वीइकल से दूर कर दें और स्मोकिंग न करें।

ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में जब पुलिसवाले किसी को रोकते हैं तो उसकी गाड़ी की चाबियां निकाल लेते हैं। क्या यह सही है? - ऐसा वे इसलिए करते हैं, क्योंकि लोग भागने की कोशिश करते हैं और अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। वैसे, चाबी निकालने का हक ट्रैफिक पुलिस वालों को नहीं है। ऐसा करना सही प्रैक्टिस नहीं माना जाता। टिंटेड ग्लास के मामले में नियम क्या हैं? फ्रंट और बैक ग्लास में 70 फीसदी ट्रांसपैरेंसी होनी चाहिए और साइड ग्लासेज में कम से कम 50 फीसदी ट्रांसपैरेंसी जरूरी है।

किस गुनाह के लिए कितना जुर्माना: इनमें होता है 100 रुपये का जुर्माना:- डिफेक्टिव नंबर प्लेट 100 रुपये, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग 100 रुपये, गलत जगह पार्क करना 100 रुपये, रेड लाइट जंप करना 100 रुपये, इंडिकेटर दिए बगैर मुड़ना 100 रुपये, पीयूसी के बिना गाड़ी चलाना 100 रुपये, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग 100 रुपये, बिना हेलमेट टूवीलर चलाना या पीछे बैठना 100 रुपये, गाड़ी पर अवैध तरीके से लाल बत्ती लगाना 100 रुपये, टू वीलर पर तीन सवारी 100 रुपये।

इनमें होता है 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना:- ओवरस्पीडिंग 400 रुपये, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग 500 रुपये, नाबालिग का ड्राइविंग करना 500 रुपये, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात 1000 रुपये, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से दुर्व्यवहार 1000 रुपये, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 1000 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाना 2000 रुपये, ऑड-ईवन का नियम तोड़ने पर 2000 रुपये-------'
किसी भी जानकारी होतो आप email.anil.hinger@hrfofindia.org www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें। Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

परिचय

कचहरी, अस्पताल और पुलिस स्टेशन, ये तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ जीवन में एक बार ही सही हर आदमी का पाला कभी ना कभी जरूर पड़ता है। पुलिस थाने का नाम सुनते ही पुलिस का खौफनाक चेहरा लोगों के सामने आने लगता है। अमूमन आपने सुना होगा कि पुलिस ने दबाव बनाकर FIR (first information report) बदल दी है। पुलिस आम नागरिकों द्वारा कानून की कम जानकारी होने का फायदा उठाती है।

किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं, तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है।

यह सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें, यह आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके। अहम बात यह की FIR पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती, यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों को करें।

FIR करवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाएं। यदि किसी कारण से देर हो जाती है तो फॉर्म में इसका उल्लेख करें। यदि शिकयत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत लिखेगा और समझाएगा। कार्बनशीट से शिकायत की चार कापियां होनी चहिये। शिकायत को सरल और विशिष्ट रखें। तकनीकी के तहत जटिल शब्दों का प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि आपके आगमन और प्रस्थान का समय एफआईआर और पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में अंकित हो गया है।

FIR में दें यह जानकारी

आप किस क्षमता में जानकारी दे रहें हैं

अपराध का दोषी कौन है

अपराध किसके खिलाफ किया गया है

अपराध होने का समय क्या था

अपराध कौन सी जगह पर हुआ

अपराध किस तरीके से हुआ
अपराध के समय कोई गवाह थे
अपराध से होने वाला नुक्सान

ये सभी प्रक्रिया होने पर शिकायत को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उस पर दस्तखत कर दें। थाना प्रभारी इसे अपने रिकॉर्ड में रखेगा। शिकायतकर्ता का ये अधिकार है कि इसकी एक कॉपी उसे भी मिले। इसके लिए कोई फीस या शपथ पत्र देने की ज़रुरत नहीं है।

किसी भी जानकारी या hrfof इण्डिया फोर्स" या "hrfofindia परिषद्" से जुड़ने के लिये लॉगिन करें www.hrfofindia.orgया सिर्फ 12 pm से शाम 10pm बजे तक फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।9869276824

Whatsapp/Hike No-08693093148

कार्य विशेष परिस्थिति में किए गए कार्य दण्डनीय नहीं-
सात वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य।

सात वर्ष से बारह वर्ष के बीच की उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य, यदि उसने वह विशेष परिस्थिति में या नासमझी, अज्ञानता में किया है।

विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

नशे में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो।

किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया कार्य ।

सहमति तथा सक्षमता से किया गया कार्य ।

किसी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उक्त पद पर किया गया कार्य।

अपनी रक्षा के लिए कुछ अपवादों के साथ किया गया कार्य।

पैरोल और इसके नियम
पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा अपनी सजा का एक बड़ा भाग काटने के बाद, अच्छे आचरण की वजह उसे जेल से मुक्त किया जाना। हीरालाल बनाम बिहार राज्य(1977) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबी अवधि के कैदियों को अस्थायी पैरोल पर छोड़ा जाना चाहिए। अस्थायी पैरोल का अर्थ है कुछ समय के लिए व्यक्ति को जेल से छोड़ देना और पैरोल का समय समाप्त होते ही वापस जेल भेज देना।

जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी को साल में दो बार पैरोल मिलती है। ताकि वह अपने परिवार में किसी समारोह, दुख या खुशी में शरीक हो सके।

जबकि कृषि से संबंधित कैदी के लिए यह समय 6 सप्ताह व सामान्य कैदी के लिए 4 माह का होता है।

ऐसे में जो कैदी पैरोल पर जाकर वापस आने की बजाए भगौड़े हो जाते हैं। ऐसे कैदियों पर पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 1962 के सेक्शन 8 की धारा ((2)) के तहत कार्रवाई होती है। इसमें दो साल की कैद व जुर्माने का भी प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कैदी का आचरण जेल में अच्छा रहता है तो उसे वर्ष में दो सप्ताह पैरोल पर छोड़ देना चाहिए।

पैरोल पर छूटे व्यक्ति पर निम्नलिखित शर्तें लागू
व्यक्ति नशा नहीं करेगा, शराब के अड्डों पर नहीं जायेगा, जुआ नहीं खेलेगा, हथियार नहीं रखेगा, शिकार नहीं करेगा, अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिताएगा, कानून का पालन करेगा, अपराधियों को पत्र नहीं लिखेगा, देर रात तक बाहर नहीं घूमेगा, वेश्याओं के पास नहीं जायेगा, किसी निश्चित क्षेत्र में रहेगा, नाच-गाना नहीं करेगा, बिना इजाजत शादी नहीं करेगा, नौकरी नहीं बदलेगा, पशुओं को जान से नहीं मारेगा।

पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को सजा
पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को वापस जेल भेजा जा सकता है। और सजा के शेष भाग को भुगतना पड़ सकता है। अगर व्यक्ति पैरोल पर छोड़े जाने के बाद दोबारा जुर्म करता है तो उसे पैरोल दोबारा नहीं मिलैगा

परिचय
गिरफ्तारी से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख सी.आर.पी.सी में मिलता है .भाग -5 धारा -41 से धारा -61 A उन तमाम प्रक्रियायों वा कार्यों के बारे में उपबंध करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों वा कर्तव्यों से सम्बंधित है .गिरफ़्तारी हमेशा कोई अपराध करने या किसी अपराध करने से विरत रहने के लिए की जाती है. समाज में विधि का शासन हो तथा कानून व्यवस्था मौजूद रहे इसी दिशा में पुलिस प्रशासन कार्य रत रहता है। तथा वह उन व्यक्तियों को उन दशायो में गिरफ्तार कर सकता है जब वह किसी कानून का उन्ल्लन्घन करता है जो की कानून की नज़र में अपराध है।

कब कर सकती है पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार
पुलिस को जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संज्ञेय अपराध करने के बारे में-

या तो कोई विश्वसनीय शिकायत मिली हो

या कोई पुख्ता जानकारी मिली हो

या कोई प्रबल संशय हो

यदि कोई व्यक्ति उदघोसित अपराधी रह चूका है

जब किसी व्यक्ति के पास से चोरी की हुई संपत्ति बरामद की जाती है और वह व्यक्ति चोरी के अपराध में लिप्त पाया जाता है या उस संपत्ति के चोरी होने के अपराध में लिप्त होने का युक्तियुक्त संशय है।

जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य करने से रोकता है या किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागता है या भागने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति किसी सैन्य बल से भाग हुआ युक्तियुक्त रूप से पाया जाता है।

किसी भी महिला को जब तक की अति-आवश्यक न हो, सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।तथा किसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस के द्वारा की जानी आवश्यक है जब तक की कोई ऐसी स्थिति मौजूद ना हो जंहा पर ऐसा न किया जा सके।

गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एवं पुलिस के कर्तव्य
गिरफ्तारी के समय सम्बंधित पुलिस अधिकारी अपने नाम की स्पष्ट ,दृश्य व साफ़ पहचान(नाम प्लेट) धारण करेगा।

पुलिस गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का मेमोरेंडम (एक सूचना पत्र) तैयार करेगी जो कि गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और स्वयं गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

जब तक की मेमोरेंडम तैयार नहीं हो जाता गिरफ्तार व्यक्ति के किसी परवारी सदस्य को गिरफ़्तारी के बारे में सूचित किये जाने सम्बन्धी उसके अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित किया जायेगा।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार
जब किसी व्यक्ति को गरफ्तार किया जाता है तो उसके पास यह अधिकार है की वह पुलिस पूछ-ताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है,परन्तु पूरी पूछ-ताछ के दौरान नहीं।

गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार व जमानत के बारे में सूचित किया जाना
पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उन सभी आधारों को बताया जायेगा जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है तथा यदि जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर छोड़े जाने के बारे में सूचित किया जायेगा।

गिरफ्तार व्यक्ति का चिकत्सीय परिक्षण किया जाना
गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का किसी मेडिकल अफसर द्वरा चिकत्सीय परिक्षण किया जाना तथा उसकी रिपोर्ट को उसे या उसके किसी नामित व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है.

किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से नहीं की जा सकती तथा उसके मानवाधिकारों का उन्लन्घन नहीं किया जा सकता है. और यदि पुलिस के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसके विरुद्ध न्यायलय में रित दायर की जानी चाहिए और मनवाधिकार योग में शिकायत की जानी चाहिए ?
सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर लाइक करे

कर्फ्यू (धारा 144)
किसी भी इलाके में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

इस दौरान सारे कानूनी अधिकार इलाके के मजिस्ट्रेट को दे दिये जाते हैं, जिस पर शांति व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है।

कर्फ्यू के दौरान सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है। इसके आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है।

यदि भीड़ अधिकारी का आदेश नहीं मानती है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 145 के अनुसार मुकदमा चलाकर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि भीड़ गैर-कानूनी है तो आईपीसी की धारा 149 के अनुसार भीड़ को सजा दी जायेगी। भीड़ को आदेश देने वाले अधिकारी को अपराधी नहीं माना जायेगा । उस पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य या केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी।

कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंध
(1) सिर्फ परीक्षार्थियों, विवाह समारोह, शव यात्रा व धार्मिक उत्सव पर निषेधाज्ञा लागू नहीं, (2) कोई भी व्यक्ति बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना या प्रदर्शन नहीं करेगा, (3) कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या किसी प्रकार का घातक अस्त्र, आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा, (4) लाइसेंसी शस्त्र लेकर कार्यालय प्रवेश पर भी मनाही, (5) बिना अनुमति जुलूस निकालने या चक्काजाम करने पर रोक, (6) बिना अनुमति तेज आवाज के पटाखे बजाने, बेचने पर प्रतिबंध, (7) किसी समुदाय-सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक भाषण या विज्ञापन पर भी रोक, (8) बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे आदि का प्रयोग वर्जित, (9) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग व इसकी सहायता करने पर रोक, (10) परीक्षा केंद्र से दो सौ गज की दूरी पर पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे (11) शादी- बारातों में शौकिया शस्त्र प्रदर्शन पर रोक ।

लापता व्यक्ति की स्थिति

किसी भी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से अर्थात जिस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, उस दिन से 7 वर्ष पूर्ण होने पर माना जायेगा कि उस व्यक्ति का देहान्त हो चुका है। केवल कोई न्यायालय ही किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर सकता है।

सुबह 10 से शाम 10 बजे तक 02225203234 फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या www.hrfofindia.orgया email anil.hinger@hrfofindia.org

केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (NGO) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार विदेशी चंदा नियमन कानून लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. मंगलवार को गृह मंत्रालय ने एफसीआरए लाइसेंस की रिव्यू मीटिंग बुलाई, जिसमें ये फैसला किया गया. गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई. सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ कानूनी रूप से मान्य हैं.

सूत्रों का कहना है कि इससे संकेत मिलता है कि गृह मंत्रालय सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना चाहते है. मंत्रालय ने इस साल 50 प्रतिशत से ज्यादा एनजीओ पर कार्रवाई करते हुए उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया है. 33 हजार में से पिछले 1 साल में गृह मंत्रालय ने 20000 एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं.

हालांकी सूत्रों का मानना है की एनजीओ के श्रेणीकरण से लाइसेंस की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की कोशिश है. इसी के मद्देनजर लगभग 3000 संस्थाओं की लाइसेंस रिन्यू करने की ताजा अर्जी मिली है. इसके अलावा 2000 संस्थान है जो पहली बार फॉरेन फंडिंग के लाइसेंस के लिए कतार में लगे हैं. उन पर भी गृह मंत्रालय काम कर रहा है. यहीं नहीं कुछ ऐसी भी गैर सरकारी संस्थान हैं, जिन्होंने पहले से अर्जी लेकर फॉरेन फंडिंग लेने कि एप्लिकेशन गृह मंत्रालय में डाली है, इनकी संख्या 300 है. गृह मंत्रालय की कोशिश है कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए इसके साथ ही इसमें कोई चूक की गुंजाइश ना हो.

भेदभाव के लगे आरोप

गौरतलब है कि पहले ही गृह मंत्रालय पर इस मसले को लेकर भेदभाव के आरोप लग चुके हैं. तीस्ता सीतलवाड़ की सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और जाकिर नायक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को स्वत: मंजूरी मिलने पर मंत्रालय की किरकिरी हो चुकी है. ऐसे में इस कदम से विवादों में घिरे गृह मंत्रालय द्वारा अपनी साख बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

जानिए IPC में धाराओ का मतलब .....

धारा 307 = हत्या की कोशिश

धारा 302 = हत्या का दंड

धारा 376 = बलात्कार

धारा 395 = डकैती

धारा 377 = अप्राकृतिक कृत्य

धारा 396 = डकैती के दौरान हत्या

धारा 120 = षडयंत्र रचना

धारा 365 = अपहरण

धारा 201 = सबूत मिटाना

धारा 34   = सामान आशय

धारा 412 = छीनाझपटी

धारा 378 = चोरी

धारा 141 = विधिविरुद्ध जमाव

धारा 191 = मिथ्यासाक्ष्य देना

धारा 300 = हत्या करना

धारा 309 = आत्महत्या की कोशिश

धारा 310 = ठगी करना

धारा 312 = गर्भपात करना

धारा 351 = हमला करना

धारा 354 = स्त्री लज्जाभंग

धारा 362 = अपहरण

धारा 415 = छल करना

धारा 445 = गृहभेदंन

धारा 494 = पति/पत्नी के जीवनकाल में पुनःविवाह0

धारा 499 = मानहानि

धारा 511 = आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड।

▫▪▫▪▫▪▫▪

हमारे देश में कानूनन कुछ ऐसी हकीक़तें है, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होने के कारण हम अपने अधिकार से मेहरूम रह जाते है।

तो चलिए ऐसे ही कुछ

पांच रोचक फैक्ट्स की जानकारी आपको देते है,

जो जीवन में कभी भी उपयोगी हो सकती है.

(1) शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती-

कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो. अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत (मामला) दर्ज की जा सकती है. इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है.

(2.) सिलेंडर फटने से जान-माल के नुकसान पर 40 लाख रूपये तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते है-

पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जान-माल का नुकसान झेलना पड़ता है तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते है. आपको बता दे कि गैस कंपनी से 40 लाख रूपये तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है. अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है. दोषी पाये जाने पर गैस कंपनी का लायसेंस रद्द हो सकता है.

(3) कोई भी हॉटेल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो… आप फ्री में पानी पी सकते है और वाश रूम इस्तमाल कर सकते है-

इंडियन सीरीज एक्ट, 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी हॉटेल में जाकर पानी मांगकर पी सकते है और उस हॉटल का वाश रूम भी इस्तमाल कर सकते है. हॉटेल छोटा हो या 5 स्टार, वो आपको रोक नही सकते. अगर हॉटेल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वाश रूम इस्तमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कारवाई कर सकते है. आपकी शिकायत से उस हॉटेल का लायसेंस रद्द हो सकता है.

(4) गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता-

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक़ गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता. मालिक को पहले तीन महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोज़गार संघटना में शिकायत कराई जा सकती है. इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है.

(5) पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता

आईपीसी के सेक्शन 166ए के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इंकार नही कर सकता. अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. अगर वो पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम *(6)*महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी गवानी पड़ सकती है.

इन रोचक फैक्ट्स को हमने आपके लिए ढूंढ निकाला है.

ये वो रोचक फैक्ट्स है, जो हमारे देश के कानून के अंतर्गत आते तो है पर हम इनसे अंजान है. हमारी कोशिश होगी कि हम आगे भी ऐसी बहोत सी रोचक बाते आपके समक्ष रखे, जो आपके जीवन में उपयोगी हो।

इस मैसेज को आगे भी भेजना और अपने पास सहेज कर रखना, आपके कभी भी ये अधिकार काम आ सकते हैं।

✍अधिकार✍

तलाशी के लिए वारंट
अदालत या मजिस्ट्रेट के तलाशी वारंट के बिना पुलिस किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती है ।

आमतौर पर चोरी के सामान, फर्जी दस्तावेज, जाली मुहर, जाली करेंसी नोट, अश्लील सामग्री तथा जब्तशुदा साहित्य की बरामदगी के लिए तलाशी ली जाती है ।

पुलिस अधिकारी को तलाशी के स्थान पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की तलाशी लेने देनी चाहिए।

तलाशी और माल की बरामदगी इलाके के दो निष्पक्ष तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

पुलिस को जब्त सामान की ब्योरा देते हुए पंचनामा तैयार करना चाहिए। इस पर दो स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए और इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए जिसके घर/इमारत की तलाशी ली गयी हो।

तलाशी लेने वाले अधिकारी की भी , तलाशी शुरु करने से पहले , तलाशी ली जा सकती है ।

कोई पुरुष किसी महिला की शारीरिक तलाशी नहीं ले सकता है, लेकिन वह महिला के घऱ या कारोबार के स्थान की तलाशी ले सकता है ।

न्यायालय का समन
समन न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश है । जिसके द्वारा न्यायालय किसी विवाद या आरोप से संबद्ध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए बाध्य कर सकता है ।

अगर व्यक्ति समन स्वीकार करने से मना करे या न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हो तो न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है ।

कार्य विशेष परिस्थिति में किए गए कार्य दण्डनीय नहीं-
सात वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य।

सात वर्ष से बारह वर्ष के बीच की उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य, यदि उसने वह विशेष परिस्थिति में या नासमझी, अज्ञानता में किया है।

विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

नशे में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो।

किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया कार्य ।

सहमति तथा सक्षमता से किया गया कार्य ।

किसी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उक्त पद पर किया गया कार्य।

अपनी रक्षा के लिए कुछ अपवादों के साथ किया गया कार्य।

सीपीसी की धारा 304 के अनुसार
जब किसी व्यक्ति का विचारण (कोर्ट में सुनवाई) सेशन न्यायालय में किया जा रहा हो और उस व्यक्ति के पास स्वयं का वकील न हो तो (कोर्ट को यह लगे कि व्यक्ति के पास वकील नियुक्त करने के साधन नहीं हैं) कोर्ट उसके लिए सरकार के खर्च पर वकील की व्यवस्था करता है ।

राष्ट्रीय वैधिक सेवा अधिनियम 1987
यह कानून केवल गरीब लोगों को वैधिक सहायता ही उपलब्ध नहीं कराता , बल्कि विभिन्न निकायों के गठन का प्रावधान भी बनाता है , जिससे लोगों को उनके अधिकारों के विषय में अवगत कराया जा सके तथा वो अपने वैधिक उपचारों हेतु लोक-अदालतों में समझौते के लिए जा सकें ।

राष्ट्रीय वैधिक सेवा अधिनियम के उद्देश्य
वैधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन,

समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क तथा सक्षम वैधिक सेवाएं उपलब्ध कराना,

यह सुनिष्चित करना कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना किया जा सके,

लोक-अदालतों को संगठित कर ऐसी वैधिक प्रणाली की व्यवस्था करना जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके।

भारत में न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय- नई दिल्ली

उच्च न्यायालय- प्रमुख राज्यों में

निचली अदालतें- जिले स्तर पर

कार्यपालिका के न्यायिक अधिकारी-

जिला मजिस्ट्रेट(डीएम)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट

जिला न्यायालय- सिविल या दीवानी मामले

सत्र न्यायालय- फौजदारी या आपराधिक न्यायालय (नॉन-मेट्रोपोलिनटन एरिया)

सत्र न्यायाधीश,

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट,

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

सत्र न्यायालय- फौजदारी या आपराधिक न्यायालय (मेट्रोपोलिटन एरिया)

सत्र न्यायाधीश,

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ,

अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट,

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल)

सरकारी नौकरी तथा कराधान से जुड़े न्यायाधिकरण

Human Rights Foundation OF INDIA को किसी भी तरह की
जानकारी या कमलैट होतो ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै है - email.hrfofindia@gmail.com -
email .anil.hinger@hrfofindia.org   " www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या
सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी
अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

परिचय
अनुच्छेद 39 क - के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सरकार यह सुनिष्चित करे कि ऐसी न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन हो सके , जिससे सबको समान रुप से न्याय मिल सके तथा उचित कानून व योजनाओं द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से नि:शुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने का विशेष प्रयोजन करे , जिससे सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त कराने का अवसर मिल सके ।

अनुच्छेद 21- किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित ना रखा जाए,सिवाए उस हालत के जो कानून में बनी प्रक्रियाओं द्वारा स्थापित किए गये हों।

उच्चतम न्यायालय का आदेश
राज्य ऐसे अभियोगी को जो गरीबी के कारण कानूनी सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकता है । उसे नि:शुल्क वैधिक सेवाएं उपलब्ध कराए।

अगर मामले की स्थिति व न्याय की मांग है तो अभियुक्त के लिए वकील नियुक्त करे, पर यह तभी हो सकता है जब अभियुक्त को वकील की नियुक्ति पर आपत्ति ना हो।

मुकदमे की कार्यवाही के दौरान वैधिक सेवाएं न प्रदान कराना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है ।

वकील की नियुक्ति के लिए अभियुक्त को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है ।

मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उसके अधिकार से अवगत कराएगा औऱ वकील की नियुक्ति के लिए पूछेगा

सरकार का ये कर्तव्य है कि वह कैदियों को निर्णय की कॉपी उपलब्ध कराए।

गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकता है ।

वकील से परामर्श करने का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है ।

सीपीसी के आदेश 32 व 33 के अनुसार-
निम्नलिखित गरीब व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं-

जिस व्यक्ति के पास मुकदमा करने के लिए और कोर्ट की फीस जमा करने के लिए पर्याप्त साधन न हों।

तलाक के मामले में कोई भी महिला कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

ऐसा व्यक्ति, जिसके पास डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं की जा सकने वाली संपत्ति तथा विवादग्रस्त विषय के अतिरिक्त 1000 रुपए से अधिक की संपत्ति न हो। उसे कानूनी सहायता मिल सकती है।

भरण-पोषण(गुजारा भत्ता) के मामले में कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

बलात्कार से पीड़ित कोई भी महिला नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकती है।

अपहृत महिला सरकार से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है ।

16 साल से कम उम्र में अपराध करने वाला वक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है ।

11000 रुपए से कम आमदनी वाला कैदी या व्यक्ति सरकार से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है ।

कोई भी बालक, महिला, देह व्यापार, बेगार, लोक उपद्रव, जातिगत हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, मानसिक नर्सिंग होम में रहने वाला व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार है।

सीपीसी 1908 के आदेश 44 के अनुसार
निर्धन व्यक्ति बिना न्यायालय शुल्क दिए अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है ।

सीपीसी 303 के अनुसार
जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरु की गयी है, उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपनी प्रतिरक्षा पसंद के वकील से करवा सके।

किसी भी चिज की जानकारी होतो ई-मेल द्वारा
- emailhrfofindia@gmail.com .email.anil.hinger@hrfofindia.org
www.hefofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मेनका गांधी के मुकदमे में   ही किसी व्यक्ति को जीवन ? से या मुक्ति से वंचित किया जा सकता है और यह प्रक्रिया संगतपूर्ण , उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए न कि कोई अनुच्छेद 21 से मिलती जुलती प्रक्रिया हो । यदि कोई व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया से अपनी स्वतंत्रता खो देता है जो संगतपूर्ण , उचित व निष्पक्ष नहीं है , ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का खंडन माना जायेगा और वह अपने मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार रखता है और रिहाई ले सकता है। कोई भी प्रक्रिया जो शीघ्र मुकदमा सुनिश्चित नहीं करती संगतपूर्ण, उचित और निष्पक्ष नहीं कहलाई जा सकती।

अदालत का अधिकार

यदि अभियोग पक्ष बार-बार अवसर मिलने पर भी अपने गवाहों को भी पेश नहीं कर पाता है तो मजिस्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अभियोग को समाप्त कर सकता है ।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर दो वर्षों और साथ में तीन और महीनों के बाद भी यदि पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो यह माना जा सकता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, सरकार ऐसे केसों को वापस ले सकती है ।

क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 468 की उपधारा 2 के मुताबिक वे कैदी जिनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जेल में रखना गैरकानूनी होगा और साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए उनके मूलभूत अधिकारों का खंडन भी होगा ।

क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 167 (5) में कहा गया है कि यदि किसी मुकदमे के बारे में मजिस्ट्रेट सोचता है कि यह सम्मन मुकदमा है और जिस तारीख से अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उससे 6 महीने के अंदर तहकीकात समाप्त नही होती, मजिस्ट्रेट अपराध के बारे में और तहकीकात को रुकवा सकता है , लेकिन अगर जो अधिकारी तहकीकात कर रहा है वह मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए संतुष्ट कर दे कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में तहकीकात 6 महीनों के बाद चालू रहे तो तहकीकात चालू रह सकती है ।

क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 (2) में दी गयी शर्त के मुताबिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 15 दिन से ज्यादा जेल में रखने का आदेश दे सकता है अगर वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं । कैदियों को समय-समय पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते रहना चाहिए।

हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वो विचाराधीन कैदियों के मुकदमों का निरीक्षण करे यह देखने के लिए कि किसी राज्य में मजिस्ट्रेट संहिता के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यदि किसी बच्चे के अपराध की सजा सात साल से अधिन न हो , शिकायत दर्ज होने की तारीख या एफआईआर दर्ज होने की तारीख से तीन महीने का समय तहकीकात के लिए अधिकतम समय माना जायेगा और चार्जशीट दाखिल करने के बाद 6 महीने का समय है जिसमें बच्चे का मुकदमा हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए । यदि ऐसा नही किया जाता है तो बच्चे के खिलाफ अभियोग रद्द किया जा सकता है ।

अनुच्छेद 21 के अनुसार यदि मृत्युदण्ड को पूरा करने में देरी हो जाती है , जिससे मृत्युदण्ड पाने वाले को मानसिक कष्ट व यंत्रणा मिलती है तो यह अनुच्छेद 21 का खंडन है । इसलिए मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है ।

सरकार का कर्तव्य

अनुच्छेद 39-A के मुताबिक सरकार समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे तथा उचित कानून व योजना बनाकर नि:शुल्क कानूनी सहायता दे और यह भी देखे कि आर्थिक विपन्नता या दूसरी कमियों के कारण किसी भी नागरिक को न्याय मिलने के अवसर से वंचित नहीं रहना पड़े ।

गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सेवा न केवल संविधान का समान न्याय का आदेश है जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है और जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है बल्कि संवैधानिक निर्देश है जो अनुच्छेद 39-A में दिया गया है ।

किसी भी जानकारी देनी होतो ई-मेल द्वारा anil.hinger@hrfofindia.org... www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें। Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

वनाधिकार कानून :लम्बी लड़ाई के *उपरांत2006में* *वनाधिकार कानून बना*। *इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की है। किन्तु इस पर लेशमात्र भी अमल नहीं किया गया*। *वनसमितियों का लोकतांत्रिक गठन नहीं किया गया। जिसके कारण वन भूमि अधिकार के दावा लाभ से भी आदिवासी व परम्परागत वनाश्रित जातियॉ बंचित हैं*। *स्वराज अभियान व ग्रामीण मजदूर किसान मंच ने जिला व प्रदेश सरकार के समक्ष वनसमितियों के गठन व वनाधिकार कानून को लागू करने प्रश्न लगातार उठाया किन्तु इसे लागू नहीं किया जा रहा है*। *कामरेड अखिलेन्द्र जी के पहल पर हाइकोर्ट इलाहाबाद ने भी वनसमितियों के गठन का आदेश देते हुए कहा है कि गाँव सभा ,वनसमिति व प्रशासन वनाधिकार के दावे का निस्तारण सुनिश्चित करे* *लेकिन चन्दौली जनपद के* *नौगढ़ का मझगाई रेंजर अभी भी हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर आदिवासियों को उजाड रहा हैं जिसका हर हाल में विरोध होगा*

परिचय

भारतीय नारी आज सशक्त, पढ़ी-लिखी और समझदार है। वह प्रगति के हर क्षेत्र में अपनी पहचान छोड़ रही है लेकिन शिक्षित होते हुए भी बहुत कम महिलाएं ही पुलिस से संबंधित अपने कानून जानती होंगी। उदाहरणत: अगर मान लें कि किसी महिला का पर्स चोरी हो जाता है तो शायद ही उसे एफ.आई.आर. आदि के बारे में पूरी जानकारी हो। यदि उसे अपने कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी होगी तो कोई उसका शोषण नहीं कर पाएगा।

एफ.आई.आर. (प्रथम सूचना रिपोर्ट)

यदि कोई भी पीड़ित महिला थाने में जाकर किसी भी अत्याचार अथवा हिंसा की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है तो वह अपने निम्न अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :-रिपोर्ट दर्ज करवाने के समय अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को अपने साथ ले जाएं।एफ आई आर को स्वयं पढ़ें या किसी और से पढ़वाने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें।आपको एफ आई आर की एक प्रति मुफ्त दी जाए।पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज न किए जाने पर आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा स्थानीय मजिस्ट्रेट से मदद मांगें।

गिरफ्तारी के समय

अगर कोई महिला पुलिस की नजरों में गुनाहगार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वह अपने इन अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं :-

आपको आपकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाए।गिरफ्तारी के समय आपको हथकड़ी न लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही लगाई जा सकती है।आप अपने वकील को बुलवा सकती है। मुफ्त कानूनी सलाह की मांग कर सकती है, अगर आप वकील रखने में असमर्थ है।गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।गिरफ्तारी के समय आपके किसी रिश्तेदार या मित्र को आपके साथ थाने जाने दिया जाए।अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके थाने में लाती है तो आपको निम्न अधिकार प्राप्त हैं :

गिरफ्तारी के बाद आपको महिलाओं के कमरे में ही रखा जाए।आपको मानवीयता के साथ रखा जाए, जोर-जबरदस्ती करना गैरकानूनी है।आप पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने या दुर्व्यवहार किए जाने पर मजिस्ट्रेट से डाक्टरी जांच की मांग करें।आपकी डाक्टरी जांच केवल महिला डाक्टर ही करें।महिला अपराधियों के साथ पूछताछ के दौरान कभी-कभी छेड़छाड़ के मामले भी सामने आते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके साथ ऐसा न हो तो आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं :-

पूछताछ के लिए आपको थाने में या कहीं और बुलाए जाने पर आप इंकार कर सकती है।आपसे पूछताछ केवल आपके घर पर तथा आपके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही की जाए। आपके शरीर की तलाशी केवल दूसरी महिला द्वारा ही शालीन तरीके से ली जाए।अपनी तलाशी से पहले आप महिला पुलिसकर्मी की तलाशी ले सकती है।

जमानत के अधिकार
जुर्म दो प्रकार के होते हैं, जमानती व गैर जमानती। यह आपका अधिकार है कि पुलिस आपको यह बताए कि आपका अपराध जमानती है या गैर जमानती। जमानती जुर्म मेंआपकी जमानत पुलिस थाने में ही होगी। यह आपका अधिकार है। गैर जमानती जुर्म में जमानत मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही हो सकती है। इसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा।

किसी भी जानकारी या ई-मेल द्वारा   दैसकतै हो
email hrfofindia@gmail.com " www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-9869276824 और फोन नम्बर 02225203234

🙏 *अतिशय महत्वाचे आहे*🙏
[26/10, 23:03] bhalchandrauk9:
वाचलेच पाहिजे असे काही महत्वाचे
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

खाजगी प्रायव्हेट हॉस्पिटल मध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टर्सना दरमहा दीड लाख इतके वेतन देण्यात येते. परंतू त्या सर्व डॉक्टर्सना टारगेटस् अर्थात लक्ष दिली जातात. त्यांना सांगितले जाते की, *जर त्यांना नोकरीवर राहायचे असेल तर त्यांनी किमान 3 लाख रूपयापर्यंतच्या चाचण्या (Tests) आणि स्कॅन करण्याबाबत रूग्णांना भरीस घातले पाहिजे आणि दरमहा किमान 25 रूग्णांना (पेशंटना) ऑपरेशन करण्यास भाग पाडले पाहिजे.*

अर्थात हे सर्व धर्मादाय (चॅरीटी) रूग्णालयात होत नाही.

बहुतांश खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये अनावश्यक शस्त्रक्रिया (Unwanted surgeries) आणि धोक्याच्या व जोखमीच्या अकाली (Premature) मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया(Risky Premature Cataract Surgeries) केल्या जातात. तात्पर्य हे की खाजगी हॉस्पिटलमध्ये भयावह वातावरण अनुभवास येते.

यास्तव तुम्ही कधीही आपले वैद्यकीय विमा कार्ड (Medical Insurance Card) दाखवून म्हणून नका "डॉक्टर तुम्ही खर्चाची अजिबात काळजी करू नका. कृपा करून मला वाचवा."
जर ते डॉक्टर तुम्हाला विचार करण्याची संधी देण्यापूर्वीच घाबरंवून सोडत असतील तर तुम्ही लागलीच सावध झाले पाहिजे आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल (ॲडमिट) नाही झाले पाहिजे.

*जर डॉक्टरांचे तुम्हाला ऑपरेशन करण्याचा एकमेव सल्ला दिला असेल किंवा वैद्यकीय प्रक्रीया करण्याबाबत सांगितले असेल तर कृपया घाई करू नका. थोडे थांबा आणि 7026646022 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधा किंवा तुमच्याकडे जे मेडिकल रिपोर्ट असतील ते रिपोर्ट medical@medisense.meor वर पाठवा अथवा medisensehealth.com या संकेतस्थळाला भेट द्या, ज्या ठिकाणाहून तुम्हाला व्दितीय मत (Second Opinion) तज्ञ डॉक्टरर्सच्या पॅनलचे प्राप्त होईल. विशेष म्हणजे ही सेवा रुग्णांसाठी पूर्णतः मोफत आहे. रूग्णांसाठीची ही मोफत सेवा भारतातील 21 शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये ऊडूप्पी, मेंगलोर, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, हैद्राबाद या शहरांचा समावेश आहे.

आपणापैकी काही जणांना वरील अनुभव अगदी ताजाताजा अनुभवास आला असेल. डॉक्टरांनी ऑपरेशनचा खर्च लाखो रूपयात सांगितला असेल. आपण पैशाची जुळवणी करण्यात मग्न असाल, टेन्शनमध्ये असाल तर वरील मोबाईल क्रमांकावर कॉल करून मार्ग काढू शकता किंवा निर्देशित संकेतस्थळावर भेट देवून मार्ग काढू शकता.

कृपया आपला प्रियजनांकडे हा मेसेज जरूर जरूर पाठवा.

तलाशी के लिए वारंट
अदालत या मजिस्ट्रेट के तलाशी वारंट के बिना पुलिस किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती है ।

आमतौर पर चोरी के सामान, फर्जी दस्तावेज, जाली मुहर, जाली करेंसी नोट, अश्लील सामग्री तथा जब्तशुदा साहित्य की बरामदगी के लिए तलाशी ली जाती है ।

पुलिस अधिकारी को तलाशी के स्थान पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की तलाशी लेने देनी चाहिए।

तलाशी और माल की बरामदगी इलाके के दो निष्पक्ष तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

पुलिस को जब्त सामान की ब्योरा देते हुए पंचनामा तैयार करना चाहिए। इस पर दो स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए और इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए जिसके घर/इमारत की तलाशी ली गयी हो।

तलाशी लेने वाले अधिकारी की भी , तलाशी शुरु करने से पहले , तलाशी ली जा सकती है ।

कोई पुरुष किसी महिला की शारीरिक तलाशी नहीं ले सकता है, लेकिन वह महिला के घऱ या कारोबार के स्थान की तलाशी ले सकता है ।

न्यायालय का समन
समन न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश है । जिसके द्वारा न्यायालय किसी विवाद या आरोप से संबद्ध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए बाध्य कर सकता है ।

अगर व्यक्ति समन स्वीकार करने से मना करे या न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हो तो न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है ।

कार्य विशेष परिस्थिति में किए गए कार्य दण्डनीय नहीं-
सात वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य।

सात वर्ष से बारह वर्ष के बीच की उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य, यदि उसने वह विशेष परिस्थिति में या नासमझी, अज्ञानता में किया है।

विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

नशे में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो।

किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया कार्य ।

सहमति तथा सक्षमता से किया गया कार्य ।

किसी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उक्त पद पर किया गया कार्य।

अपनी रक्षा के लिए कुछ अपवादों के साथ किया गया कार्य।

परिचय

रोड पर चलते हुए आपके कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटी और ये दोनों ही चीजें आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। अपने तमाम राइट्स एंजॉय करने और ड्यूटी को पूरा करने के लिए आपको नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए जानें ट्रैफिक से जुड़े ऐसे नियम जो आपके काम के हो सकते हैं:

कागज कौन-कौन से

ड्राइविंग करते वक्त आपके पास ये डॉक्युमेंट्स होने ही चाहिए:- ड्राइविंग लाइसेंस, वीइकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, वीइकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और वैलिड पल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। इनमें ड्राइविंग लाइलेंस और वैलिड पल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजनल होने चाहिए, जबकि आरसी और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं।

इन मामलों में होगा लाइसेंस जब्त

ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस के पास यह पावर है कि वह नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस जब्त कर ले। लाइसेंस की यह जब्ती तीन महीने के लिए होगी। नीचे दिए गए मामलों में लाइसेंस जब्त किया जा सकता है:- रेड लाइट जंप करना, सामान की ओवरलोडिंग, बोझा ढोने वाले वाहनों में सवारी लेकर चलना, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करना और ओवर स्पीडिंग।

चालान के नियम: चालान 3 तरह के होते हैं

ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस के पास यह पावर है कि वह नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस जब्त कर ले। लाइसेंस की यह जब्ती तीन महीने के लिए होगी। नीचे दिए गए मामलों में लाइसेंस जब्त किया जा सकता है:- रेड लाइट जंप करना, सामान की ओवरलोडिंग, बोझा ढोने वाले वाहनों में सवारी लेकर चलना, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करना और ओवर स्पीडिंग।

1- ऑन द स्पॉट चालान: ये चालान तब काटे जाते हैं, जब नियम तोड़ने वाले को पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे चालान थमाकर वहीं जुर्माना वसूल लेती है। कोई अगर उस वक्त जुर्माना नहीं भरना चाहे तो पुलिस डीएल जमा कराकर चालान दे देती है, जिसे बाद में जमा कराया जा सकता है।

2- नोटिस चालान: अगर कोई नियम तोड़कर भाग गया तो पुलिस उसका नंबर नोट कर उसके घर चालान भिजवा देती है। इस चालान का जुर्माना भरने के लिए आरोपी को एक महीने का वक्त दिया जाता है। अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा गया तो चालान कोर्ट भेज दिया जाता है।

3- कोर्ट के चालान: कोर्ट के चालान आमतौर पर कानून तोड़ने की ऐसी गंभीर घटनाओं में दिए जाते हैं, जिनमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। शराब पीकर गाड़ी चलाना ऐसा ही मामला है। ये किए तो ऑन द स्पॉट ही जाते हैं, लेकिन इनका जुर्माना पुलिसकर्मी नहीं वसूलते। इसके लिए कोर्ट ही जाना होता है।

कौन कर सकता है फाइन
100 रुपये से ज्यादा का फाइन है तो हेड कॉन्स्टेबल से ऊपर का ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई या एसआई ही कर सकता है। हेड कॉन्स्टेबल को 100 रुपये तक का फाइन लेने का हक है। कॉन्स्टेबल को फाइन करने का हक नहीं है। वे सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में कॉन्स्टेबल से लेकर एसआई रैंक तक के पुलिसवाले सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं, जबकि इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी खाकी वर्दी पहनते हैं और सफेद बेल्ट लगाते हैं। कोई ट्रैफिक वाला आपका चालान तभी काट सकता है, जब उसने वर्दी पहनी हुई हो और उस पर नेमप्लेट लगाई हुई हो। अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है या नेम प्लेट नहीं लगाई है तो आप उसकी कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं।

अगर आपके पास ऑन द स्पॉट फाइन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आपको कोर्ट में जाने के लिए चालान जारी कर दिया जाएगा। दी गई तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में पुलिसवाले आपका ओरिजनल डीएल अपने पास रख लेंगे और डीएल जमा करवाने की रसीद आपको देंगे। कोर्ट में पेश होने के बाद ही आपको अपना डीएल मिलेगा।

कुछ सवाल-जवाब
पुलिस किन स्थितियों में गाड़ी को टो कर सकती है? - कोई वीइकल लावारिस हालत में खड़ा हो। जहां पार्किंग की इजाजत नहीं है, वहां पार्क किया गया हो। इस तरह से पार्क किया गया हो, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही हो।

नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सजा है? - अगर कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और उसके खून में ऐल्कॉहॉल की मात्रा 30 एमजी प्रति 100 एमएल से ज्यादा है या उसने इतनी मात्रा में ड्रग्स लिया हुआ है कि उसका वाहन पर नियंत्रण नहीं रह सकता, तो उसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोपी माना जाता है। पहली बार यह जुर्म करने पर आरोपी को छह महीने तक की जेल या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर पहले जुर्म के तीन साल के अंदर कोई दोबारा ऐसा करता है तो उसे दो साल तक की जेल या तीन हजार रुपये तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं।

अब पुलिस ऐसे शख्स का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए जब्त कर सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस ऑन द स्पॉट फाइन नहीं करती। सभी चालान कोर्ट भेजे जाते हैं और कोर्ट ही फाइन लगाती है। अगर आप दी गई तारीख को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो आपको समन और वॉरंट जारी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी भी हो सकती है।

मान लें, मुझे शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया गया। चालान कटवाने के बाद क्या मैं खुद ड्राइव करके जा सकता हूं? - नहीं। आपको किसी दूसरे ड्राइवर की मदद लेनी होगी, जो नशे में न हों या फिर अपनी कार को पुलिस के पास छोड़कर कैब लेकर जाना होगा। कोर्ट कार्यवाही पूरी होने पर आपकी कार वापस मिलेगी।

मैं चाहता हूं कि शराब इतनी ही लूं कि गाड़ी ड्राइव करके जा सकूं। इस लिमिट का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? - ऐसा कोई पक्का नियम तो नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर माना जाता है कि बियर की एक बोतल/30 एमएल विस्की या रम आपको मान्य लिमिट यानी 30 यूनिट के नीचे रखती है। इससे ज्यादा लेने पर आप लिमिट पार कर जाते हैं। वैसे, हमारा शरीर भी एक घंटे में 10 यूनिट बर्न कर देता है। कुल मिलाकर यह सब इस पर भी निर्भर करेगा कि आपने पीने के कितनी देर बाद गाड़ी चलाना शुरू किया है। अगर ज्यादा पी रहे हैं तो ज्यादा देर से ड्राइविंग शुरू करें। पुलिसवाले वीइकल को जब्त कर सकते हैं।

अगर हां, तो किन स्थितियों में? - ट्रैफिक पुलिसवाले नीचे दी गई स्थितियों में गाड़ी को जब्त कर सकते हैं: अगर कोई बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है। अगर वीइकल को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट वीइकल को बिना वैलिड परमिट के चलाया जा रहा है।

ट्रैफिक सिग्नल यलो था और उसी वक्त मैंने स्टॉप लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन आगे ट्रैफिक होने के कारण जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाया। इसी बीच लाइट रेड हो गई। मेरे ऊपर सिग्नल जंप करने का फाइन लग गया। क्यों? - यलो सिग्नल सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो पहले ही स्टॉप लाइन क्रॉस कर चुके हैं और जंक्शन क्रॉस करने वाले हैं। अगर ग्रीन लाइट यलो में बदल गई है तो आपको स्टॉप लाइन क्रॉस करने का हक नहीं है। यलो लाइन है तो फौरन रुकें, क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो नियम का उल्लंघन होगा।

मेरी मौजूदगी में किसी गाड़ी वाले ने किसी को टक्कर मार दी। मैं क्या करूं? - आप इस घटना के गवाह हुए। आपको शिकार हुए शख्स की मदद करनी चाहिए और ऐक्सिडेंट करने वाले की गाड़ी का नंबर नोट कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आपकी ही तरह के दूसरे लोग भी वहां होंगे, उन्हें ऐक्सिडेंट करने वाले के साथ मारपीट करने या उसके वाहन को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। उन्हें पुलिस को ही सूचना देनी चाहिए। आपको प्रो-ऐक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं।

अगर हमारी गाड़ी से किसी का ऐक्सिडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? - पुलिस को सूचित करें और फौरन उस शख्स को मेडिकल हेल्प मुहैया कराएं। अगर आपकी गाड़ी में कोई खतरनाक (पेट्रोल या ऐसा ही

कुछ जल्दी आग पकड़ने वाला) सामान ढोया जा रहा है तो आसपास के लोगों को वीइकल से दूर कर दें और स्मोकिंग न करें।

ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में जब पुलिसवाले किसी को रोकते हैं तो उसकी गाड़ी की चाबियां निकाल लेते हैं। क्या यह सही है? - ऐसा वे इसलिए करते हैं, क्योंकि लोग भागने की कोशिश करते हैं और अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। वैसे, चाबी निकालने का हक ट्रैफिक पुलिस वालों को नहीं है। ऐसा करना सही प्रैक्टिस नहीं माना जाता। टिंटेड ग्लास के मामले में नियम क्या हैं? फ्रंट और बैक ग्लास में 70 फीसदी ट्रांसपैरंसी होनी चाहिए और साइड ग्लासेज में कम से कम 50 फीसदी ट्रांसपैरंसी जरूरी है।

किस गुनाह के लिए कितना जुर्माना: इनमें होता है 100 रुपये का जुर्माना:- डिफेक्टिव नंबर प्लेट 100 रुपये, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग 100 रुपये, गलत जगह पार्क करना 100 रुपये, रेड लाइट जंप करना 100 रुपये, इंडिकेटर दिए बगैर मुड़ना 100 रुपये, पीयूसी के बिना गाड़ी चलाना 100 रुपये, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग 100 रुपये, बिना हेलमेट टूवीलर चलाना या पीछे बैठना 100 रुपये, गाड़ी पर अवैध तरीके से लाल बत्ती लगाना 100 रुपये, टू वीलर पर तीन सवारी 100 रुपये।

इनमें होता है 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना:- ओवरस्पीडिंग 400 रुपये, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग 500 रुपये, नाबालिग का ड्राइविंग करना 500 रुपये, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात 1000 रुपये, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से दुर्व्यवहार 1000 रुपये, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 1000 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाना 2000 रुपये, ऑड-ईवन का नियम तोड़ने पर 2000 रुपये-------'
किसी भी जानकारी होतो आप email.anil.hinger@hrfofindia.org www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

महाराष्ट्रात आजपासून 'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट' म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय. यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा तब्बल 43 सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही.
तब्बल 43 सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल... आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.
महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईट

www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in

वर ऑनलाईन अप्लाय तुम्हाला करावं लागेल... निर्धारित कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्राचे हाऊसिंग राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिलीय.

या विभागांच्या सेवांचा आहे समावेश...
महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन मिळू शकतील.
या सेवांचा आहे समावेश....

• वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
• मिळकतीचे प्रमाणपत्र
• तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
• ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
• पत दाखला
• सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
• प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज
• अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
• भूमिहीन प्रमाणपत्र
• शेतकरी असल्याचा दाखला
• सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
• डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
• जन्म नोंद दाखला
• मृत्यु नोंद दाखला

• विवाह नोंदणी दाखला
• रहिवाशी प्रमाणपत्र
• दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
• हयातीचा दाखला
• ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
• निराधार असल्याचा दाखला
• शौचालयाचा दाखला
• विधवा असल्याचा दाखला
• दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी
• दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण
• कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण
• नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी
• सेवानियोजकाची नोंदणी
• शोध उपलब्ध करणे
• मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे
• दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा
...तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड
'राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट'मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.
सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ 43 सेवांचा समावेश असला तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा 135 वर जाण्याची शक्यता आहे.

कृपया जास्तीत जास्त शेअर करा
Forwarded as received

मानव अधिकार क्या है

मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिश्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग-तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गये हैं और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है । इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अन्तर्राश्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राश्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किये गये है और देष के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, को मानव अधिकार माना जाता है । इन अधिकारों में प्रदूशण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, और महिलाओं के साथ प्रतिश्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार षामिल है।

जांच कार्य से संबंधित प्राप्त अधिकार

अधिनियम के अन्तर्गत किसी षिकायत की जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विषेश रूप से संबंधित पक्ष को तथा गवाहों को सम्मन जारी करके बुलाने तथा उन्हें आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य करने एवं षपथ देकर परीक्षण करने का अधिकार, किसी दस्तावेज का पता लगाने और उसको प्रस्तुत करने का आदेष देने का अधिकार, षपथ पर गवाही लेने का अधिकार और किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सरकारी अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि की मांग करने का अधिकार। गवाहियों तथा दस्तावेजों की जाँच हेतु कमीषन जारी करने का अधिकार। आयोग में पुलिस अनुसंधान दल भी है। जिसके द्वारा प्रकरणों की जाँच की जाती है।

आयोग का कार्य

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 के अन्तर्गत मध्यप्रदेष मानव अधिकार आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाएंगें-

1- आयोग अपनी ओर से स्वयं अथवा पीड़ित द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देकर षिकायत करने पर कि, किसी षासकीय सेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसा करने के लिये उकसाया गया है अथवा उसने ऐसा हनन रोकने की उपेक्षा किया है, तो ऐसी षिकायतों की जाँच करना।

2- किसी न्यायालय में विचारधीन मानव अधिकारों के हनन के मामले में संबंधित न्यायालय के अनुमोदन से ऐसे मामले की कार्यवाही में भाग लेगा।

3- राज्य सरकार को सूचित करके, किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी ऐसे संस्थान का जहाँ लोगों को चिकित्सा सुधार अथवा सुरक्षा हेतु निरूठ रखा अथवा ठहराया जाता है वहां के निवासियों की आवासीय दषाओं का अध्ययन करने के लिये निरीक्षण करना और उनके बारें में अपने सुझाव देना।

4- संविधान तथा अन्य किसी कानून द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रदत्त रक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सुझाव देना।

5- आतंवाद एवं ऐसे सारे क्रिया-कलापों की समीक्षा करना, जो मानव अधिकारों का उपभोग करने में बाधा डालते हैं तथा उनके निवारण के लिए उपाय सुझाना।

6- मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान कार्य को अपने हाथ में लेना एवं उसे बढ़ावा देना।

7- समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार संबंधी षिक्षा का प्रसार करना तथा प्रकाषनों, संचार माध्यमों एवं संगोश्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा मानव अधिकार संबंधी रक्षा उपायों के प्रति जागरूकता लाना।

8- मानव अधिकारों की रक्षा करने या करवाने के क्षेत्र में क्रियाषील गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहन देना।

9- मानव अधिकारों की समुन्नति के लिये आवष्यक समझे गये अन्य कार्य करना।

सुभकामनाओं सहित,

आपका

ठाणे टीम

शुभप्रभात दोस्तो

आत्मरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं है
1- यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य, जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्ति युक्त रुप से नहीं होती है । और वह सद्भावनापूर्वक अपने पद पर काम करता है ।

2-कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे । उदाहरण- कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश, पुलिस की कार्रवाई

3-यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावनापूर्वक किया गया माना जायेगा।

4-ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो।

5-स्वयं या संपत्ति की रक्षा के लिए उतने ही बल के प्रयोग का अधिकार है , जितना स्वयं की रक्षा के लिए जरुरी हो।

6-किसी विकृतचित्त व्यक्ति(अपरिपक्व समझ के शिशु, पागल व्यक्ति , शराबी) के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है।

7-किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है , अगर उस हमलावर से मौत, बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका हो।

संपत्ति की रक्षा का अधिकार
1- संपत्ति के वास्तविक मालिक को अपना कब्जा बनाए रखने का अधिकार है ।

2-संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा जमाए रखने वाला व्यक्ति कब्जे को बनाए रखने की प्रार्थना नहीं कर सकता है ।

3-कोई बाहरी व्यक्ति अचानक खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करके वास्तविक मालिक को बेदखल नहीं कर सकता है ।

4-जमीन के वास्तविक मालिक को अधिकार है कि वो कानूनी तरीके से बाहरी व्यक्ति को अपनी जमीन में ना घुसने दे।

5-बाहरी व्यक्ति को शारीरिक हमले से आत्मरक्षा का अधिकार तभी होगा जब वो संपत्ति का यह अधिकार लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो।

6-अगर वास्तविक मालिक बलपूर्वक अचानक जमीन पर कब्जा करने वाले बाहरी व्यक्ति से बलपूर्वक अपनी जमीन को प्राप्त करेगा , तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा ।

7-यदि कोई बाहरी व्यक्ति असली मालिक को जानते हुए भी गलती से किसी जमीन के टुकड़े को लंबे समय तक इस्तेमाल करता है तो असली मालिक कानून को अपने हाथ में नही ले सकता है। उसे कानूनी उपचारों की मदद लेनी होगी।

8-आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक लूट, रात्रि में घर में सेंध,आगजनी,चोरी आदि की स्थिति में अगर जान का खतरा हो तो आक्रमणकारी की हत्या करना न्याय संगत होगा।

संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार
1-संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरु होता है , जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका शुरु होती है ।

2-संपत्ति का निजी प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के खिलाफ अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक होती है अथवा लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक बनी रहती है ।

3-संपत्ति का निजी प्रतिरक्षा अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है , जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे नुकसान पहुंचाने तक विरोध करता है या फिर कोशिश करता रहता है। अथवा जब तक तुरंत मौत का या निजी विरोध का भय बना रहता है ।

4-संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अत्याचार के खिलाफ तब तक बना रहता है। जब तक कि अपराधी अत्याचार करता रहता है ।

5-संपत्ति का निजी प्रतिरक्षा का अधिकार रात में घर में सेंध लगाने के खिलाफ तब तक बना रहता है । जब तक सेंध से शुरु हुआ गृह अत्याचार जारी रहता है ।

सी भी जानकारी होतो आपअपने ईमेल करो   email- hrfofindia@gmail.com - email.-anil.hinger@hrfofindia.org & www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

तालुक विधिक सेवा समिति
तालुक विधिक सेवा समिति के कार्य

तालुक स्तर पर वैधिक सेवाओं में तालमेल कराना।

तालुक स्तर पर लोक अदालतों का गठन।

अन्य कोई भी कार्य जो जिला अधिकरण द्वारा सौंपा गया हो ।

विधिक सेवा का अधिकार
नि:शुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति

अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार तथा बलातश्रम से पीड़ित व्यक्ति,

महिलाएं, बच्चे , मानसिक या अन्य रुप से अपंग व्यक्ति,

सामूहिक दुर्घटना , जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा , भूकंप या औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति,

संरक्षण गृह, बालगृह , मानसिक अस्पतालों के रोगी, बालगृह तथा मानसिक रोगियों के चिकित्सालयों में रह रहे लोग,

9000 रुपए से कम की सालाना आमदनी या इससे अधिक राशि जो राज्य सरकार ने निर्धारित की हो, यदि उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी कचेहरी में हो,

वह व्यक्ति जिसकी सालाना आय 12000 रुपए से कम हो , या इससे अधिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है या उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हो,

अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित लोग,.

बेगार और अनैतिक देहव्यापार के शिकार लोग,

औद्योगिक कामगार औऱ गरीब लोग(राज्य सरकार की तय सीमारेखा के अंदर गरीब)।

मुफ्त कानूनी सेवाएं

मुफ्त सहायता में अदालत की फीस, कागजात तैयार करने , गवाह बुलाने और अन्य ऐसे कार्यों के लिए खर्च की गयी राशि तथा वकील की फीस शामिल है ।

मुफ्त कानूनी सहायता मिलने या इसके बारे में जानकारी हासिल के लिए अपने मंडल/ तालुक, जिले या राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें । राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश , जिला न्यायाधीश या वरिष्ठ सिविल जज के कार्यालय से भी जानकारी मिल सकती है , क्योंकि ये अधिकारी विभिन्न स्तरों पर इन प्राधिकारणो के अध्यक्ष होते हैं ।

दिल्ली में मुफ्त कानूनी मदद

दिल्ली स्टेटस लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी मदद दे रही है। इसके तहत मुफ्त कानूनी सलाह से लेकर मुफ्त वकील और अदालत में होने वाले बाकी खर्च भी शामिल हैं।

लीगल एड के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी, पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्पलेक्स में संपर्क करें।

Hrfofindia को किसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेलद्वारा आप भैज सकतै है कोकी की आपकी ईमेल आईडी आपकै I.CARD कै उपर है उसिका उपयोग करै कयो वही I.डी. मान्य है -- email- hrfofindia@gmail.com / email- anil.hinger@hrfofindia.org/ www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें। Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

आत्मरक्षा या निजी रक्षा क्या है ?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक की धारा में सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है ।

1-व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के खिलाफ कर सकता है ।
2-व्यक्ति स्वयं की संपत्ति का रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व अपराधिक अतिचार के खिलाफ कर सकता है।

आत्मरक्षा के अधिकार के सिद्धांत
1-आत्मरक्षा का अधिकार रक्षा या आत्मसुरक्षा का अधिकार है । इसका मतलब प्रतिरोध या सजा नहीं है।

2-आत्मरक्षा के दौरान चोट जितने जरुरी हों उससे ज्यादा नही होने चाहिए ।

3-ये अधिकार सिर्फ तभी तक ही उपलब्ध हैं जब तक कि शरीर अथवा संपत्ति को खतरे की उचित आशंका हो या जब कि खतरा सामने हो या होने वाला हो।

आत्मरक्षा को साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होती है
1-आपराधिक मुकदमों में अभियुक्त को आत्मरक्षा के अधिकार के लिए निवेदन करना चाहिए।

2-ये जिम्मेदारी अभियुक्त की होती है कि वह तथ्यों व परिस्थितियों के द्वारा ये साबित करे कि उसका काम आत्मरक्षा में किया गया है।

3-आत्मरक्षा के अधिकार का प्रश्न केवल अभियोग द्वारा तथ्यों व परिस्थितियों के साबित करने के बाद ही उठाया जा सकता है ।

4-अगर अभियुक्त आत्मरक्षा के अधिकार की गुहार नहीं कर पाता है, तब भी न्यायालय को ये अधिकार है कि अगर उसे उचित सबूत मिले तो वह इस बात पर गौर करे। यदि उपलब्ध साक्ष्यों से ये न्याय संगत लगे तब ये निवेदन सर्वप्रथम अपील में भी उठाया जा सकता है ।

5-अभियुक्त पर घाव के निशान आत्मरक्षा के दावे को साबित करने के लिए मददगार साबित हो किसी भी तरह कि जानकारी होतो आप अपनेईमेल   कर सकतै हो email- hrfofindia@gmail.com email / email- anil.hinger@hrfofindia/ .org www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण
कई बार आरोपी को सजा न देकर उसे गलती का अहसास कराया जाता है और नेक चाल-चलन के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है।

समझौते की यह प्रक्रिया एक से दो तारीखों में निपटाई जाती है।

प्ली बार्गेनिंग के तहत हुआ समझौता एक बार अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद मुकदमे का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है और इस स्थिति में अपील का प्रावधान नहीं है।

राज्य विधिक सेवा अधिकरण
अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां व सिद्धांत बनाना।

वैधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावपूर्ण व कम खर्च वली योजनाएं बनाना।

उपभोक्ता संरक्षण , वातावरण संरक्षण तथा अन्य कई मामले जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हों, उनके लिए सामाजिक न्याय से संबंधित मुकदमे चलाकर आवश्यक कदम उठाना तथा इस प्रयोजन से सामाजिक कार्यकर्ताओं को वैधिक क्षमता में प्रशिक्षण देना ।

ग्रामीण क्षेत्र , बस्तियों , मजदूर बस्तियों में वैधिक सहायता शिविर का संगठन करना ।

विवादों का निपटारा बताचीत, मध्यस्थता व आपसी समझौते द्वारा करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

वैधिक सेवा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाना विशेषतया गरीबों में ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के संदर्भ में अनुसंधान करना।

वैधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रवर्तन का मूल्यांकन व निरीक्षण तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि से चल रहे विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन का आयोजन करना।

उपभोक्ता संरक्षण , वातावरण संरक्षण तथा अन्य कई मामले जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हों, उनके लिए सामाजिक न्याय से संबंधित मुकदमे चलाकर आवश्यक कदम उठाना तथा इस प्रयोजन से सामाजिक कार्यकर्ताओं को वैधिक क्षमता में प्रशिक्षण देना ।

ग्रामीण क्षेत्र , बस्तियों , मजदूर बस्तियों में वैधिक सहायता शिविर का संगठन करना ।

विवादों का निपटारा बताचीत, मध्यस्थता व आपसी समझौते द्वारा करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

वैधिक सेवा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाना विशेषतया गरीबों में ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के संदर्भ में अनुसंधान करना।

वैधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रवर्तन का मूल्यांकन व निरीक्षण तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि से चल रहे विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन का आयोजन करना|

स्वैच्छिक समाज सेवा में लगी संस्थाओं को तथा राज्य व जिला अधिकरणों को विशेष योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

बार काउंसिल आफ इंडिया के परामर्श से विधि शिक्षा कार्यक्रम बनाना तथा विश्वविद्यालयों , लॉ कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में वैधिक सेवा निदान की स्थापना करना , निरीक्षण करना तथा उनका मार्ग दर्शन करना ।

समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके वैधिक अधिकारों के विषय में जगाने के लिए उपयुक्त उपाय करना |

स्वैच्छिक कल्याणकारी संस्थाएं जो आधिकारिक स्तर पर दलित, आदिवासी , महिलाओं और ग्रामीण व शहरी श्रमिकों का काम कर रही हों , उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना ।

राज्य अधिकरणों , जिला अधिकरणों , उच्चतम न्यायालय वैधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय वैधिक सेवा समिति, स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाएं तथा अन्य वैधिक सेवा संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना तथा उनके वैधिक सेवाओं के कार्यों का समन्वय करना तथा उनके वैधानिक सेवा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देश देना ।

जिला विधिक सेवा अधिकरण
जिला अधिकरण समय-समय पर राज्य अधिकरण द्वारा सौंपे गये कार्य को पूरा करता है ।

जिला विधिक सेवा अधिकरण के कार्य
जिले में तालुक विधि सेवा समिति तथा अन्य विधि सेवा के कार्य में सामंजस्य स्थापित करना

जिला में लोक आदालतों का गठन करना

अन्य कार्य जो राज्य अधिकारण द्वारा नियम बनाकर तय किए गये हों|

किसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैजसकतै है "
email. hrfofindia@gmail.com"अपराध मुक्त भारत" email- anil.hinger@hrfofindia.org "
www. hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें|
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

मैं एक घर के करीब से गुज़र रहा था की अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जा कर वह बच्चा क्यों रो रहा है, यह मालूम करने से मैं खुद को रोक ना सका।

अंदर जा कर मैने देखा कि एक माँ अपने दस साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैने आगे हो कर पूछा बहनजी आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो? जब कि आप खुद भी रोती हो।

उस ने जवाब दिया भाई साहब इस के पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं, उन के जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इस की पढ़ाई का खर्च बामुश्किल उठाती हूँ और यह कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है।

जाते हुए रास्ते मे कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता है जिस की वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गन्दी कर लेता है। मैने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया।

इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे की एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया। तो अचानक मेरी नज़र उसी दस साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उन से कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती थी वह बच्चा उसे फौरन उठा कर अपनी झोली में डाल लेता।

मैं यह नज़ारा देख कर परेशानी में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है, मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उस की झोली सब्ज़ी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठ कर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा कर वह सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी गन्दी वर्दी और आंखों में नमी, ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार ज़िन्दगी में पहली बार देख रहा हूँ ।

अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिस की दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी, उसने आते ही एक जोरदार लात मार कर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाज़ुओं से पकड़ कर उस बच्चे को भी उठा कर धक्का दे दिया।

वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुप चाप दोबारा अपनी सब्ज़ी को इकठ्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्ज़ी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिस की दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा।

थोड़ी सी सब्ज़ी थी ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत। जल्द ही बिक्री हो गयी, और वह बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की और चल पड़ा। और मैं भी उस के पीछे पीछे चल रहा था।

बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धो कर स्कूल चल दिया। मै भी उस के पीछे स्कूल चला गया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो एक घंटा लेट हो चुका था। जिस पर उस के टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैने जल्दी से जा कर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है इसे मत मारो। टीचर कहने लगे कि यह रोज़ाना एक डेढ़ घण्टे लेट से ही आता है और मै रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल वक़्त पर आए और कई बार मै इस के घर पर भी खबर दे चुका हूँ।

खैर बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठ कर पढ़ने लगा। मैने उसके टीचर का मोबाइल नम्बर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंच कर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्ज़ी मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आ कर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा।

सुबह उठकर फौरन बच्चे के टीचर को कॉल की कि मंडी टाइम हर हालत में मंडी पहुंचें। और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक़्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतेज़ाम करने निकला। मैने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहनजी आप मेरे साथ चलो मै आपको बताता हूँ, आप का बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है।

वह फौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ीं कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नही। छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की तीन जगहों पर पोजीशन संभाल ली, और उस लड़के को छुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े, और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्ज़ी बेच कर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया।

अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियां लेकर लगा तार रो रही थी, और मैने फौरन उस के टीचर की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनो के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हों ने किसी मासूम पर बहुत ज़ुल्म किया हो और आज उन को अपनी गलती का एहसास हो रहा हो।

उसकी माँ रोते रोते घर चली गयी और टीचर भी सिसकियां लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं। अपना सूट ले लो, बच्चे ने उस सूट को पकड़ कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया।

आज भी वह एक घंटा देर से था, वह सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रख कर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगा कर इस क़दर ज़ोर से रोया कि मैं भी देख कर अपने आंसुओं पर क़ाबू ना रख सका।

मैने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वह किस के लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं कोई जिस्म को पूरी तरह से ढांपने वाला सूट नहीं और और मेरी माँ के पास पैसे नही हैं इस लिये अपने माँ के लिए यह सूट खरीदा है।

तो यह सूट अब घर ले जाकर माँ को आज दोगे? मैने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उस बच्चे के टीचर के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया नहीं अंकल छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूँगा। रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किये हैं।

टीचर और मैं सोच कर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों और विधवाओं के साथ ऐसा होता रहेगा उन के बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे आखिर कब तक।

क्या ऊपर वाले की खुशियों में इन जैसे गरीब विधवाओं का कोई हक नहीं ? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकाल कर अपने समाज मे मौजूद गरीब और बेसहारों की मदद नहीं कर सकते।

आप सब भी ठंडे दिमाग से एक बार जरूर सोचना ! ! ! !

और हाँ अगर आँखें भर आई हो तो छलक जाने देना संकोच मत करना..😢

अगर हो सके तो इस लेख को उन सभी सक्षम लोगो को बताना ताकि हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी भी सक्षम के दिल मे गरीबों के प्रति हमदर्दी का जज़्बा ही जाग जाये और यही लेख किसी भी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन जाये।

राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण

कई बार आरोपी को सजा न देकर उसे गलती का अहसास कराया जाता है और नेक चाल-चलन के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है।

समझौते की यह प्रक्रिया एक से दो तारीखों में निपटाई जाती है।

प्ली बार्गेनिंग के तहत हुआ समझौता एक बार अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद मुकदमे का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है और इस स्थिति में अपील का प्रावधान नहीं है।

राज्य विधिक सेवा अधिकरण

अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां व सिद्धांत बनाना।

वैधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावपूर्ण व कम खर्च वली योजनाएं बनाना।

उपभोक्ता संरक्षण , वातावरण संरक्षण तथा अन्य कई मामले जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हों, उनके लिए सामाजिक न्याय से संबंधित मुकदमे चलाकर आवश्यक कदम उठाना तथा इस प्रयोजन से सामाजिक कार्यकर्ताओं को वैधिक क्षमता में प्रशिक्षण देना ।

ग्रामीण क्षेत्र , बस्तियों , मजदूर बस्तियों में वैधिक सहायता शिविर का संगठन करना ।

विवादों का निपटारा बताचीत, मध्यस्थता व आपसी समझौते द्वारा करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

वैधिक सेवा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाना विशेषतया गरीबों में ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के संदर्भ में अनुसंधान करना।

वैधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रवर्तन का मूल्यांकन व निरीक्षण तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि से चल रहे विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन का आयोजन करना।

उपभोक्ता संरक्षण , वातावरण संरक्षण तथा अन्य कई मामले जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हों, उनके लिए सामाजिक न्याय से संबंधित मुकदमे चलाकर आवश्यक कदम उठाना तथा इस प्रयोजन से सामाजिक कार्यकर्ताओं को वैधिक क्षमता में प्रशिक्षण देना ।

ग्रामीण क्षेत्र , बस्तियों , मजदूर बस्तियों में वैधिक सहायता शिविर का संगठन करना ।

विवादों का निपटारा बताचीत, मध्यस्थता व आपसी समझौते द्वारा करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

वैधिक सेवा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाना विशेषतया गरीबों में ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के संदर्भ में अनुसंधान करना।

वैधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रवर्तन का मूल्यांकन व निरीक्षण तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि से चल रहे विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन का आयोजन करना।

स्वैच्छिक समाज सेवा में लगी संस्थाओं को तथा राज्य व जिला अधिकरणों को विशेष योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

बार काउंसिल आफ इंडिया के परामर्श से विधि शिक्षा कार्यक्रम बनाना तथा विश्वविद्‌यालयों , लॉ कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में वैधिक सेवा निदान की स्थापना करना , निरीक्षण करना तथा उनका मार्ग दर्शन करना ।

समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके वैधिक अधिकारों के विषय में जगाने के लिए उपयुक्त उपाय करना ।

स्वैच्छिक कल्याणकारी संस्थाएं जो आधिकारिक स्तर पर दलित, आदिवासी , महिलाओं और ग्रामीण व शहरी श्रमिकों का काम कर रही हों , उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना ।

राज्य अधिकरणों , जिला अधिकरणों , उच्चतम न्यायालय वैधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय वैधिक सेवा समिति, स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाएं तथा अन्य वैधिक सेवा संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना तथा उनके वैधिक सेवाओं के कार्यों का समन्वय करना तथा उनके वैधानिक सेवा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देश देना ।

जिला विधिक सेवा अधिकरण
जिला अधिकरण समय-समय पर राज्य अधिकरण द्‌वारा सौंपे गये कार्य को पूरा करता है ।

जिला विधिक सेवा अधिकरण के कार्य
जिले में तालुक विधि सेवा समिति तथा अन्य विधि सेवा के कार्य में सामंजस्य स्थापित करना

जिला में लोक आदालतों का गठन करना

अन्य कार्य जो राज्य अधिकारण द्‌वारा नियम बनाकर तय किए गये हों।

Hrfofindia ke किसी भी जानकारी होतो आप अपने ईमेल करो email .anil.hinger@hrfofindia.org.com www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्‌वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

मध्यस्थता केंद्र (मीडिएशन सेंटर)
जब मामला अदालत में पेंडिंग होता है तो दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष चाहे तो अदालत से मामले को समझौते के लिए मीडिएशन सेंटर भेजने का आग्रह कर सकता है। अदालत दोनों पक्षों की रजामंदी से मामले को मीडिएशन सेंटर भेजता है, ताकि मामले का बातचीत के जरिये निपटारा किया जा सके।

अगर मामला गैर समझौतवादी हो तो हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस मीडिएशन में रेफर करने की गुहार लगाई जा सकती है।

कई बार वैवाहिक मामले या अन्य मामलों में अगर अदालत को लगता है कि केस में दोनों पक्षों में बातचीत से निपटारे की गुंजाइश है तो मामले को खुद ही मीडिएशन में भेजते हैं।

जब मीडिएशन सेंटर में समझौता हो जाता है तो सेंटर की रिपोर्ट संबंधित अदालत में पेश की जाती है और फिर अदालत में उस मामले में अंतिम फैसला होता है।

सांध्य अदालत (ईवनिंग कोर्ट)
सामान्य अदालतों के विपरीत ईवनिंग अदालत अदालत शाम 5 बजे से 7 बजे तक लगती है।

इस अदालत की खास बात यह है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी लोग संबंधित कोर्ट में पेश हो सकते हैं।

मामले की सुनवाई से पहले ही कोर्ट में उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाती है। इससे जिन लोगों के केसों की अगले दिन सुनवाई होनी होती है, उन्हें यह अंदाजा हो जाता है कि उस दिन उन्हें किस वक्त कोर्ट में मौजूद रहना है।

ईवनिंग कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए यह जरूरी नहीं कि दोनों पक्ष अपने-अपने वकीलों के साथ ही कोर्ट में पेश हों। अगर दोनों पक्ष मामले को निपटाना चाहते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हो सकते हैं।

ईवनिंग कोर्ट में वेट एवं मेजरमेंट , चाइल्ड लेबर , न्यूनतम वेतन , लोकल पुलिस द्वारा काटे गए ट्रैफिक चालान , दिल्ली पुलिस ऐक्ट के तहत बनाए गए कलंदरे, नोटिस ब्रान्च और शॉप ऐक्ट आदि के मुकदमों की सुनवाई होती है।

प्ली बार्गेनिंग क्या है?
' प्ली बार्गेनिग ' एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आपराधिक मुकदमों का निपटारा किया जाता है।

प्ली बार्गेनिंग के जरिए मुकदमों का निपटारा
प्ली बार्गेनिंग के तहत वैसे मामलों की सुनवाई होती है, जिनमें अधिकतम सजा 7 साल कैद से कम हो।

प्ली बार्गेनिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्ली बार्गेनिंग में एक से दो तारीख में ही दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद केस का निपटारा कर दिया जाता है।

अगर दो महीने में समझौता नहीं होता है तो केस वापस संबंधित अदालत में भेज दिया जाता है।

प्ली बार्गेनिंग के तहत दोनों पक्षों में स्वैच्छिक समझौता होना जरूरी है। इसके तहत आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच मामले को निपटाने के लिए सहमत होना जरूरी है।

इस प्रक्रिया के तहत आरोपी अपने अपराध को मर्जी से स्वीकार करता है। दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता अदालत की देखरेख में होता है। समझौते के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने आरोपी अपने गुनाह कबूल करता है। आरोपी की सजा उस केस की न्यूनतम सजा से आधी या उससे भी कम कर दी जाती है।

Hrfofindia की किसी भी तरह की जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैज सकतै हो &
email- hrfofindia@gmail.com- email-anil.hinger@hrfofindia.org - www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

लोक अदालत

लोक अदालतों के द्वारा लोगों के आपसी विवाद , जो न्यायालय के समक्ष अटके हों , उनका निपटारा मित्रतपूर्ण ढंग से स्वेच्छा से समाधान निकाला जाता है।

लोक अदालत वादी-प्रतिवादियों , कानून व्यवसाय के सदस्यों, सामाजिक कार्य में रत समूहों तथा न्यायिक अधिकारियों के मुकदमे के निष्पक्ष समझौते तक पहुंचने की प्रक्रिया में प्रबुद्ध भागीदारी का मौका देती है ।

लोक अदालत का निर्णय अधिनिर्णय है और इसके द्वारा दिया गया फैसला अदालतों से मान्यता प्राप्त है ।

ऐसे फौजदारी मामलों को छोंड़कर जिनमें समझौता गैरकानूनी है , अन्य सभी तरह के मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं ।

लोक अदालतों के फैसले दीवानी अदालतों के फैसलों की तरह सभी पक्षों को मान्य होते हैं ।

लोक अदालत में तमाम तरह के सिविल और समझौतावादी क्रिमिनल मामलों का निपटारा किया जाता है।

क्रिमिनल केस दो तरह के होते हैं : समझौतावादी और गैर - समझौतावादी क्रिमिनल केस।

गैर-समझौतावादी मामलों को लोक अदालत में रेफर नहीं किया जाता है। इऩमें बलात्कार, हत्या, लूट, देशद्रोह, डकैती, हत्या की कोशिश आदि से संबंधित मामले शामिल हैं।

हालांकि समझौतावादी मामलों को लोक अदालत में भेजा जा सकता है। इनमें बिजली चोरी , मारपीट , मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल, चेक बाउंस, ट्रैफिक चालान, लेबर लॉ आदि से संबंधित मामले होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष मामले को निपटाने के लिए तैयार हों।

जब एक पक्ष केस को लोक अदालत में रेफर करने के लिए अदालत से आग्रह करता है तो अदालत दूसरे पक्ष से उसकी इच्छा जानने की कोशिश करती है। जब दोनों पक्षों में समझौते की गुंजाइश दिखती है तो मामले को लोकअदालत में रेफर कर दिया जाता है।

लोक अदालत में पेश होकर दोनों पक्ष अपनी बात कोर्ट के सामने रखते हैं। अदालत दोनों पक्षों को सुनती है और मामले का निपटारा करती है।

लोक अदालत में निपटाए गए केस को चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोक अदालत में वकीलों की जरूरत नहीं होती है।

लोक अदालत के निर्णय के अधिकार
गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उन्हें शपथ दिलाकर पूछताछ करना ।

किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करना ।

शपथ पत्रों पर साक्ष्य स्वीकार करना ।

सरकारी दस्तावेज या उसकी कापी किसी अदालत या दफ्तर से मंगवाना।

लोक अदालत के लाभ
यह बिना विलंब व खर्च के सामाजिक व आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को न्याय दिला सकती है ।

यह मुकदमें के पक्षों के बीच एकता , मित्रता तथा शांति की भावना उत्पन्न कर सकती है ।

यह वादियों को अदालत के खर्चों , वकीलों की फीस औऱ लंबे चलने वाले मुकदमों की चिंताओं , कड़वाहट व खर्चों से बचाती है।

कैसी भी जानकारी होतो आप ई-मेल द्वारा आप भैजसकतै है email- hrfofindia@gmail.com

email.. anil.hinger@hrfofindia.org... www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824 और फोन नम्बर 02225203234

ये भी हैं काम की बातें.
एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मुहर और थाना प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में लिखेगा कि सूचना की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। आपकी शिकायत पर हुई प्रगति की सूचना संबंधित पुलिस आपको डाक से भेजेगी। आपको और पुलिस को सही घटना स्थल की जानकारी नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देगी। हालांकि जांच के दौरान घटना स्थल का थानाक्षेत्र पता लग जाता है तो संबंधित थाने में केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करवाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने के नाम पर रिश्वत, नकद की मांग करे, तो उसकी शिकायत करें।

याद रखिये FIR लिखने का 9k फार्मूला
हम सभी को कभी न कभी FIR लिखाना ही पड़ जाता है चाहे खुद के लिये या किसी जानने वाले के लिये। अक्सर लोगो की शिकायत होती है कि उनकी FIR थाने में नहीं लिखी गई, या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ FIR के लिये किया गया आवेदन निरस्त हो गया। इसके तो कई कारण होते है किंतु एक कारण ये भी होता है की आपके लिखने तरीका गलत हो। FIR को कम से कम शब्दों में स्पष्ट और पूरे मामले को लिखना चाहिये क्योंकि न्यायालय में आपका केस इसी आधार पर चलता है । आसान भाषा में FIR को लिखने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पढ़े लिखे लोग भी FIR लिखने में गलती कर देते है। सबसे पहले आप एक सादा पेपर ले और उसपर 1 से 9 तक नंबर लिख ले, फिर उन सब के सामने K लिख ले, बस हो गया आपका FIR ।

9K का मतलब होता है आप नीचे पढ़ेंगे तो स्वतः स्पष्ट हो जायेगा।

(1) कब (तारीख और समय)- FIR में आप घटना के समय और तारीख की जानकारी लिखे ।
(2) कहा (जगह)- घटना कहाँ पे हुई इसकी जानकारी दे।
(3) किसने - अपराध किस ब्यक्ति ने किया (ज्ञात या अज्ञात) एक या अनेक ब्यक्ति उसका नाम पता आदि लिखे ।
(4) किसको - किस के साथ अपराध किया गया एक पीड़ित है या अनेक उनसब का नाम व पता।
(5) किसलिये - यह एक मुख्य विषय होता है इसी से यह पता चलता है की कोई कार्य अपराध है या पुरस्कार देने के लायक कार्य है, इसको निम्न प्रकार समझ सकते हैं-
(अ) क एक ब्यक्ति ख पर गोली चला देता है और ख की मृत्यु हो जाती है, क यहाँ पर दोषी होगा।
(ब) क एक ब्यक्ति ख पर अपनी पिस्तौल तान देता है और ख अपने बचाव में क पर गोली चला देता है जिससे क की मृत्यु हो जाती है। ख हत्या का दोषी नहीं है क्योंकि अपनी आत्मरक्षा करते हुए अगर आप किसी की जान भी ले लेते है तो आप दोषी नहीं होंगे ।

(स) क अपनी कार से ख तो टक्कर मार देता है और ख की मृत्यु हो जाती है, क हत्या का दोषी नहीं है बल्कि उसपर दुर्घटना का केस चलेगा और उसके हिसाब से दण्ड मिलेगा।
(द) क एक पुलिस कर्मी है और वह आतंकवादी संगठन के मुठभेड़ में एक या कई आतंकवादीयो को मार देता है। क हत्या का दोषी नहीं होगा बल्कि उसे पुरस्कार दिया जायेगा।
इससे यह स्पष्ट होता है की कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक की दुराशय से न किया गया हो।
(6) किसके सामने (गवाह)- अगर घटना के समय कोई मौजूद हो तो उनकी जानकारी अवश्य देनी चाहिये।
(7) किससे (हथियार) - अपराध करने के लिए किन हथियार का प्रयोग किया गया (पिस्तौल , डंडे, रॉड, चैन , हॉकी, ईट। अगर कोई धोखाधड़ी का मामला है तो आप (स्टाम्प पेपर, लेटरहेड, इंटरनेट , मोबाइल, आदि,) जानकारी जरूर प्रदान करे।
(8) किस प्रकार - क्या प्रकरण अपनाया गया अपराध् करने के लिये उसको लिखे।
(9) क्या किया (अपराध)- इनसभी को मिलकर क्या किया गया जो की अपराध होता है उसको लिखे।

इस प्रकार आप सब आसानी से FIR को लिख सकते है ।

अन्य जानकारी

FIR आप जहाँ घटना हुई है उसके आलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर आप FIR लिखा सकते है।
FIR न लिखे जाने के कई कारण होते है, मुख्यतः क्राइम रेट अधिक न हो इस कारण नहीं लिखी जाती है (जो की गैर कानूनी कारण है) । दूसरा कारण अपराध की सत्यता पर शक होता है जिस कारण पुलिस FIR लिखने से पहले जाँच करना चाहते है।
FIR लिखवाना आपका अधिकार है (CRPC 154), अगर थाने में आप की FIR नहीं लिखी जाती है तो आप उनके ऊपर के किसी भी अधिकारी (CO, SP, SSP,) से आप FIR लिखने के लिये बोल सकते है, और वे 1 या 2 दिन जाँच के लिये लेकर संबंधित थाने में FIR लिख दी जायेगी।

किसी भी जानकारी चाहिए तो Email .anil.hinger@hrfofindia.org.भैज सकतै है
. www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824और फोन नम्बर 02225203234

परिचय
गिरफ्तारी से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख सी.आर.पी.सी में मिलता है .भाग -5 धारा -41 से धारा -61 A उन तमाम प्रक्रियायों वा कार्यों के बारे में उपबंध करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों वा कर्तव्यों से सम्बंधित है .गिरफ़्तारी हमेशा कोई अपराध करने या किसी अपराध करने से विरत रहने के लिए की जाती है. समाज में विधि का शासन हो तथा कानून व्यवस्था मौजूद रहे इसी दिशा में पुलिस प्रशासन कार्य रत रहता है। तथा वह उन व्यक्तियों को उन दशायो में गिरफ्तार कर सकता है जब वह किसी कानून का उन्ल्लन्घन करता है जो की कानून की नज़र में अपराध है।

कब कर सकती है पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार
पुलिस को जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संज्ञेय अपराध करने के बारे में-

या तो कोई विश्वसनीय शिकायत मिली हो

या कोई पुख्ता जानकारी मिली हो

या कोई प्रबल संशय हो

यदि कोई व्यक्ति उदघोसित अपराधी रह चूका है

जब किसी व्यक्ति के पास से चोरी की हुई संपत्ति बरामद की जाती है और वह व्यक्ति चोरी के अपराध में लिप्त पाया जाता है या उस संपत्ति के चोरी होने के अपराध में लिप्त होने का युक्तियुक्त संशय है।

जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य करने से रोकता है या किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागता है या भागने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति किसी सैन्य बल से भाग हुआ युक्तियुक्त रूप से पाया जाता है।

किसी भी महिला को जब तक की अति-आवश्यक न हो, सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।तथा किसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस के द्वारा की जानी आवश्यक है जब तक की कोई ऐसी स्थिति मौजूद ना हो जंहा पर ऐसा न किया जा सके।

गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एवं पुलिस के कर्तव्य
गिरफ्तारी के समय सम्बंधित पुलिस अधिकारी अपने नाम की स्पष्ट ,दृश्य व साफ़ पहचान(नाम प्लेट) धारण करेगा।

पुलिस गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का मेमोरेंडम (एक सूचना पत्र) तैयार करेगी जो कि गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और स्वयं गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

जब तक की मेमोरेंडम तैयार नहीं हो जाता गिरफ्तार व्यक्ति के किसी परवारी सदस्य को गिरफ़्तारी के बारे में सूचित किये जाने सम्बन्धी उसके अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित किया जायेगा।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार
जब किसी व्यक्ति को गरफ्तार किया जाता है तो उसके पास यह अधिकार है की वह पुलिस पूछ-ताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है,परन्तु पूरी पूछ-ताछ के दौरान नहीं।

गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार व जमानत के बारे में सूचित किया जाना
पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उन सभी आधारों को बताया जायेगा जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया है तथा यदि जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसे जमानत पर छोड़े जाने के बारे में सूचित किया जायेगा।

गिरफ्तार व्यक्ति का चिकत्सीय परिक्षण किया जाना
गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का किसी मेडिकल अफसर द्वरा चिकत्सीय परिक्षण किया जाना तथा उसकी रिपोर्ट को उसे या उसके किसी नामित व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है.

किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से नहीं की जा सकती तथा उसके मानवाधिकारों का उन्लन्घन नहीं किया जा सकता है. और यदि पुलिस के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसके विरुद्ध न्यायलय में रित दायर की जानी चाहिए और मनवाधिकार योग में शिकायत की जानी चाहिए ?
सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर लाइक करे

कर्फ्यू (धारा 144)
किसी भी इलाके में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

इस दौरान सारे कानूनी अधिकार इलाके के मजिस्ट्रेट को दे दिये जाते हैं, जिस पर शांति व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है।

कर्फ्यू के दौरान सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है। इसके आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है।

यदि भीड़ अधिकारी का आदेश नहीं मानती है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 145 के अनुसार मुकदमा चलाकर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि भीड़ गैर-कानूनी है तो आईपीसी की धारा 149 के अनुसार भीड़ को सजा दी जायेगी। भीड़ को आदेश देने वाले अधिकारी को अपराधी नहीं माना जायेगा । उस पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य या केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी।

कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंध
(1) सिर्फ परीक्षार्थियों, विवाह समारोह, शव यात्रा व धार्मिक उत्सव पर निषेधाज्ञा लागू नहीं, (2) कोई भी व्यक्ति बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना या प्रदर्शन नहीं करेगा, (3) कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या किसी प्रकार का घातक अस्त्र, आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा, (4) लाइसेंसी शस्त्र लेकर कार्यालय प्रवेश पर भी मनाही, (5) बिना अनुमति जुलूस निकालने या चक्काजाम करने पर रोक, (6) बिना अनुमति तेज आवाज के पटाखे बजाने, बेचने पर प्रतिबंध, (7) किसी समुदाय-सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक भाषण या विज्ञापन पर भी रोक, (8) बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे आदि का प्रयोग वर्जित, (9) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग व इसकी सहायता करने पर रोक, (10) परीक्षा केंद्र से दो सौ गज की दूरी पर पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे (11) शादी- बारातों में शौकिया शस्त्र प्रदर्शन पर रोक ।

लापता व्यक्ति की स्थिति

किसी भी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से अर्थात जिस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, उस दिन से 7 वर्ष पूर्ण होने पर माना जायेगा कि उस व्यक्ति का देहान्त हो चुका है। केवल कोई न्यायालय ही किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर सकता है।

सुबह 10 से शाम 10 बजे तक 02225203234 फोन करके ही बात करें और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन भी करें या फोन करें या www.hrfofindia.orgया email anil.hinger@hrfofindia.org

कार्य विशेष परिस्थिति में किए गए कार्य दण्डनीय नहीं-
सात वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य।

सात वर्ष से बारह वर्ष के बीच की उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य, यदि उसने वह विशेष परिस्थिति में या नासमझी, अज्ञानता में किया है।

विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

नशे में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो।

किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया कार्य ।

सहमति तथा सक्षमता से किया गया कार्य ।

किसी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उक्त पद पर किया गया कार्य।

अपनी रक्षा के लिए कुछ अपवादों के साथ किया गया कार्य।

पैरोल और इसके नियम
पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा अपनी सजा का एक बड़ा भाग काटने के बाद, अच्छे आचरण की वजह उसे जेल से मुक्त किया जाना। हीरालाल बनाम बिहार राज्य(1977) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबी अवधि के कैदियों को अस्थायी पैरोल पर छोड़ा जाना चाहिए। अस्थायी पैरोल का अर्थ है कुछ समय के लिए व्यक्ति को जेल से छोड़ देना और पैरोल का समय समाप्त होते ही वापस जेल भेज देना।

जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी को साल में दो बार पैरोल मिलती है। ताकि वह अपने परिवार में किसी समारोह, दुख या खुशी में शरीक हो सके।

जबकि कृषि से संबंधित कैदी के लिए यह समय 6 सप्ताह व सामान्य कैदी के लिए 4 माह का होता है।

ऐसे में जो कैदी पैरोल पर जाकर वापस आने की बजाए भगौड़े हो जाते हैं। ऐसे कैदियों पर पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 1962 के सेक्शन 8 की धारा ((2)) के तहत कार्रवाई होती है। इसमें दो साल की कैद व जुर्माने का भी प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कैदी का आचरण जेल में अच्छा रहता है तो उसे वर्ष में दो सप्ताह पैरोल पर छोड़ देना चाहिए।

पैरोल पर छूटे व्यक्ति पर निम्नलिखित शर्तें लागू
व्यक्ति नशा नहीं करेगा, शराब के अड्डों पर नहीं जायेगा, जुआ नहीं खेलेगा, हथियार नहीं रखेगा, शिकार नहीं करेगा, अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिताएगा, कानून का पालन करेगा, अपराधियों को पत्र नहीं लिखेगा, देर रात तक बाहर नहीं घूमेगा, वेश्याओं के पास नहीं जायेगा, किसी निश्चित क्षेत्र में रहेगा, नाच-गाना नहीं करेगा, बिना इजाजत शादी नहीं करेगा, नौकरी नहीं बदलेगा, पशुओं को जान से नहीं मारेगा।

पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को सजा
पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को वापस जेल भेजा जा सकता है। और सजा के शेष भाग को भुगतना पड़ सकता है। अगर व्यक्ति पैरोल पर छोड़े जाने के बाद दोबारा जुर्म करता है तो उसे पैरोल दोबारा नहीं मिलैगा

लाजवाब पोस्ट.

एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने विद्यर्थियों से पूछा कि इस संसार में जो कुछ भी है उसे भगवान ने ही बनाया है न?

सभी ने कहा, "हां भगवान ने ही बनाया है।"

प्रोफेसर ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बुराई भी भगवान की बनाई चीज़ ही है।

प्रोफेसर ने इतना कहा तो एक विद्यार्थी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए सर।

प्रोफेसर ने कहा, क्यों? अभी तो सबने कहा है कि सबकुछ भगवान का ही बनाया हुआ है फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?

विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैं आपसे छोटे-छोटे दो सवाल पूछूंगा। फिर उसके बाद आपकी बात भी मान लूंगा।

प्रोफेसर ने कहा, "तुम संजय सिन्हा की तरह सवाल पर सवाल करते हो। खैर पूछो।"

विद्यार्थी ने पूछा , "सर क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है?"

प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल है। सौ फीसदी है। हम ठंड को महसूस करते हैं।

विद्यार्थी ने कहा, "नहीं सर, ठंड कुछ है ही नहीं। ये असल में गर्मी की अनुपस्थिति का अहसास भर है। जहां गर्मी नहीं होती, वहां हम ठंड को महसूस करते हैं।"

प्रोफेसर चुप रहे।

विद्यार्थी ने फिर पूछा, "सर क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है?"

प्रोफेसर ने कहा, "बिल्कुल है। रात को अंधेरा होता है।"

विद्यार्थी ने कहा, "नहीं सर। अंधेरा कुछ होता ही नहीं। ये तो जहां रोशनी नहीं होती वहां अंधेरा होता है।

प्रोफेसर ने कहा, "तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ।"

विद्यार्थी ने फिर कहा, "सर आप हमें सिर्फ लाइट एंड हीट (प्रकाश और ताप) ही पढ़ाते हैं। आप हमें कभी डार्क एंड कोल्ड (अंधेरा और ठंड) नहीं पढ़ाते। फिजिक्स में ऐसा कोई विषय ही नहीं। सर, ठीक इसी तरह ईश्वर ने सिर्फ अच्छा-अच्छा बनाया है। अब जहां अच्छा नहीं होता, वहां हमें बुराई नज़र आती है। पर बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया। ये सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है।"

दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं। ये सिर्फ प्यार, विश्वास और ईश्वर में हमारी आस्था की कमी का नाम है।

ज़िंदगी में जब और जहां मौका मिले अच्छाई बांटिए। अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई होगी ही नहीं।

यह 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। इसके कुछ प्रावधान तुरन्त प्रभाव के साथ लागू किए गए यानि लोक प्राधिकारियों की बाध्यता [एस. 4(1)], लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम [एस. 5(1)], केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, (एस. 12 व 13), राज्य सूचना आयोग का गठन (एस. 15 व 16), अन्वेषण/जाँच एजेंसी और सुरक्षा संगठनों पर अधिनियम का लागू न होना (एस. 24) और इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार।

सूचना का मतलब है- रिकार्ड, दस्तावेज़, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉग पुस्तिकाएँ, ठेके, टिप्पणियाँ, पत्र, उदाहरण, नमूने, डाटा सामग्री सहित कोई भी सामग्री, जो किसी भी रूप में उपलब्ध हों। साथ ही, वह सूचना जो किसी भी निजी निकाय से संबंधित हो, किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है, बशर्तें कि उसमें फाईल नोटिंग शामिल नहीं हो।

इसके अंतर्गत निम्न चीजें आती है-

कार्यों, दस्तावेज़ों, रिकार्डों का निरीक्षण,

दस्तावेज़ों या रिकार्डों की प्रस्तावना/सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना,

सामग्री का प्रमाणित नमूने लेना,

रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेपों, वीडियो कैसेटों के रूप में या कोई अन्य ईलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त करना

यह 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। इसके कुछ प्रावधान तुरन्त प्रभाव के साथ लागू किए गए यानि लोक प्राधिकारियों की बाध्यता [एस. 4(1)], लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम [एस. 5(1)], केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, (एस. 12 व 13), राज्य सूचना आयोग का गठन (एस. 15 व 16), अन्वेषण/जाँच एजेंसी और सुरक्षा संगठनों पर अधिनियम का लागू न होना (एस. 24) और इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार।

सूचना का मतलब है- रिकार्ड, दस्तावेज़, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉग पुस्तिकाएँ, ठेके, टिप्पणियाँ, पत्र, उदाहरण, नमूने, डाटा सामग्री सहित कोई भी सामग्री, जो किसी भी रूप में उपलब्ध हों। साथ ही, वह सूचना जो किसी भी निजी निकाय से संबंधित हो, किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें फाईल नोटिंग शामिल नहीं हो।

इसके अंतर्गत निम्न चीजें आती है-

कार्यों, दस्तावेज़ों, रिकार्डों का निरीक्षण,

दस्तावेज़ों या रिकार्डों की प्रस्तावना/सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना,

सामग्री का प्रमाणित नमूने लेना,

रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेपों, वीडियो कैसेटों के रूप में या कोई अन्य ईलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त करना

किसी भी जानकारी या "क्राइम फ्री इण्डिया फोर्स" और "अपराध मुक्त भारत" समाचार पत्र और "राष्ट्रीय पत्रकार परिषद" और नेशनल न्यूज एजेंसी "AMB Live" से जुड़ने के लिये सिर्फ सुबह 10 से शाम 5 बजे तक फोन करके ही बात करें अगर आपको हमारे द्वार दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़े।फोन नम्बर 0800-6681155 और Whatsapp No 09548945155 और ज्यादा जानकारी के लिये लॉगिन करें।
www.crimefreeindiaforce.com
www.amblive.com
www.rastriyapatrkarparishad.com

आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें। इसके लिए कभी कूरियर सेवा का उपयोग न करें।

आवेदन के साथ पावती पत्र भी लगाएं।

केन्द्रीय सूचना आयोग को आवेदन ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है। आवेदन, ऑनलाइन रूप से जमा करने हेतु

सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए पर अपवादस्वरूप वह 45 दिनों में भी प्राप्त हो सकता है।

निर्णय देने के समय की गणना केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आरंभ होती है।

राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। परन्तु राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय से पीड़ित लोक प्राधिकरण उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

जब आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अपना आवेदन जमा न करवा पाए हों, चाहे इसलिए कि इस कानून के तहत ऐसा कोई अधिकारी नियुक्ता ही नहीं किया गया हो अथवा इसलिए कि केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत सूचना या अपील के लिए आपका आवेदन केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या वरिष्ठ अधिकरी को अग्रसारित करने से इनकार कर दिया हो, जैसा कि धारा 19 की उपधारा (1) या केन्द्रीय सूचना आयोग में निर्दिष्टअ है,

यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत किसी भी सूचना को प्राप्तध करने के आपके अनुराध को ठुकरा दिया हो,

यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपके सूचना प्राप्तत करने संबंधी आवेदन का कोई जवाब इस कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर न दिया हो,

यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी आपसे कोई ऐसी शुल्के चुकाने की बात कह रहा हो जिसे आप अनावश्य्क मानते हों,

यदि आपको विश्वीस हो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको जो सूचना दी है, वह अधूरी, भ्रामक या गलत है,

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से सतुष्ट्र न हों।

आवश्यक कागजात (पीडीएफ/जेपीजी/जीआईएफ फॉर्मेट में)

बीपीएल प्रमाणपत्र (यदि आप शुल्क में छूट चाहते हैं)

आयु प्रमाणपत्र (यदि आप वरिष्ठल नागरिक हैं)

प्रमाणपत्र (यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं)

और कोई कागजात जो आप अपने मामले की पुष्टि करने के लिए देना चाहते हों

सभी दस्तावेज़ पीडीएफ/जेपीजी/जीआईएफ फॉर्मेट में हों,

संलग्न् कागजात की फाइल का आकार 2 एमबी से ज्याफदा नहीं होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए

फॉर्म भरें और जरूरी कागजात अपलोड करें।

फॉर्म भरने के बाद “Save as Draft/ Submit” बटन पर क्लिक करें।

एक बार फॉर्म सेव हो जाने के बाद आपको एक शिकायत संख्या दी जाएगी।

यदि आप “Save as Draft” के रूप में अपना फॉर्म जमा करा रहे हैं, तो अंतिम रूप से जमा कराने से पहले आप इसमें फेरबदल कर सकेंगे।

अपनी शिकायत की स्थिति जाँचें

आवेदन जमा कराने के बाद अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन रूप से पता कर सकते हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित विभाग,कार्यालय और अन्य स्थान पर एक प्रारुप के साथ आवेदन जमा करना होता है। यहां हम लोगों की सहायता के लिए साधारण प्रारुप,प्रथम अपील प्रारुप और द्वितीय अपील प्रारुप राज्य सरकार और केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ये प्रारुप यथावत या थोड़े परिवर्तित करने के बाद या निर्धारित कार्यालय के अनुसार प्रश्नों के समावेश करने के बाद जमा किये जा सकते हैं। कुछ राज्यों ने ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नही हैं,आपको लगता है कि लोक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने सूचना उपलब्ध करवाने की आपकी याचिका अस्वीकृत कर दी हो,अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने में असफल रहा हो,सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन, राज्य/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।

राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में (यदि मामला राज्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।

केन्द्रीय सूचना अयोग के कार्यालय में (यदि मामला केन्द्रीय लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।

आवेदन पर निर्णय देने की समय-सीमा (30 दिन या विशेष स्थिति में 45 दिन) समाप्त होने या लोक सूचना अधिकारी से निर्णय प्राप्त होने या आवेदन अस्वीकृति की सूचना मिलने के 90 दिनों (3 महीने) के भीतर।यदि राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील दायर करने से रोका गया है तो वह अपील 90 दिनों के बाद भी स्वीकार कर सकता है।

आवेदन सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है। आवेदन डाउनलोड करने हेतु कृपया सबसे नीचे जाएं। आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है। केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थिति में आवेदन अँग्रेजी या हिन्दी में और राज्य सूचना आयोग की स्थिति में क्षेत्र की राजकीय भाषा या अँग्रेजी में तैयार किया जा सकता है।

निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।

संलग्नकों की सूची दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या के साथ अनुक्रमणिका बनायें।

द्वितीय अपील आवेदन के साथ भेजे जानेवाले सभी दस्तावेजों को निम्न क्रम में नत्थी करें-

द्वितीय अपील हेतु मूल आवेदन पत्र,

लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त निर्णय या अस्वीकृति पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति (यदि हों तो),

सूचना हेतु दिये गये अनुरोध पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,

प्रथम अपील आवेदन की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,

लोक सूचना अधिकारी व/या प्रथम अपीलीय अधिकारी को किये शुल्क भुगतान के साक्ष्य की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,

आवेदन जमा करने का साक्ष्य (पावती पत्र या अन्य रूप में) की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति आदि।

उपरोक्त सभी दस्वावेजों की एक सेट छायाप्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें, जबकि मूल कॉपी आयोग को भेज दें।

लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने वाली आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया हो,

लोक प्राधिकरण ने 30 दिन या 48 घंटे, जैसी भी स्थिति हो, की समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा हो,

लोक प्राधिकरण ने आवेदन प्राप्ति हेतु अथवा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया हो,

सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आपका आवेदन स्वीकार करने या उसे लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,

आप लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हों,

आपको लगता है कि आपूर्त्ति की गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,

आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।

सूचना आपूर्त्ति की समय-सीमा (30 दिन या 48 घंटे के बाद, जैसी भी स्थिति हो) खत्म होने या लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय या आवेदन अस्वीकृति की सूचना के 30 दिनों के भीतर,

यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील याचिका दायर करने से रोका गया है, तो वह 30 दिनों के बाद भी अपील आवेदन स्वीकार कर सकता है।

आवेदन सादे कागज पर तैयार करें, जो हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है।

आवेदन केंद्रीय सूचना आयोग या संदर्भित राज्य की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

डाउनलोड किये गये फॉर्मेट में सभी सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।

आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्र की राजकीय भाषा में तैयार होना चाहिए।

प्रथम अपील आवेदन की मूल प्रति।

यदि आवेदन शुल्क जमा कर रहे हों तो उसका प्रमाण और नहीं कर रहे हों तो छूट प्राप्त करने हेतु प्रमाणपत्र।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय की प्रति या अस्वीकृति पत्र।

यदि निर्णय प्राप्त नहीं हुआ हो, तो सूचना के लिए की गई अनुरोध की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति, लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनप्राप्त करने का साक्ष्य (पावती पत्र) या डाक से आवेदन भेजने की रसीद।

प्रथम अपील आवेदन, उसी लोक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में करें,

पदानुक्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह आवेदन स्वीकार करने, आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को सूचना आपूर्त्ति का आदेश देने या सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के किसी भाग के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रथम अपील आवेदन सौंपने से पहले, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के नाम, शुल्क (कुछ राज्यों में प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता तो कुछ राज्यों में शुल्क लिये जाते हैं) और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें।

आवेदन हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।आवेदन, डाक से भेजने की स्थिति में केवल रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का ही उपयोग करें। कूरियर सेवा का कभी प्रयोग न करें।दोनों ही परिस्थितियों में आवेदन भेजने या जमा करने की पावती रसीद प्राप्त कर लें।

सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों में दिया जाना चाहिए, परन्तु अपवादस्वरूप उसमें 45 दिनों का भी समय लग सकता है।निर्णय देने की समय-सीमा की गणना प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से आरंभ होती है।

आप सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण (सरकारी संगठन या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों) से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र भारत विकास प्रवेशद्वार पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र डाउनलोड संदर्भित राज्य की वेबसाईट से प्राप्त करें

आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में तैयार होना चाहिए।

अपने आवेदन में निम्न सूचनाएँ दें:

सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी का नाम व उसका कार्यालय पता,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन

सूचना का ब्यौरा, जिसे आप लोक प्राधिकरण से प्राप्त करना चाहते हैं,

आवेदनकर्त्ता का नाम,

पिता/पति का नाम,

वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़ी जाति

आवेदन शुल्क

क्या आप गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से आते हैं- हाँ/नहीं,

मोबाइल नंबर व ई-मेल पता (मोबाइल तथा ई-मेल पता देना अनिवार्य नहीं)

पत्राचार हेतु डाक पता

स्थान तथा तिथि

आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची

आवेदन जमा करने से पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, शुल्क, उसके भुगतान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क भुगतान का भी प्रावधान है। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को शुल्क नहीं जमा करने की छूट प्राप्त है।

जो व्यक्ति शुल्क में छूट पाना चाहते हों उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी।

आवेदन हाथो-हाथ, डाक द्वारा या ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

यदि आप आवेदन डाक द्वारा भेज रहे हैं तो उसके लिए केवल पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक सेवा का ही इस्तेमाल करें। कूरियर सेवा का प्रयोग कभी न करें।

आवेदन ई-मेल से भेजने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज का स्कैन कॉपी अटैच कर भेज सकते हैं। लेकिन शुल्क जमा करने के लिए आपको संबंधित लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान करने की तिथि से ही सूचना आपूर्ति के समय की गणना की जाती है।

आगे उपयोग के लिए आवेदन पत्र (अर्थात् मुख्य आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्क का प्रमाण, स्वयं या डाक द्वारा जमा किये गये आवेदन की पावती) की 2 फोटोप्रति बनाएं और उसे सुरक्षित रखें।

यदि अपना आवेदन स्वयं लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाकर जमा कर रहे हों, तो कार्यालय से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें जिसपर प्राप्ति की तिथि तथा मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हों। यदि आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज रहे हों तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे संभाल कर रखें।

सूचना आपूर्ति के समय की गणना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि से आरंभ होता है।

क्रम संख्या -- स्थिति -- ससूचना आपूर्ति की समय-सीमा

1 -- सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति -- 30 दिन

2 -- जब सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हों, तब सूचना की आपूर्ति -- 48 घंटे

3 -- सजब आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के जरिये प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में सूचना की आपूर्त्ति -- उपर्युक्त दोनों स्थितियों में 05 दिन का समय और जोड़ दिये जाएंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अपनी यात्रा में काफी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। नागरिकों न केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं ही प्राप्त हो रही हैं बल्कि ये सूचनाएं कई बार सिर्फ सूचनाओं तक ही नहीं सीमित होकर अपनी उपयोगिता कई परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करती है। केंद्र राज्य स्तर पर सभी विभागों में सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया है और इसके लिए अलग विभाग से लेकर कार्यालयों में सूचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत कर्मचारियों को मनोनीत लोक सूचना अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया गया है। सूचना की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपील के साथ कुछ विशेष स्थितियों में सीधे तौर आयोग में भी अपील की जा सकती है। कई राज्यों ने सूचना के अधिकार में लोगों की सहायता के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरी तरह से समर्पित आरटीआई की वेबसाईट का निर्माण किया है और आवेदन करने और उसे जमा करने के लिए ऑनलाईन का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। कुछ राज्यों ने टोल फ्री नंबर की सेवा भी प्रारंभ की है।

सूचना के अधिकार का दर्ज़ा उपयोगिता और इस बात से सिद्ध होता है कि संविधान में इसे मूलभूत अधिकार का दर्ज़ा दिया गया है। आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि।सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा) जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।

इस अधिनियम के प्रावधान 18 (1) के तहत यह केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और पूछताछ करें।

जो केन्द्रीय सूचना लोक अधिकारी या राज्य सूचना लोक अधिकारी के पास अपना अनुरोध जमा करने में सफल नहीं होते, जैसा भी मामला हो, इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उक्त अधिकारी या केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत अग्रेषित करने के लिए कोई सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया हो जिसे वह केन्द्रीय लोक

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास न भेजे या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग में अग्रेषित न करें,जैसा भी मामला हो।

जिसे इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी तक पहुंच देने से मना कर दिया गया हो। ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो।

जिसे शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानता / मानती है।

जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है।

इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले के विषय में।

पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा

विषय वस्तु: ग्राम कचहरी में क्रिमनल मामलों का दायर किया जाना एवं ट्रायल (पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 101, 102, 103, 104, एवं 105 तथा ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का नियम 32-40)

धारा 101 फौजदारी वाद या मामला को दायर करना और उसकी सुनवाई। (नोट उक्त धारा के बारे में आपलोगों की प्रथम दिन ही 2 बजे अपराह्न से 4 बजे उपराह्न के बीच विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है।

धारा 102 नोट इसके बारे प्रथम दिन जानकारी दी गई है।

धारा 103 नोट इसके बारे में प्रथम दि नही जानकारी

धारा 104 नोट इसके बारे में भी आपलोगों को प्रथम दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच विस्तृत से व्याख्या की गयी है।

धारा 105 निर्णय का रूप-ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ का निर्णय लिखित रूप में होगा और उस पर न्यायपीठ के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसमें इस निमित सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित विशिष्टयाँ अन्तर्विष्ट होगी:

परन्तु न्यायपीठ के किसी सदस्य द्वारा निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने की विधि मनयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम: 32 अधिनियम धारा 106 के अध्याधीन दायर किया जाने वाला कुई मामला सरपंच के पास लिखकर दायर किया जाएगा और जहाँ सरपंच की सेवाएँ उपलब्ध न हो वहाँ उप-सरपंच के समक्ष दायर

किया जायेगा।

नियम 33 नियम 32 के अधीन अर्जी देने के समय कोई व्याक्ति ग्राम -कचहरी के सचिव के पास एक सौ रूपये की नकद फीस जमा करेगा।

नियम 34 :- यदि अर्जी लिखित रूप से दी गई हो तो यथा स्थिति सरपंच अर्जीदार की शपथ दिलाकर उसका परीक्षण अविलम्ब करेगा और शपथ लेकर निष्ठापूर्वक वह अपने बयान में कुछ कहेगा उसका सारांश-लिखित रूप में अर्जी की पीठ पर दर्ज कर दिया जायेगा जो ऐसे मुकदमें के लिए खोला जाय परन्तु दोनों में से किसी स्थिति मैं शपथ लेकर या निष्ठापूर्वक अर्जीदार ने जो ब्यान दिया हो उसे पढ़कर सुनाए जाने और समझा जाने के बाद वह उस ब्यान के नीचे अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा देगा।

नियम 35 :- यदि नियम 32 के अधीन अर्जीदार द्वारा शपथ लेकर या निष्ठापूर्वक किए गए ब्यान पर सरपंच की यह राय हो कि (क) उस बयान से किसी अपराध का पता नही चलता है अथवा अगर अपराध का पता भी चलता है तो ऐसे अपराध का जो ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के क्षेत्राधिकार के बाहर हो तो ऐसी अर्जी को वह तुरंत खारिज कर देगा और अर्जीदार को अपने आदेश की सूचना तुरंत दे देगा। (ख) यदि अर्जीदार द्वारा दिये गये बयान से ऐसा अपराध का होना मालूम पड़े जो ग्राम कचहरी के न्यायपीठ द्वारा संज्ञेय (Cognizable) है तो अपराध का संज्ञान (कांग्निजेंस) लेगा और उसके बाद सबसे पहले वह मुद्दालय के नाम सम्मन जारी करेगा जिसमें यह बताया रहेगा कि उस पर किस अपराध का आरोप बनता है या लगाया गया है उस सम्मन में दर्शा गयी तारीख एवं नियत समय पर ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के समक्ष उपस्थित रहेगा यदि उक्त नियम समय तारीख तक सम्मन तामिल न हो तो उसे फिर मानय कर दिया जायेगा।

नियम 36 :- ग्राम कचहरी नयायपीठ द्वारा विचारण किए जाने वाले सभी प्रकार के फौजीदारी मामलों में ग्राम कचहरी न्यायपीठ किसी अभियुक्त की उपस्थिति उसी विहित रीति से सुनिश्चित करायेगी जैसा कि नियम 13 में निर्धारित है।

नियम 37 :- जब मुदालय ग्राम कचहरी के समक्ष हाजिर होगा या अन्य विहित रीति से हाजिर किया जायेगा तो मुद्दालय अपने ऊपर लगाये गये अपराधों के संबंध में अपनी इच्छानुसार बयान न्यायपीठ के समक्ष देगा।

नियम 38 :- यदि धारा 102 की अपेक्षानुसार ग्राम कचहरी के न्यायपीठ दोने पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने में असफल हो जाय और मुद्दालय कोई बयान दिया हो तो उसे लिख लिया जायेगा। अगर मुद्दालय अपने ऊपर अपराध न्यायपीठ के द्वारा संज्ञेय है तो न्यायपीठ इस अपराध के अनुसार अपना निर्णय लिखित करेगी और न्यायपीठ के सदस्यों के बीच असहमति होने पर बहुमत का निर्णय ही मान्य होगा।

नियम 39 :-

(i) यदि पूर्वगामी नियम के अनुसार न्यायपीठ मुदालय को सजा न दे या मुदालय अपना अपराध कबूल न करे

तो न्यायपीठ मुदई की बातों की सुनवाई कर देगी और मुकदमें में जो कुछ भी साक्ष्य पेश करेगा उसे ले लेने के बाद न्यायपीठ मुदालय की सूनवाई करेगी तथा मुदालय अपनी सफाई मैं जो कुछ भी कहेगा प्रमाण पेश करेगा। उसे न्यायपीठ मुद्दालय के प्राप्त कर लेगा।

(ii) यदि न्यायपीठ ठीक समझे तो मुदई या मुदालय के आवेदन करने पर किसी गवाह का नाम इस आशय का सम्मन में बताई तारीख को ग्राम कचहरी में हाजिर हो और यदि कोई प्रमाण कागजात या और अन्य चीज हो तिो उसे न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।

(iii) इस तरह के आवेदन पर किसी गवाह पर सम्मन करने के पूर्व न्यायपीठ यह आपेक्षा करेगी कि प्रति सम्मन दो (2) रूपये की दर से तलवाना-शुल्क (प्रोसेस-फीस) जमा कर करवाा ले।

नियम 40 :-

(i) नियम 39 में बताये गये साक्ष्य प्राप्त करने के बाद या न्यायपीठ अपनी इच्छानुसार जो कुछ भी साक्ष्य पक्षों से लेना चाहती हो, उसे लेने के बाद और मुदालय की जाँच कर लेने के बाद न्यायपीठ अगर इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मुदालय दोषी नहीं तो वह धारा 103 की रीति से अपना निर्णय लिखित करेगी।

(ii) यदि न्यायपीठ मुदालय को दोषी पाएगी तो वह उससे सिध्द दोष करार देगी और अधिनियम की धारा 107 के अध्याधीन अपराध की विधि सम्मत उसे सजा देगी, लेकिन ग्राम कचहरी की कोई पीठ, साधारण अथवा सख्त किसी कारावास की सजा नहीं देगी। उपराधी को ऐसे उपराध के लिए जुर्माना कर सकती है जिसकी की जुर्माना राशि एक हजार से अधिक नहीं होगी।

घारा-109 सरपंच की दाण्डिक शक्तियाँ

(1) जब किसी सरपंच को ऐसा विश्वास हो जाय कि लोक प्रशान्ति में बाधा आने वाली है या शांति भंग होने की संभावना हे तो वह तुरन्त रोक थाम के लिए विधि संगत उपाय करेगा और उक्त तथ्यों का जिक्र करते हुए विहित रीति से तामिल कर, किसी व्याक्ति को ऐसा कार्य न करने तथा उसके कब्जा वाला सम्पति के संबंध में कार्रवाई के संबंध में कारवाई करने का निर्देश देगा।

(iii) सरपंच, उपधारा-(i) के अधीन आदेश निर्गत करतें हीं कार्यवाहियाँ अनुमण्डल दण्डधिकारी को पेश करेगा जो विवाद के पक्षकारों, यदि वे चाहें को सुनने के बाद आदेश को संपुष्ट कर सकेंगे या नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर सकेगा।(iii) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश तीस दिनों तक प्रवृत रहेगा। (iv) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश को संबध्द स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तत्परता से लागू किया जायेगा।

विषय वस्तु : ग्राम कचहरी के सिविल क्षेत्राधिकार (बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 110 एव 111)

धारा-110 ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की अनन्य सिविल अधिकारिता

उपधारा (1) बंगाल आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887, (13, 1887), प्रान्तीय लधु हेतुक न्यायालय अधिनियम, 1887 (89, 1887) और सिविल प्रकिया संहिता, 1908, (5, 1908) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अधिनियिम के प्रावधानों के अध्याधीन, ग्राम कचहरी की न्यायापीठ की निम्निलिखित श्रेणी के वादों को सुनने और अवधारित करने का अधिकार होगा, अर्थात्-

(क) जब कि ग्राम कचहरी में दर्ज किये गये मुकदमों का मूल्य दस हजार रूपये से अधिक ने हो यथा।

¼i) संविदा पर देय धन के लिए वाद:

¼ii) चल सम्पत्तिा या ऐसी सम्पति के मूल्य की वसूली के लिए वाद:

¼iii) लगान की वसूली के वाद: और

(iv) चल सम्पत्तिा को सदोष ग्रहन करने या उसे क्षति पहँचाने के चलते प्रतिकार के लिए, या पशु-अतिचार से क्षतिग्रस्त सम्पत्तिा के लिए वाद।

(ख) वाद बंटवारा के सभी मामलों, सिवाय उन वादों के जहाँ विधि का जटिल प्रश्न या टाइटिल अंतर्ग्रस्त हो:।

किन्तु, जहाँ ग्राम कचहरी का विचार में किसी बँटवारा के किसी वाद में विधि का जटिल प्रश्न या टाईटिल का मामला सन्निहित है तो ग्राम कचहरी ऐसे वाद को समक्ष अधिकारता वाले न्यायालय को अन्तरित कर देगी: परन्तु खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) के अधीन उपर्युक्त प्रकार के वाद के पक्षकार, वाद के मूल्य को ध्यान में रखे बिना, लिखित करार द्वारा निर्णय के लिए न्यायपीठ को वाद निर्दिष्ट कर सकेगा और न्यायपीठ को काई नियमों के अध्याधीन उक्त वाद की सुनवाई करने ओर उसकी अवधारणा करने की अधिकारिता होगी।

घारा-111

ग्राम कचहरी के न्यायपीठ नीचे लिखे गये वादों की सुनवाई नहीं करेगी- धारा 110 में अन्तर्विष्ट से किसी प्रतिकूल वाद के होते हुए भी कोई भी वाद ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ के द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(क) साझेदारी लेखा, अतिशेष पर,

(ख) निर्वसीयतता के अधीन शेयर या शेयर के भाग के लिए वसीयत के अधीन वसीयत संपदा या संपदा के भाग के लिए, या

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार या अपनी पदीय हैसियम से ऐसे सरकारी सेवकों द्वारा या उसके विरूद, या

(घ) नाबलिग या विकृत चित के व्यक्तियों द्वारा या उसके विरूध्द, या

(ड़) अचल सम्पत्ति के लगान के निर्धारण, वृद्धि कमी, उपशमन या प्रभाजन के लिए या

(च) पुरोबंध द्वारा बंधक लागू करने के लिए अचल सम्पति के बंधक का या बंधक के मोचन के लिए सम्पत्ति की बिक्री: या

(छ) अचल सम्पत्ति में अधिकार, टाइटील और हित की आवधारण के लिए,

(ज) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जिसमें इस अधिनियम के प्रवृत हाने के पूर्व समक्ष अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में कार्यवाही लंबित हो, या

(झ) ग्राम पंचायत में मुखिया, या कार्यपालिका समिति के किसी सदस्य, सरपंच या पंच के विरूद्ध वाद आता हो।

विषय वस्तु:- ग्राम कचहरी के दिवानी मामलों का दायर कि जाना एवं ट्रायल (ग्राम कचहरी संचालन नियामावली, 2007 का नियम 20-28 एवं (बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 101, 102, 103, एवं 110)

धारा-107 ग्राम कचहरी की दाण्डिक अधिकार

ग्राम कचहरी की न्यापीठ ग्राम कचहरी की स्थानीय सीमाओं के भीतर किये गये अपराध या अपराधें के दुस्प्रेरण या प्रयासें के विचारण की अधिकारिता होगी जो कि-

(क) भारतीय दण्ड संहिता (45, 1860) के निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत किये गये हों-

धारा- 140, 142, 143, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294 (ए), 332, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 5041, 506, एवं 510, के अन्तर्गत अपराध किये गयें हैं।

(नोट: उपर्युक्त धाराओं की विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में आगे दी गई है।)

(ख) बंगाल लोक धुत अधिनियम, 1867 (बंगाल अधिनियम 2, 1867) के अधीन किया गया अपराध हो।

(ग) पशु-अतिचार अधिनियम, 1871(1,1871) की धारा 24 और 26 के अधीन किया गया अपराध हो।

(घ) अन्यथा उप बंधित को छोड़कर, इस अधिनियम या इसी के अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन किये गये अपराध हो।

(ड.) किसी अन्य अधिनियम के अधीन किया गया कोई अन्य अपराध, यदि सरकार द्वारा इसके वावद में शक्ति प्रदान की जाय;

परन्तु, ग्राम कचहरी किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी जिसकी बावत इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व समक्ष अधिकारित वाले किसी न्यायालय कि समक्ष कोई कार्यवाही पूर्व से ही लंबित हो, परन्तु न्यायपीठ (बेंच) भारतीय दंड संहिता 1860 (45, 1860) की धारा 379, 380, 381, या 411 के अधीन किये गये किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जिसमें चुराई गई सम्पति की मूल्य दस हजार रूपये से अधिक का हो या जिसमें अभियुक्त की यदि-

(i) भारतीय दण्ड संहिता 1860, (45, 1860) के अध्याय XVII कि अधीन दण्डनीय अपराध के लिए पूर्व में तीन वर्षा या उससे अधिक अवधि का कारावास के लिए दोष सिध्द (दोषी) ठहराया गया हो, या,

(ii) ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ के द्वारा चोरी के लिए पूर्व में जुर्माना किया गया हो, या

(iii) दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (2, 1973) की धारा 109 या 110 के अधीन चलाई गई कार्यवाही में सद्वव्यवहार करने के लिए कारावध्द किया गया हो, या

(iv) ग्राम कचहरी न्यायपीठ ग्राम पंचायत के मुखिया , कार्यकारणी के सदस्य सरपंच पंच पर यदि मुकदमा दर्ज किया हो तो संज्ञान नहीं लेगा।

घारा-107 ग्राम कचहरी न्यायपीठ के दाण्डिक शक्तियाँ

(i) ग्राम कचहरी की न्यायपीठ पक्षों को सुनने के बाद एवं न्यायपीठ के समक्ष पेश किये गये साक्षों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय अभिलिखित करेगी, दोष सिध्द हाने पर वह अपराधी को ऐसा जुर्माना से दण्डित करेगी जिसकी राशि एक हजार से ज्यादा का न हो। परन्तु, अगर मामले के विचारण के समक्ष पीठ यानी न्यायपीठ में उपस्थिति सदस्य समुदाय एक मत नहीं हो तो वैसे सदस्यों का बहुतम का निर्णय ग्राम कचहरी न्यायपीठ का निर्णय होगा। परन्तु आगे यह कि मामले के विचारण में न्यायपीठ में उपस्थिति सदस्यों के मतों की गणना बराबरी का हो जाय तो उस परिस्थिति में सरपंच अपना निर्णायक मत देगा तथा पीठ का उक्त निणर्य सरपंच के द्वितीय अथवा निर्णायक मत के अनुसार होगा।

(ii) ग्राम कचहरी की कोई पीठ, साधारण या सश्रम कारावास नहीं दे सकेगी, चाहे वह मूल दण्डादेश में हो या जुर्माना का भुगतान करने में व्यक्तिक्रम करने पर हो।

(iii) जब कोई न्यायपीठ धारा (1) के अधीन कोई जुर्माना अधिरोपित करती है वह आदेश पारित करते समय निर्देश दे सकती हैं कि वसुले गये जुर्माना का सम्पूर्ण अथवा अंश उस अपराध के कारण हुई हानि अथवा क्षति के प्रतिकर के भुगतान के लिए उपयोजित किया जायेगा।

(iv) जब किसी व्यक्ति को ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ द्वारा सजा दी जाय, तब वह न्यायपीठ इस तरह दण्डादिस्ट व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक रूप से अनुरोध किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन अपील दायर करने की विहित अवधि के लिए ऐसी सजा के प्रवत्तान को स्थगित कर सकेगी। ग्राम कचहरी या उसकी न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश की प्रति आदेश पारित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, इस प्रयोजनार्थ विहित शीति से पक्षकारों को मुफ्त उपलब्ध कराई

धारा-90 ग्राम कचहरी का गठन (Constitution of Gram Panchayat)

1 प्रत्येक ग्राम पंचायत में जनता की सुलभ एवं सुगम न्याय के लिए एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई जिसमें एक निर्वाचित सरपंच होता है तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगभग 500 की आबादी पर एक पंच होता है। पंचों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के अनुरूप होता है।

2. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक पंच का निर्वाचन विहित रीति से प्रत्यक्ष रूप से करता है।

3. प्रत्येक ग्राम कचहरी के गठन के पश्चात उसे जिला गजट में प्रकाशित किया जाता है तथा ग्राम कचहरी की प्रथम बैठक की नियत तारीख से ग्राम कचहरी प्रभावी होता है।

धारा-92 ग्राम कचहरी की अवधी (Tenure)

1. प्रत्येक ग्राम कचहरी की अवधी 5 वर्षो की होगी बशर्ते (अगर) उसे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन समय से पूर्व विघटित नहीं किया जाता है। पॉँच वर्षो की अवधि की गणना ग्राम-कचहरी की प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से की जायेगी। ग्राम कचहरी की अवधि पाँच वर्षो से अधिक की नहीं होगी।

2. ग्राम कचहरी का गठन करने के लिए निम्नलिखित रूप से निर्वाचित पूरा किया जायेगा-

(क) उपधारा (i) में विनिदिष्ट उसकी कार्य अवधि समाप्त हाने के पूर्व

(ख) कार्य अवधि पूर्व विघटन होने की स्थिति में यदि ग्राम-कचहरी का कार्यकाल छः महीना से अधिक यदि बच रहा हो तो निर्वाचन द्‌वारा ग्राम-कचहरी का गठन किया जायेगा, परन्तु छः महीने से कम अवधि बचा (शेष) रहने पर निर्वाचन आवश्यक (अनिवार्य) नहीं होगा।

III. कार्य अवधि के पूर्व यदि ग्राम कचहरी का निव्राचन द्‌वारा पुन: गठन होता है तो गठिति ग्राम कचहरी का कार्यकाल शेष बचे अवधि के लिए ही प्रभावी होगा, अर्थात्‌ प्रथम बार गठित ग्राम कचहरी का पूर्ण कार्यकाल जब समाप्त होता है (यदि विघटित नहीं होता) उसी तिथि तक नई गठित ग्‌ारम कचहरी प्रभावी रहेगा।

धारा-96 सरपंच और उपसरपंच की शक्तियाँ एवं कार्य

(क) सरपंच मुख्य रूप से ग्राम कचहरी तथा न्यायपीठ का अध्यक्ष होगा।

(ख) पक्षकारों के आवेदन और पुलिस के रिपोर्ट पर वाद या मामला दर्ज करेगा।

(ग) पक्षकारों और गवाहो की उपस्थिति के लिए कारवाई करेगा, दस्तावेजों, लिखितों को ग्राम कचहरी न्यायपीठ के सामने प्रस्तुत करने के लिए भी कारवाई करेगा तथा ऐसा कार्य करने के लिए वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

इसकी अनुपस्थिति की दशा में सरपंच के सारे कार्यो का, कर्तव्यों की एवं सारे अधिकारों का प्रयोग उपसरपंच करेगा तथा किसी अन्य शक्ति अथवार् कत्ताव्यों का भी प्रयोग अथवा निष्पादन करेगा जोकि विधि संगत होगा।

पीआईओ वह अधिकारी है जिन्हें सभी प्रशासनिक ईकाईयों या कार्यालयों में लोक अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो और उसे यह दायित्व दिया गया हो कि वे सूचना प्राप्ति के लिए आग्रह करने वाले सभी नागरिकों को सूचना प्रदान करेंगे। पीआईओ द्वारा अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए माँगी गई अन्य अधिकारियों की सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को भी पीआईओ के रूप में माना जाएगा।

पीआईओ, सूचना पूछने वाले व्यक्तियों से आग्रहपूर्वक व्यवहार करेंगे और जहाँ आग्रह लिखित रूप में नहीं किया जा सकता, वहाँ उसे लिखित रूप में आग्रह करने के लिए किसी व्यक्ति की उचित सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
यदि आग्रह की गई सूचना रोकी गई हो या इसका संबंध किसी अन्य लोक अधिकारी से हों तो पीआईओ आग्रह को, 5 दिन के भीतर संबंधित लोक अधिकारी के पास भेजकर, तुरन्त आवेदक को सूचित करेगा।
पीआईओ अपने कार्यों के उचित निर्वाह के लिए किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकते हैं।
पीआईओ सूचना के लिए आग्रह प्राप्ति पर ज़ल्द से ज़ल्द ज़वाब देंगें और किसी भी मामले में अनुरोध के 30 दिनों के भीतर निर्धारित मानदंड के अनुसार शुल्क के भुगतान पर या तो सूचना प्रदान करें या एस-8 या एस-9 में विनिर्दिष्ट किसी कारण के आधार पर आग्रह को रद्द कर दें।
जहाँ सूचना का आग्रह व्यक्ति की ज़िंदगी या स्वतंत्रता की चिंता के लिए की गई हो, तो आग्रह की तिथि से 48 घंटों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना होगा।
यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आग्रह पर निर्णय देने में असफल रहता है तो उसे आग्रह को ठुकरा देने का अधिकार होगा।

1. ऐसे रद्द करने के कारण

2. ऐसे रद्द करने की अवधि के भीतर अपील करने को प्राथमिकता दें, और

3. अपील किए जाने वाले प्राधिकार के विवरण।

लोक सूचना अधिकारी को सूचना ऐसे रूप में उपलब्ध करानी होंगी जिसमें वह माँगी गई हो अन्यथा इससे अनावश्यक रूप से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का दुरुपयोग होगा या इससे रिकार्ड की सुरक्षा या संरक्षण को क्षति पहुँचने की संभावना रहेगी।

यदि सूचना के आंशिक उपयोग की अनुमति दी गई हो तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को यह सूचित करते हुए एक सूचना देना होगा कि-

1. सूचना की गंभीरता के कारण आग्रह किए गए रिकार्ड के मात्र आंशिक भाग को उपलब्ध कराया गया है

2. किसी भी सामग्री पर उपलब्ध जानकारी एवं सत्यता के प्रश्न सहित अन्य कोई सामग्री की जानकारी उपलब्ध कराना जिसपर वह निर्णय आधारित हो

3. निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम

4. गणना की गई शुल्क का विवरण और शुल्क की राशि जो आवेदक को जमा करना है

5. सूचना के अंश को न बताने के सन्दर्भ में, निर्णय की समीक्षा के संबंध में उनके अधिकार और ली गई शुल्क की राशि या प्रयोग के रूप की जानकारी।

यदि माँगी गई सूचना तीसरे पक्ष द्वारा दिया जाना है या तीसरे पक्ष द्वारा उसे गोपनीय माना जा रहा, तो लोक सूचना अधिकारी आग्रह प्राप्ति से 5 दिनों के भीतर तीसरे पक्ष को लिखित सूचना देगा और उसकी पक्ष सुनेगा

तीसरी पार्टी को ऐसी सूचना प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन देना।

1. बताने के लिए क्या नहीं है ?

निम्नलिखित सूचनाओं को आम जनता को उपलब्ध कराने की मनाही है

1. ऐसी सूचना प्रदर्शन जिससे भारत की स्वतंत्रता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, कार्य योज़ना, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशों से संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हों या अपराध के लिए उत्तेजित करता हों।

2. सूचना जिसे किसी भी न्यायालय या खण्डपीठ द्वारा प्रकाशित किए जाने से रोका गया है या जिसके प्रदर्शन से न्यायालय का उल्लंघन हो सकता है।

3. सूचना, जिसके प्रदर्शन से संसद या राज्य विधानसभा के विशेषाधिकार प्रभावित होती हों

4. वाणिज़्यिक गोपनीयता, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना, जिसके प्रकाशन से तीसरी पक्ष की प्रतिस्पर्द्धात्मक स्तर को क्षति पहुँचने की संभावना हों, जब तक कि सक्षम प्राधिकरी इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकाशन जनहित में है

5. व्यक्ति को उनके न्यासी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकरी संतुष्ट नहीं हो जाते कि ऐसी सूचना का प्रदर्शन जनहित में हैं

6. ऐसी सूचना जो विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त की गई हो

7. सूचना, जिसके प्रदर्शन से किसी व्यक्ति की ज़िन्दगी या शारीरिक सुरक्षा को खतरा है या कानून के कार्यान्वयन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई सूचना या सहायता

8. सूचना जिससे अपराधी की जाँच करने या उसे हिरासत में लेने या उस पर मुकदमा चलाने में बाधा उत्पन्न हो सकती हो

9. मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श से संबंधित मंत्रिमंडल के दस्तावेज़

10. ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति के निजी जिंदगी से संबंधित है उसका संबंध किसी नागरिक हित से नहीं हो और उसके प्रकाशन से किसी व्यक्ति के निजी जिंदगी की गोपनीयता भंग होती हों

11. उपरोक्त बातों से परे सूचना को लोक सूचना अधिकारी सुलभ कराने की इज़ाजत दे सकते है।

2. क्या आँशिक प्रदर्शन की अनुमति है ?

रिकार्ड का केवल वही भाग जो ऐसी कोई सूचना धारण नहीं करता हो जिसके प्रदर्शन पर रोक नहीं हों, तो लोक सूचना अधिकारी वैसी सूचना के प्रदर्शन की इज़ाजत दे सकता है। (एस-10)

3. इससे किसे बाहर रखा गया है ?

दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सतर्कता और सुरक्षा एजेंसी जैसे आईबी, रॉ (रीसर्च एंड एनालिसिस विंग), राज़स्व सतर्कता निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक सतर्कता ब्यूरो, कार्यान्वयन निदेशालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, उड्डयन अनुसंधान केन्द्र, विशेष सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स, विशेष सेवा ब्यूरो, विशेष शाखा (सीआईडी), अंडमाम एवं निकोबार अपराध शाखा-सीआईडी- सीबी, दादरा और नगर हवेली तथा विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट एजेंसियों को भी छोड़ दिया गया है।

इस अधिनियम से इन संगठनों को छूट दे दिये जाने के बावज़ूद इन संगठनों को घूस और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों से के बारे में सूचना प्रदान करने की बाध्यता होगी। इसके अतिरिक्त, मानव अधिकार के उल्लंघन के आरोप से संबंधित सूचना केन्द्र या राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद दिया जा सकता है।

जय हिंद

जन सूचना अधिकारी के पास जरूरी सूचना के लिए लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-मेल) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अपना आवेदन अँग्रेज़ी, हिन्दी या संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा में भरकर करें।
माँगी गई सूचना के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है।
राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें (गरीबी रेखा के नीचे आने वाले वर्ग के लोगों को शुल्क नहीं जमा करना है)।

आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिन के भीतर।
यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घण्टे के भीतर।
उपरोक्त दोनों मामलों में 5 दिन का समय जोड़ा जाए यदि आवेदन, सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया हो।
यदि किसी मामले में तीसरे पक्ष की संलग्नता या उसकी उपस्थिति अनिवार्य है तो सूचना प्राप्ति की समय-सीमा 40 दिन होगी (अधिकतम अवधि+ तीसरे पक्ष को उपस्थित होने के लिए दिया गया समय)।
विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने में असफल रहने पर उसे सूचना देने से इंकार माना जाएगा।

निर्धारित आवेदन शुल्क निश्चित रूप से तार्किक होनी चाहिए।
सूचना के लिए यदि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो, आवेदक को पूर्ण आँकलन विवरण के साथ लिखित रूप में सूचित किया जाए।
जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क के बारे में पुनर्विचार के लिए उचित अपीलीय प्राधिकार से आवेदन किया जा सकता है।
गरीबी रेखा से नीचे आने वाले समुदाय के लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यदि जन सूचना अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं तो आवेदक को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।

यदि इसके अंतर्गत ऐसी सूचना माँगी जा रही हो जिसके प्रदर्शन नहीं करने की छूट हो।

यदि यह राज्य के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन करता हो।

जय हिंद

परिचय

इस खंड में हमने साझेदारी, सीमित देयता साझेदारी तथा भारतीय संविदा अधिनियम का समावेश किया है। यहां दी गई जानकारी शुरूआती परिचय के रूप में हैं। कृपया नोट करें कि यहाँ दी गई जानकारी को किसी भी रूप में पूर्ण न समझा जाए औऱ यह बहुत आवश्यक है कि आप आगे बढने से पहले अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श लें। साझेदारी, सीमित देयता साझेदारी तथा संविदाओं पर जानकारी हासिल करने के लिए कृपया इसे पढ़ना जारी रखें।

संविदाएंसंविदाएं क्या होती हैं और संविदा की मूलभूत बातों को जानना आपके लिए क्यों जरूरी है?

उद्‌यमी के रूप में आपको निम्नलिखित में से कोई भी गतिविधि करते समय संविदा करनी होगी

संपत्ति की खरीदपट्टा करार करनावस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीदसंयुक्त उपक्रम शुरू करनापरामर्शदाता / स्वतंत्र प्रोफेशनल के रूप में सेवा देनाएजेन्ट क सेवा देना।

संविदा के महत्त्वपूर्ण खंडों की जाँच सूचीसंविदा पर हस्तार होने और संविदा के लागू होने की तारीखसंविदा के पक्षकारों की परिभाषासंविदा का सीमा-क्षेत्रविवाचनसंविदा की शर्तेंभौगोलिक सीमाएं (यदि हों)बहिर्गमन के विकल्प।

भारतीय संविदा अधिनियम- बुनियादी विधिक विशेषताएंसंविदा अधिनियम में सीमाकारी घटक शामिल हैं, जिनके अधीन संविदा क्रियान्वित, निष्पादित की जा सकती हैं और संविदा-भंग का प्रवर्तन किया जा सकता है। इसमें केवल नियमों व विनियमों का ढाँचा दिया गया है, जो संविदा के निर्माण और कार्यनिष्पादन को संचालित करता है। पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा करार की शर्तों का निर्मय स्वयं पक्षकारों द्‌वारा किया जाता है। निष्पादन नहीं होने की अवस्था में कानून करार का प्रवर्तन करता है।

संविदा के अनिवार्य तत्व

भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कानून द्‌वारा प्रवर्तनीय कोई करार संविदा कहलाता है। संविदा अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार 'करार' शब्द में पारस्परिक क्षतिपूर्ति का होना आवश्यक है।

प्रस्ताव का अर्थ- जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करने /करने से बचने की सहमति लेने के इरादे से कोई काम करने/ करने से बचने की इच्छा व्यक्त करता है तो कहा जाएगा कि उसने प्रस्ताव किया है (धारा 2(क)। अंग्रेजी कानून 'ऑफर' शब्द इस्तेमाल करता है, जबकि भारतीय कानून 'प्रस्ताव'। दोनों आपस में अदल-बदलकर इस्तेमाल होते हैं, किन्तु इस्तेमाल किया जानेवाला सही शब्द होगा 'प्रस्ताव'।

वचन का अर्थ- जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है वह जब अपनी सहमति व्यक्त करता है तब प्रस्ताव को स्वीकार किया गया माना जाता है। स्वीकार कर लिए जाने के बाद प्रस्ताव वचन बन जाता है। जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया है केवल वही प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है।

वचनदाता और वचनग्रहीता – प्रस्ताव करनेवाला वचनदाता और प्रस्ताव स्वीकार करनेवाला व्यक्ति वचनग्रहीता कहा जाता है।

पारस्परिक वचन – जो वचन एक-दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति का हिस्सा होते हैं उनको पारस्परिक वचन कहा जाता है।

वचन के लिए क्षतिपूर्ति – 'करार' की परिभाषा में ही कहा गया है कि पारस्परिक वचन को एक-दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति होना चाहिए। इस प्रकार किसी करार के लिए 'क्षतिपूर्ति' का होना आवश्यक है। बिना क्षतिपूर्ति के प्रावधान के वचन 'करार' नहीं है और इसलिए स्वाभाविक रूप से वह 'संविदा' नहीं है.

वचन की परिभाषा – जब वचनदाता के अनुरोध पर वचनग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य अथवा कार्य से बचने अथवा वादा किया है/ करने से बचा है अथवा करने/ करने से बचने का वादा किया है तब उसे वचन के लिए क्षतिपूर्ति कहा जाता है।

परिचय

समाज में चारों ओर गुंडा-गर्दी, दहशत का माहौल है। बलात्कार व हिंसा की घटनाएँ बढ़ रही हैं। विशेषकर महिलाएँ इन घटनाओं का अधिक शिकार होती हैं। गुंडे दफ्तर में, सड़क पर यहाँ तक की मंदिर में भी छिछोरी हरकत करने से बाज नहीं आते, आए दिन बलात्कार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। गुंडातत्व से तो जैसे-तैसे निपटा जा सकता है लेकिन वासना के पुजारी पुरुष सगे संबंधियों से कैसे निपटे बेचारी नारी। घरेलू-यौन शौषण के अधिकांश मामले लज्जावश दबा दिए जाते हैं। नारी घर की चारदिवारी में भी सुरक्षित नहीं है।

नए कानून में महिलाओं को हिम्मत मिलने की उम्मीद जताई गई है, इस कानून के अनुसार महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकद्दमों की सुनवाई सिर्फ महिला जजों से कराने का प्रावधान है। इससे एक अच्छी, असरदार और मानवीय न्याय प्रणाली चलाने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बलात्कार के मामलों में चिकित्सा सबूत अपर्याप्त भी हैं, तो भी महिला का ब्यान ही काफी समझा जाना चाहिए। देश में बलात्कार के लगभग 80 प्रतिशत मामलों में सबूतों के अभाव, धीमी पुलिस जाँच में अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिल पाती है। बहुत-सी महिलाएँ ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट भी कराने से कतराती हैं। भारतीय महिलाओं में इस तरह की घटनाओं को छुपाने की प्रवृति होती है क्योंकि इससे उनका और उनके परिवार का सम्मान जुड़ा होता है।

अभी तक ऐसा होता था कि पुरुष वकील बलात्कार की शिकार किसी महिला को डराने और धमकाने में कामयाब हो जाते थे, अब महिला जज सहानुभूति वाला माहौल बनाने में मदद करेंगी।

बलात्कार की शिकार कोई महिला अदालत में जिरह के दौरान अपने वकील को अपने साथ रख सकेगी। अभी तक ऐसा कैमरे के सामने होता था जिसमें असहजता होती थी।

बलात्कार की शिकार महिला को महिला वकील देने का प्रावधान किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ महिला ही एक महिला को सही तरह से समझ सकती है।

अगर कोई महिला चाहे तो अपनी पसंद का वकील चुन सकती है। अभी तक सिर्फ सरकारी वकील ही ऐसे मामलों में जिरह करते थे।

साथ ही ऐसे मामलों में गवाहों के ब्य़ान पुलिस के सामने देने की प्रथा भी बंद करने का प्रस्ताव किया गया है।

बलात्कार पर कानून

(धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ भारतीय दंड संहिता)

धारा 375 भारतीय दंड संहिता :-

जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। सम्भोग का अर्थ - पुरुष के लिंग का स्त्री की योनि में प्रवेश होना ही सम्भोग है। किसी भी कारण से सम्भोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं वह बलात्कार ही कहलायेगा। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरुष किसी स्त्री साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है, यह कहा जाता है-

-उसकी इच्छा के विरुद्ध

-उसकी सहमति के बिना

-उसकी सहमति डरा धमकाकर ली गई हो

-उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है

-उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो

-उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो

-यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के

-15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया सम्भोग भी बलात्कार है

धारा 376 भारतीय दंड संहिता

धारा 376 बलात्संग के लिए दण्ड का प्रावधान बताती है। इसके अन्तर्गत बताया गया है कि (1) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन के लिए दस वर्ष के लिए हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किंन्तु यदि वह स्त्री जिससे बलात्संग किया गया है, उसकी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा वह जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकेगा।

बलात्कार केस जिनमें अपराध साबित करने की जिम्मेदारी दोषी पर हो न कि पीड़ित स्त्री पर। यानि वे केस जिनमें दोषी व्यक्ति होने को अपने निर्दोष होने का सबूत देना हो।

उपधारा (2) के अन्तर्गत बताया गया है कि जो कोई

-पुलिस अधिकारी होते हुए- उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें वह नियक्त है, बलात्संग करेगा, या किसी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा या अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

- लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर किसी ऐसी स्त्री से, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसकी अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या

- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यह उसके अधी स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध या कर्मचारीवृंद में होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर ऐसी जेल, प्रतिपे्रषण गृह स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या

- किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृंद में होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा,या(ड.)किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा या

- किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा या

- सामूहिक बलात्संग करेगा।

- जब गर्भवती महिला के साथ बलात्संग किया गया हो

वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जाऐंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास को, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेञ्गी दण्ड दे सकेगा।

इस धारा में तीन स्पष्टीकरण दिये गए है, प्रथम स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि जिन व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।

द्वितीय स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि स्त्रियों या बालकों को किसी संस्था से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हों।

तृतीय स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बताया गया है कि अस्पताल से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का आहता है जो उल्लंघन(आरोग्य स्थापना) के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुर्नवास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों का ग्रहण करने और उनका आचार करने के लिए है।

धारा 376 (क) भारतीय दंड संहितापृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सम्भोग करने की दशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा 376 (ख) भारतीय दंड संहितालोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ सम्भोग करने की दशा में जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की ही हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376 ग भारतीय दंड संहिताजेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा सम्भोग की स्थिति में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 376 घ भारतीय दंड संहिताअस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारीवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ सम्भोग करेगा तो वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

जय हिंद

कार्य विशेष परिस्थिति में किए गए कार्य दण्डनीय नहीं-
सात वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य।

सात वर्ष से बारह वर्ष के बीच की उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य, यदि उसने वह विशेष परिस्थिति में या नासमझी, अज्ञानता में किया है।

विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

नशे में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो।

किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया कार्य ।

सहमति तथा सक्षमता से किया गया कार्य ।

किसी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उक्त पद पर किया गया कार्य।

अपनी रक्षा के लिए कुछ अपवादों के साथ किया गया कार्य।

पैरोल और इसके नियम
पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा अपनी सजा का एक बड़ा भाग काटने के बाद, अच्छे आचरण की वजह उसे जेल से मुक्त किया जाना। हीरालाल बनाम बिहार राज्य(1977) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबी अवधि के कैदियों को अस्थायी पैरोल पर छोड़ा जाना चाहिए। अस्थायी पैरोल का अर्थ है कुछ समय के लिए व्यक्ति को जेल से छोड़ देना और पैरोल का समय समाप्त होते ही वापस जेल भेज देना।

जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी को साल में दो बार पैरोल मिलती है। ताकि वह अपने परिवार में किसी समारोह, दुख या खुशी में शरीक हो सके।

जबकि कृषि से संबंधित कैदी के लिए यह समय 6 सप्ताह व सामान्य कैदी के लिए 4 माह का होता है।

ऐसे में जो कैदी पैरोल पर जाकर वापस आने की बजाए भगौड़े हो जाते हैं। ऐसे कैदियों पर पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 1962 के सेक्शन 8 की धारा ((2)) के तहत कार्रवाई होती है। इसमें दो साल की कैद व जुर्माने का भी प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कैदी का आचरण जेल में अच्छा रहता है तो उसे वर्ष में दो सप्ताह पैरोल पर छोड़ देना चाहिए।

पैरोल पर छूटे व्यक्ति पर निम्नलिखित शर्तें लागू
व्यक्ति नशा नहीं करेगा, शराब के अड्डों पर नहीं जायेगा, जुआ नहीं खेलेगा, हथियार नहीं रखेगा, शिकार नहीं करेगा, अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिताएगा, कानून का पालन करेगा, अपराधियों को पत्र नहीं लिखेगा, देर रात तक बाहर नहीं घूमेगा, वेश्याओं के पास नहीं जायेगा, किसी निश्चित क्षेत्र में रहेगा, नाच-गाना नहीं करेगा, बिना इजाजत शादी नहीं करेगा, नौकरी नहीं बदलेगा, पशुओं को जान से नहीं मारेगा।

पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को सजा
पैरोल की शर्तें तोड़ने पर व्यक्ति को वापस जेल भेजा जा सकता है। और सजा के शेष भाग को भुगतना पड़ सकता है। अगर व्यक्ति पैरोल पर छोड़े जाने के बाद दोबारा जुर्म करता है तो उसे पैरोल दोबारा नहीं मिलैगा

ये भी हैं काम की बातें.
एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मुहर और थाना प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में लिखेगा कि सूचना की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। आपकी शिकायत पर हुई प्रगति की सूचना संबंधित पुलिस आपको डाक से भेजेगी। आपको और पुलिस को सही घटना स्थल की जानकारी नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देगी। हालांकि जांच के दौरान घटना स्थल का थानाक्षेत्र पता लग जाता है तो संबंधित थाने में केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करवाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने के नाम पर रिश्वत, नकद की मांग करे, तो उसकी शिकायत करें।

याद रखिये FIR लिखने का 9k फार्मूला
हम सभी को कभी न कभी FIR लिखाना ही पड़ जाता है चाहे खुद के लिये या किसी जानने वाले के लिये। अक्सर लोगो की शिकायत होती है कि उनकी FIR थाने में नहीं लिखी गई, या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ FIR के लिये किया गया आवेदन निरस्त हो गया। इसके तो कई कारण होते है किंतु एक कारण ये भी होता है की आपके लिखने तरीका गलत हो। FIR को कम से कम शब्दों में स्पष्ट और पूरे मामले को लिखना चाहिये क्योंकि न्यायालय में आपका केस इसी आधार पर चलता है । आसान भाषा में FIR को लिखने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पढ़े लिखे लोग भी FIR लिखने में गलती कर देते है। सबसे पहले आप एक सादा पेपर ले और उसपर 1 से 9 तक नंबर लिख ले, फिर उन सब के सामने K लिख ले, बस हो गया आपका FIR ।

9K का मतलब होता है आप नीचे पढ़ेंगे तो स्वतः स्पष्ट हो जायेगा।

(1) कब (तारीख और समय)- FIR में आप घटना के समय और तारीख की जानकारी लिखे ।
(2) कहा (जगह)- घटना कहाँ पे हुई इसकी जानकारी दे।
(3) किसने - अपराध किस ब्यक्ति ने किया (ज्ञात या अज्ञात) एक या अनेक ब्यक्ति उसका नाम पता आदि लिखे ।
(4) किसको - किस के साथ अपराध किया गया एक पीड़ित है या अनेक उनसब का नाम व पता।
(5) किसलिये - यह एक मुख्य विषय होता है इसी से यह पता चलता है की कोई कार्य अपराध है या पुरस्कार देने के लायक कार्य है, इसको निम्न प्रकार समझ सकते हैं-
(अ) क एक ब्यक्ति ख पर गोली चला देता है और ख की मृत्यु हो जाती है, क यहाँ पर दोषी होगा।
(ब) क एक ब्यक्ति ख पर अपनी पिस्तौल तान देता है और ख अपने बचाव में क पर गोली चला देता है जिससे क की मृत्यु हो जाती है। ख हत्या का दोषी नहीं है क्योंकि अपनी आत्मरक्षा करते हुए अगर आप किसी की जान भी ले लेते है तो आप दोषी नहीं होंगे ।

(स) क अपनी कार से ख तो टक्कर मार देता है और ख की मृत्यु हो जाती है, क हत्या का दोषी नहीं है बल्कि उसपर दुर्घटना का केस चलेगा और उसके हिसाब से दण्ड मिलेगा।
(द) क एक पुलिस कर्मी है और वह आतंकवादी संगठन के मुठभेड़ में एक या कई आतंकवादीयो को मार देता है। क हत्या का दोषी नहीं होगा बल्कि उसे पुरस्कार दिया जायेगा।
इससे यह स्पष्ट होता है की कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक की दुराशय से न किया गया हो।
(6) किसके सामने (गवाह)- अगर घटना के समय कोई मौजूद हो तो उनकी जानकारी अवश्य देनी चाहिये।
(7) किससे (हथियार) - अपराध करने के लिए किन हथियार का प्रयोग किया गया (पिस्तौल , डंडे, रॉड, चैन , हॉकी, ईट। अगर कोई धोखाधड़ी का मामला है तो आप (स्टाम्प पेपर, लेटरहेड, इंटरनेट , मोबाइल, आदि,) जानकारी जरूर प्रदान करे।
(8) किस प्रकार - क्या प्रकरण अपनाया गया अपराध् करने के लिये उसको लिखे।
(9) क्या किया (अपराध)- इनसभी को मिलकर क्या किया गया जो की अपराध होता है उसको लिखे।

इस प्रकार आप सब आसानी से FIR को लिख सकते है ।

अन्य जानकारी

FIR आप जहाँ घटना हुई है उसके आलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर आप FIR लिखा सकते है।
FIR न लिखे जाने के कई कारण होते है, मुख्यतः क्राइम रेट अधिक न हो इस कारण नहीं लिखी जाती है (जो की गैर कानूनी कारण है) । दूसरा कारण अपराध की सत्यता पर शक होता है जिस कारण पुलिस FIR लिखने से पहले जाँच करना चाहते है।
FIR लिखवाना आपका अधिकार है (CRPC 154), अगर थाने में आप की FIR नहीं लिखी जाती है तो आप उनके ऊपर के किसी भी अधिकारी (CO, SP, SSP,) से आप FIR लिखने के लिये बोल सकते है, और वे 1 या 2 दिन जाँच के लिये लेकर संबंधित थाने में FIR लिख दी जायेगी।

किसी भी जानकारी चाहिए तो Email .anil.hinger@hrfofindia.org.भैज सकतै है
. www.hrfofindia.org से जुड़ने के लिये लॉगिन करें या सिर्फ सुबह 10 से शाम 10 बजे तक फोन करके ही बात करें या आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस नम्बर को अपने ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें।
Whatsapp/Hike No-09869276824और फोन नम्बर 02225203234

धारा 377 भारतीय दंड संहिताप्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में है जो यह बताती है कि जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव वस्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय-भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

बलात्कार से पीड़ित स्त्री को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए

- अपने परिवार वालों या दोस्तों को बतायें

-नहाए नहीं

-वह कपड़े जिनमें बलात्कार हुआ है, उन्हें धोए नहीं। यह सब करने से शरीर या कपड़ों पर होने वाले महत्वपूर्ण सबूत मिट जाएँगे।

-बलात्कारी का हुलिया याद रखने की कोशिश करें।

-तुरंत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) लिखवाएं। एफ.आई.आर. लिखवाते वक्त परिवार वालों को साथ ले जाएँ। घटना की जानकारी विस्तार से रिपोर्ट में लिखवाएँ।

-एफ.आई.आर. में यह बात जरुर लिखवाएँ कि जबरदस्ती(बलात्कार) सम्भोग हुआ है।

-यदि बलात्कारी का नाम जानती है, तो पुलिस को अवश्य बताएं।

-यह उस स्त्री का अधिकार है कि एफ.आई.आर. की एक कापी उसे मुफ्त दी जाए।

-यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह स्त्री की डॉक्टरी जांच कराए।

-डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट की कापी जरुर लें।

-पुलिस जांच के लिए स्त्री के कपड़े लेगी, जिस पर बलात्कारी पुरुष के वीर्य, खून, बाल इत्यादि हो सकते हैं। पुलिस स्त्री के सामने उन कपड़ों को सील-बंद करेगी। उन सील बंद कपड़ों की रसीद जरुर लें।

-कोर्ट में बलात्कार का केस बंद कमरे में चलता है यानि कोर्ट में केवल केस से संबंधित व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं।

-पीड़ित स्त्री की पहचान को प्रकाश में लाना अपराध है।

-पीड़ित स्त्री का पूर्व व्यवहार नहीं देखा जाना चाहिए।

अगर पुलिस एफ.आई.आर. लिखने से मना कर दे, तो आप निम्न जगहों पर शिकायत कर सकते हैं :-

-कलेक्टर

-स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र

-राष्ट्रीय महिला आयोग

कानून बलात्कार से पीड़ित महिला को क्रिमिनल इज्यूरीस कंम्पेन्सेशन बोर्ड के द्वारा आर्थिक मुआवजा भी दिलवाता है।

अन्य यौन अपराध से सम्बंधित कानून

धारा 354 भारतीय दंड संहिता :-

स्त्री की मर्यादा को क्षति पहुंचाने के लिए हमले या जबरदस्ती का इस्तेमाल

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जबरदस्ती करता है, तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।

जय हिंद

दहेज पर कानून

दहेज प्रतिशोध अधिनियम,1961

शादी से संबंधित जो भी उपहार दबाव या जबरदस्ती के कारण दूल्हे या दुल्हन को दिये जाते हैं, उसे दहेज कहते है। उपहार जो मांग कर लिया गया हो उसे भी दहेज कहते हैं।

-दहेज लेना या देना या लेने देने में सहायता करना अपराध है। शादी हुई हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसकी सजा है पाँच साल तक की कैद, पन्द्रह हजार रूञ्.जुर्माना या अगर दहेज की रकम पन्द्रह हजार रूञ्पये से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना।

- दहेज मांगना अपराध है और इसकी सजा है कम से कम छः महीनों की कैद या जुर्माना।

-दहेज का विज्ञापन देना भी एक अपराध है और इसकी सजा है कम से कम छः महीनों की कैद या पन्द्रह हजार रूञ्पये तक का जुर्माना।

दहेज हत्या पर कानून

(धारा 304ख, 306भारतीय दंड संहिता)

-यदि शादी के सात साल के अन्दर अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए,

-गैर प्राकृतिक कारणों से, जलने से या शारीरिक चोट से, आत्महत्या की वजह से हो जाए,

-और उसकी मृत्यु से पहले उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ दहेज के लिए क्रूर व्यवहार किया हो,

तो उसे दहेज हत्या कहते हैं। दहेज हत्या के संबंध में कानून यह मानकर चलता है कि मृत्यु ससुराल वालों के कारण हुई है।

इन अपराधों की शिकायत कौन कर सकता हैः

1. कोई पुलिस अफसर

2. पीड़ित महिला या उसके माता-पिता या संबंधी

3. यदि अदालत को ऐसे किसी केस का पता चलता है तो वह खुद भी कार्यवाई शुरूत्र् कर सकता है।

भरण पोषण पर कानून

(धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता)

महिला का भरण पोषण

यदि किसी महिला के लिए अपना खर्चा- पानी वहन करना संभव नहीं है तो वह अपने पति, पिता या बच्चों से भरण-पोषण की माँग कर सकती।

विवाह संबंधी अपराधों के विषय में भारतीय दण्ड संहिता 1860,

धारा 493 से 498 के प्रावधान करती है।

धारा 493

धारा 493 के अन्तर्गत बताया गया है कि विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास की स्थिति में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 494

धारा 494 के अन्तर्गत पति या पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह करने की स्थिति अगर वह विवाह शून्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। बहुविवाह के लिए आवश्यक है कि दूसरी शादी होते समय शादी के रस्मो-रिवाज पर्याप्त ढंग से किये जाएं।

धारा 494 क

धारा 494क में बताया गया है कि वही अपराध पूर्ववती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष

तक की हो सकेगी।

धारा 496

धारा 496 में बताया गया है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाहकर्म पूरा कर लेने की स्थिति में से वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 497

व्यभिचार की स्थिति में वह व्यक्ति जो यह कार्य करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। ऐसे मामलों में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।

धारा 498

धारा 498 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाता है या ले आना या निरूम्द्घ रखना है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 498 क

सन् 1983 में भारतीय दण्ड संहिता में यह संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत अध्याय 20 क, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में, अन्त स्थापित किया गया इस अध्याय के अन्तर्गत एक ही धारा 498-क है, जिसके अन्तर्गत बताया गया है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने की स्थिति में दण्ड एवं कारावास का प्रावधान है इसके अन्तर्गत बताया गया है कि जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।